

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH,

NEW DELHI

O.A. NO. 587 OF 2022

IN THE MATTER OF

Krishna Kumar Ram & Ors.

.....APPLICANT

VERSUS

The State of Bihar

.... RESPONDENTS

INDEX

Sl no.	Annexure	Particulars	Page no.
1		Factual and action taken report.	1 - 6
2.	Annexure-1.	A copy of the joint committee report.	7 - 121

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH,

NEW DELHI

O.A. NO. 587 OF 2022

IN THE MATTER OF

Krishna Kumar Ram & Ors.

.....APPLICANT

VERSUS

The State of Bihar

.... RESPONDENTS

**FACTUAL AND ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF JOINT
COMMITTEE CONSTITUTED VIDE ORDER DATED 21.09.2022
PASSED IN O.A. NO. 587 OF 2022.**

I, S. Chandrasekar, aged about 44 years, Son of Mr. S. Subramani, residing at B-202, Amarkunj Apartment, Vivekanand Marg-Patna-800013, do hereby solemnly affirm and state as follows: -

1. That I am posted as Member Secretary, Bihar State Pollution Control Board, Patna and as such I am well aware of the facts and circumstances of the present matter. I am competent and duly authorized to swear the present affidavit.
2. That the instant matter has been registered as an original Application on a letter petition filed by Sri Krishna Kumar Ram & Ors before the Hon'ble

National Green Tribunal, New Delhi, alleging therein that illegal sand mining is being carried out in the area of Samra Labheda Panchayat which is eco-sensitive zone of Balmiki Tiger Reserve.

3. That the instant matter was heard on 21.09.2022 when the Hon'ble Tribunal was pleased to constitute a joint committee comprising of Director Mines and Geology Department, State of Bihar; DFO; State PCB, and District Magistrate, Balmiki nagar, to undertake site visit and look into the grievances of the applicant and verify the factual position and file a factual and action taken report. The State PCB was made nodal agency for coordination and compliance.
4. That pursuant to passing of the order a meeting of the joint committee was convened on 20.10.2022 & 26.10.2022. In the said meeting it was decided that the site visit will be undertaken on 03.11.2022.
5. That following members of the joint committee undertook the site visit:-
 - (a) For District Magistrate, West Champaran, Sri Rajiv Kumar Singh ADM, Bettiah. Member
 - (b) For Director Mines and Geology Department, Dr. Ghanshyam Jha, District Mineral Development Officer, Bettiah, West Champaran. Member
 - (c) Bihar State Pollution Control Board **through** Sri Sain Kumar, Regional Officer, Muzzafarpur. Member

- (d) For DFO, Mr. Sunil Kumar, Range Officer of Forests, Forest Division Bagaha, Forest range, West Champaran. Member
- (e) Mr. Umesh Prasad Ram, Range Officer of Forests, Madanpur Forest Range Division-2, VTR. Member
- Apart from above members following officer of District Administration were also present for inspection
- (f) Dr. Anupama Singh, SDM, Bagaha, West Champaran.
- (g) Sir S.P. Roy, Regional Officer, Barauni, State PCB.
- (h) Md. Rashid Enam, Mines Inspector, Bettiah, West Champaran.
- (i) Mr. Shashi Shekhar Chauhan, SHO, Balmiki Nagar Police Station.
- (j) Mr. Rajeev Kumar Singh, SHO, Piprashi Police Station.
- (k) Mr. Abhinandan Kumar Singh, Circle Inspector, Dhanaha Police Circle.

On site visit, the joint committee learnt that there were 36 sand mining ghats till 2021 in the district of West Champaran including Semralabdeha Ghat. Environmental Clearance (EC) was granted for mining sand from Semralabdeha Ghat vide its Ref No. 102, dated 21.04.2016 and Consent

was granted by the State PCB vide its Memo No. T-4386, dated 27.04.2016.

Eco Sensitive Zone (ESZ) for the Valmiki Tiger Reserve (VTR) was notified notification dated 13.09.2017 and amendment notification no. 2560, dated 09.07.2021. In the aforesaid notification Semralabdeha Ghat finds mention at Sl. No. 295 and as such the said ghat was notified as eco-sensitive zone. Further vide notification dated 13.09.2017 a committee of 13 members has been constituted for effective monitoring of ESZ. The DFO, VTR, Division-I/II has been made Member Secretary of the ESZ management committee and an authority to file complaint against violator under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.

The District Magistrate, West Champaran, requested SEIAA, Bihar, for rejection of EC of 16 sand ghats which fall under ESZ of VTR vide his letter no. 620, dated 17.09.2021. Accordingly mining lease was extended for only 20 sand ghats and 16 sand ghats which were falling under ESZ were not leased for sand mining.

6. That at present illegal sand mining is not being done and the applicant/complainant informed that illegal sand mining was being carried six month ago. Also, some other villagers also stated that sand mining was being done earlier and not at present.
7. That there was complaint regarding illegal sand mining on Semralabdeha sand ghat against which a FIR has been lodged in P.S. – Piprasi. The same came to be registered as Piprasi P.S. case no. 51 of 2022.

8. That I have read the contents of the report and have understood the same.

DEPONENT

8. That I have read the contents of the report and have understood the same.


DEPONENT
(S. CHANDRASEKAR)



बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

औधोगिक प्रांगण, बेला, मुजफ्फरपुर-842005

पत्रांक: 2446

दिनांक: 25.11.2022

प्रेषक,

क्षेत्रीय पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्,
पटना।

विषय:-

जिला पश्चिमी चम्पारण के बाल्मीकि टाईगर रिजर्व क्षेत्र के ECO Sensitive Zone के सेमरा लभेडा, पंचायत के क्षेत्र में अवैध बालू खनन का ताथ्यात्मक स्थिति की जाँच के संबंध में।

प्रसंग:-

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेंच, दिल्ली में दायर O.A No.-587/2022, Krishan Kumar Ram Vs. State of Bihar के मामले में दिनांक: 21.09.2022 को पारित आदेश, पर्षद् पत्रांक: P/Legal01-35/2022, 3176, दिनांक: 17.10.2022 एवं पत्रांक: 3314, दिनांक: 01.11.2022.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेंच, दिल्ली में दायर O.A No.-587/2022, Krishan Kumar Ram Vs. State of Bihar के मामले में दिनांक: 21.09.2022 को पारित आदेश के आलोक में जिला पश्चिमी चम्पारण के बाल्मीकि टाईगर रिजर्व क्षेत्र के ECO Sensitive Zone के सेमरा लभेडा, पंचायत के क्षेत्र में अवैध बालू खनन का गठित समिति द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक: 03.11.2022 को किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन आवश्यक कारवाई हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है।

साथ ही खनिज विकास पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) द्वारा प्राप्त ज्ञापांक: 839, दिनांक: 07.11.2022 की प्रति संलग्न की जा रही है।

अनु०:-यथो

विश्वासभाजन

क्षेत्रीय पदाधिकारी
मुजफ्फरपुर।

Inspection report of Joint Committee
Constituted by Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi
(In the matter of O.A No.-587/2022, order dated: 21.09.2022)

Site of Visit: Sand Mining Project on the Gandak river at Semralabdeha Ghat, P.S- Piprasi, District -West Champaran,

Date of Inspection: 03.11.2022

Complainants: Sri Krishna Kumar Ram and others, of Semralabdeha Panchyat, Dist-West Champaran.

Background:

The Hon'ble National Green Tribunal (NGT), Principal Bench, New Delhi, has taken cognizance on the complaint of Sri Krishna Kumar Ram and others of Semralabdeha Panchyat, District- West Champaran and passed an order dated: 21.09.2022 in O.A No.-587/2022. The Hon'ble NGT was pleased to constitute a "Joint Committee" for carrying inspection of illegal sand mining area of the Semralabdeha Panchyat which is under Eco-Sensitive Zone of Valmiki Tiger Reserve (VTR) and to submit report on factual status of illegal sand mining to the Hon'ble NGT.

The joint committee comprises of representatives of Director, Mines and Geology Department, State of Bihar; Divisional Forest Officer (DFO); District Magistrate, (West Champaran, Bettiah and Bihar State Pollution Control Board (BSPCB) as nodal agency. The joint committee was directed to undertake site visit to look into the grievances of the applicant/ complainant / associate of the applicant/ the concerned project proponents and to verify the factual position. The Hon'ble Court has directed to submit a report within six weeks.

Meeting of the Joint Committee:

In the light of above order, meeting of joint committee were convened on 20.10.2022 and 26.10.2022 through video conferencing. Following Members and officers attended the meeting:

- (i) Mr. S. Chandrashekar, Member Secretary, BSPCB, Patna;
- (ii) Mr. Neeraj Narayan, Divisional Forest Officer-com-Dy. Director, Division-2, Balmiki Tiger Reserve, West Champaran, Bettiah;
- (iii) Mr. Sunil Kumar Saran, Divisional Forest Officer, Bettiah Forest Division, West Champaran, Bettiah;
- (iv) Dr. Ghanshyam Jha, District Mineral Development Officer, Bettiah, West Champaran; and
- (v) Mr. Sain Kumar, Regional Officer, BSPCB, Muzaffarpur.

Member Secretary, BSPCB welcomed the members and briefed them about the order dated 21.09.2022 passed in O.A. No.-587/2022. Accordingly a program was finalized to visit the site on 03.11.2022 based on consensus of the joint Committee.

Site Visit by the Joint Committee:

The site as mentioned in compliant, At- Semralabdeha Ghat of District- West Champaran, was visited by the joint committee on 03.11.2022. The officers present during inspection were as follow:

- (i) Mr. Rajiv Kumar Singh, ADM, Bettiah, West Champaran as representative of the District Magistrate, West Champaran;
- (ii) Dr. Ghanshyam Jha, District Mineral Development Officer, Bettiah, West Champaran as representative of Director, Mines and Geology, Govt. of Bihar;
- (iii) Mr. Sunil Kumar, Range Officer of Forests, Forest Division Bagaha, Forest range, West Champaran (as representative of the DFO, Bettiah);
- (iv) Mr. Umesh Prasad Ram, Range Officer of Forests, Madanpur Forest range Division-2, VTR (as representative of the DFO-com-Dy. Director Division-2, VTR, W.Champaran); and
- (v) Mr. Sain Kumar, Regional Officer, BSPCB, Muzaffarpur as representative of the Bihar SPCB.

The following officers were also available during the visit -

- (i) Dr. Anupama Singh, SDM, Bagaha, West Champaran
- (ii) Mr. S.P Roy, Regional Officer, BSPCB, Barauni
- (iii) Md. Rasid Enam, Mines Inspector, Bettiah, West Champaran
- (iv) Mr. Shashi Shekhar Chauhan, SHO, Balmiki Nagar Police Station, Bagaha, West Champaran
- (v) Mr. Rajeev Kumar Singh, SHO, Piprashi Police Station, Bagaha, West Champaran
- (vi) Mr. Abhinandan Kumar Singh, Circle Inspector, Dhanaha Police Circle, Bagaha, West Champaran.

Description of Site:

Semralabdeha Panchyat, P.O- Semralabdeha, P.S-Piprasi, District- West Champaran is situated at the bank of River Gandak. The West Champaran district boundary is surrounded by hilly region of Nepal in North. The hills contain large stretches of forest. The streams from hills bring down huge quantities of sand during monsoon. This district has a rich source of minor mineral mainly river made material (sand). In order to meet the requirement of raw material for construction, the extraction of sand is being carried out exclusively from the river bed.

Factual Status:

- (i) There were 36 mining leases for sand mining till 2021 in the district of West Champaran in stretches of different rivers which were allotted for sand mining by the Mines and Geology department including the Semralabdeha Ghat along Gandak River.
- (ii) Sand mining leases were allotted to M/s Singh & Giri Infrastructure Pvt. Ltd., Sri Harendra Singh (Director), At-Bagaha-2, Thana-Bagaha-2, P.O-Nariapur, Ward No.-05, Dist-West Champaran including the instant sand ghat at Semralabdeha on the Gandak river. These sand leases (36) were allotted by the Mines and Geology Department for a period from 01.01.2015 to 31.12.2019 (Five years) which was extended to 31.12.2020 and then till 30.09.2021 by the Mines and Geology Department, Govt. of Bihar **(Annexure-1)**.
- (iii) Environmental Clearance (EC) was issued to M/s Singh & Giri Infrastructure Pvt. Ltd by the SEIAA, Bihar for the Semralabdeha sand ghat (3.59Hectare) vides Ref. No.-102, dated: 21.04.2016 **(Annexure-2)** followed by the CTO issued by BSPCB for the period up to 31.03.2019 from the date of issue i.e. 27.04.2016 **(Annexure-3)**.
- (iv) Eco Sensitive Zone (ESZ) for the Valmiki Tiger Reserve (VTR) was notified through the Gazette of India vide no- 2649 dated 13.09.2017 followed by an amendment Gazette notification no.- 2560 dated 09.07.2021. Semralabdeha Panchyat (27°08'46.645"N, 84°00'8.654") is listed at sl. no. 295 of the Gazette **(Annexure-4)**.
- (v) A committee has been constituted for effective monitoring of ESZ in the notification dated 13.07.2017 comprising of thirteen (13) member representatives from different departments of the district. The Division Forest Officer, VTR, Division-I/II has been made Member Secretary of the ESZ management committee and an authority to file complaint against violator under section 19 of the E(P) Act, 1986.
- (vi) The District Magistrate, W. Chamaran requested to the SEIAA, Bihar for rejection of the EC of 16 sand mines lease which fall under the ESZ of VTR vide its letter no.-620 (Mines), Bettiah, dated 17.09.2021 **(Annexure-5)**.
- (vii) Mining lease was extended for only twenty (20) sand ghats leases excluding the 16 ghats falling under the ESZ) for the period from 01.10.2021 to 31.03.2022 by the Mines & Geology department vide its letter no- 708/ Mines, Bettiah dated 01.11.2021 **(Annexure-6)**.
- (viii) There was a complaint regarding illegal sand mining on Semralabdeha sand sand Ghat located within the Eco-Sensitive Zone of the VTR. A FIR was lodged against the violators in concorned P.S- Piprasi, Bagaha Police District (West Champaran District) vide letter no.- 38, dated: 22.06.2022 by Sri Ravi Kumar, Forester, Madanpur Cum Nourangia Forest Beat. Which came to be registered as Piprashi P.S. case no. 51/22 against **(Annexure-7)**.
1. Sri Rameshwar Bin, S/o. Sri Bhagwat Bin, At-Bhashia, Ps.-Piprashi, Dist.- West Champaran.

2. Sri Vinod Yadav, At-Bansgaon, Ps.-Patkhailia, Bagaha, Dist.-West Champaran.
 3. Sri Dinesh Jaysawal, S/o. Sri Mohan Jaysawal, At-Chhitouni, Ps.-Hanumanganj, Dist.-Kushi Nagar (UP)
 4. Sri Ramnath Gupta, S/o. Sri Dev Narayan Gupta, At-Chhitouni, Ps.-Hanumanganj, Dist.-Kushi Nagar (UP)
 5. Sri Raju Roniyar, At-Chhitouni, Ps.- Hanumanganj, Dist.-Kushi Nagar (UP).
- (ix) The SHO, Piprashi Police Station reported that the violators listed at 1, 3, 4 and 5 had surrendered before the Hon'ble Bagaha Court and they were released on bail by the Hon'ble court in the Piprashi P.S. case no.-51/2022, dated 22.06.2022.
- (x) Complainant Sri Krishna Kumar Ram stated during the site visit that at present no any sand mining is going on after flood. Illegal Sand mining was being carried six months ago.
- (xi) One Villager Sri Tirathraj Kushwaha stated that sand mining was being carried on before the floods (rainy season).
- (xii) Local villagers Sri Sudarshan Nishad, Sri Kaushal Kumar, Sri Rajmangal Bind and others stated that some villagers were excavating sand and soil only for their own bonafied use. At present, no sand mining is going on. They requested to allow extraction of sand for bonafied own use.

Observations of the joint committee:

- (i) The validity of the Sand Mining lease had been extended upto 30.09.2021 at all (36) sand ghats in the district including the present suspended sand ghats (16) under the ESZ.
- (ii) Sand mining lease has been extended from 01.10.2021 to 31.03.2022 for only twenty (20) ghats excluding the Semralabdeha Ghat and fifteen (15) other ghats following under the ESZ of VTR.
- (iii) Extraction of sand was not seen on Gandak River at Semralabdeha Ghat during the site visit.
- (iv) No sand storage was found on the bank of the Gandak River in the area under reference.
- (v) There was no any mechanical equipment engaged in sand mining activities found on the bank of River.
- (vi) An FIR was lodged on 22.06.2022 against violators in concerned Police Piprashi P.S. case no.-51/2022, dated 22.06.2022 in Bagaha Police District.

Recommendation:

- (i) Zonal management plan for the notified Eco Sensitive Zone of VTR should be prepared immediately.
- (ii) Sensitization of local people through placing sign boards mentioning the extent of the notified ESZ of the VTR and implementing the zonal plan to be prepared.
- (iii) Local body should be made part of enforcement agency.
- (iv) Local people may be allowed to take the sand as per their need under the concerned local body and concerned mining officer(s).

Umesh Prasad Ram
19/11/22
Umesh Prasad Ram
Range Officer of
Forests, Madanpur
Range, Division-2, VTR




Sunil Kumar
19/11/22
Sunil Kumar
Range Officer of
Forests, Forest Division
Bagaha Forest Range,
Bettiah Forest Division

Ghanshyam Jha
19.11.22
Ghanshyam Jha
District Mineral
Development Officer,
Bettiah

Sain Kumar
19/11/22
Sain Kumar
Regional Officer,
BSPCB, Muzaffarpur

S.P.Roy
Regional Officer,
BSPCB, Begusarai

Rajesh Kumar Singh
19/11/22
Rajesh Kumar Singh
ADM, Bettiah, West
Champaran



ESZ OF VALMIKI TIGER RESERVE IN WEST CHAMPARAN, BIHAR

13

जिला खनन कार्यालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

पत्रांक ५११

खनन बेतिया/दिनांक २१/११/१४

प्रेषित,

हरेन्द्र सिंह,

निदेशक

सिंह एण्ड गिरि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि।

भरनापुर, बगहा २, पश्चिम चम्पारण

विषय :- जिला पश्चिम चम्पारण, बेतिया के सभी बालू घाटों की बंदोबस्ती (०१/०१/२०१५ से ३१/१२/२०१० तक) के संबंध में।

उपरोक्त विषयक जिलान्तर्गत सभी बालू घाटों की बंदोबस्ती (रियली संहिता) की स्वीकृति समाहती पश्चिम चम्पारण, बेतिया के आदेश दिनांक ०५/११/२०१४ एवं बालू उत्खनन एवं प्रेषण की अनुमति ३१/१२/२०१४ द्वारा आपके पक्ष में प्रदान की गई है।

अतः निदेश दिया जाता है कि जिलान्तर्गत सम्पूर्ण बालू घाटों (रियली संहिता) से बालू का उत्खनन एवं प्रेषण बंदोबस्ती की निविदा शर्त एवं कोज के अनुरूप करें (प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर)। प्रत्येक वाहन के साथ बालू का परिवहन चालान निर्गत किया जाना अनिवार्य है।

अतः दिनांक ०१/०१/२०१५ से बालू उत्खनन एवं प्रेषण (पंचांग वर्ष २०१५ के लिए) की अनुमति दी जाती है।


 राजीव कुमार

खनिज विकास पदाधिकारी

बेतिया, पश्चिम चम्पारण

ज्ञापक ५११ खनन, बेतिया/दिनांक ३१/११/१४

प्रतिलिपि - सभी थाना प्रभारी, बेतिया, बगहा पुलिस जिला / अनुमण्डल पदाधिकारी, बेतिया, बगहा, नरकटियागंज / सभी अंचल अधिकारी / पुलिस अधीक्षक, बेतिया एवं बगहा को सूचनाार्थ प्रेषित।


 राजीव कुमार

खनिज विकास पदाधिकारी

बेतिया, पश्चिम चम्पारण



STATE LEVEL ENVIRONMENT IMPACT ASSESSMENT AUTHORITY,
BIHAR

Ref No. 102

Patna, dated:- 21/4/16

From,

Prof. R. C. Sinha
Chairman,
SEIAA, Bihar

To,

M/S Singh & Giri Infrastructure Pvt. Ltd.,
Harendra Singh,
(Director),
Bagha- 2, Thana- Bagha-2,
Post- Nariapur, Ward No- 05,
West Champaran, Bihar.
Pin - 845 101.

Sub: Environmental Clearance for the proponent "Sand Mining Project on Gandak River at Semralabdeha Ghat of District- West Champaran, State-Bihar, Total Area-3.59 Ha, Thana No- 52, Khata No.- 1049, Khesra No.- 9849, 9851/10362, 9851/10119, 9851/10116, Vill- Semralabdeha, Tehsil- Piprasi, District- West Champaran, State- Bihar"

Sir,

With the reference to your application dated 08-03-2016 for environmental clearance, your application was appraised by SEAC in its meeting held on 09th April, 2016 as per EIA Notification, 2006 and its amendment thereof. On the recommendation of SEAC, SEIAA in its meeting held on 18th April, 2016 accords Environmental Clearance with the following conditions. The salient features of the Project are as follows:-

1. Sand Mining Project on Gandak River at Semralabdeha Ghat of District- West Champaran, Area - 3.59 Ha.
2. Geographical location- Corner A- 27°09' 13.254"N 83°58' 54.308"E

1

CHAIRMAN
STATE ENVIRONMENT IMPACT
ASSESSMENT AUTHORITY
(SEIAA) BIHAR

Corner B- 27° 09' 5.59"N 83° 58' 58.393"E

Corner C- 27° 09' 3.293"N 83° 58' 53.872"E

Corner D- 27° 09' 11.368"N 83° 58' 50.053"E

3. Project Cost – ₹ 1,39,52,000.
4. Period of Lease - 5 years.
5. Proposed capacity of mine – 14,536.1 TPA
6. No. of working days - 280 days
7. Man Power requirement - 12
8. Water requirement – 2.5 KLD
9. Name of Sand Mining Ghat – Semralabdeha Ghat.

A. **Specific Conditions**

1. The Environmental clearance is subject to grant of Mining Lease and will be co-terminus with the mining lease period.
2. The Operation of Mining at time Schedule should be as per the amended Bihar Minor Minerals and Concession Rule (2014) and NGT order dated 11th May 2015 (Original application No.28/2014/EZ).
3. It shall be ensured that there shall be no mining beyond 03 m or upto water level whichever is less further meaning thereby that no mining activity in ruining/stagnant water in the River in the issue of Sand Mining. The Distance from the bank of the river shall be as per the Bihar Minor Mineral and concession Rule (2014) and amendment thereof.
4. The project proponent shall ensure that wherever deployment of labour attracts the Mines Act, the provision thereof shall be strictly followed.
5. The project proponent shall prepare the plan of mining in conformity with the mine lease conditions and the Rules prescribed in this regard clearly showing the no work zone in the mine lease i.e. the distance from the bank of river to be left un-worked (Non mining area).
6. The project proponent shall undertake adequate safeguard measures during extraction of river bed material and ensure that due to this activity the hydro-geological regime of the surrounding area shall not be affected.
7. The project proponent will provide protective respiratory devices to workers working in dusty areas and they shall also be provided with adequate training and information on safety and health aspects. Periodical medical examination of the workers engaged in the

project shall be carried out and records maintained. For the purpose, schedule of health examination of the workers should be drawn and followed accordingly.

8. Solid waste material viz, plastic bags, glasses etc. to be generated during project activity will be separately stored in bins and managed as per Solid Waste Management rules.
9. Natural /customary paths used by villagers should not be obstructed at any time by the activities proposed under the project.
10. Concealing factual data or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
11. PP shall maintain minimum distance from Reserved / Protected Forests as stipulated in applicable guidelines.
12. The project proponent should implement suitable conservation measures to augment ground water resources in the area in consultation with the Ground Water Directorate, Government of Bihar / Central Ground Water Board.
13. Effective safeguard measures should be taken to control fugitive emissions so as to ensure that RSPM (PM10 and PM 2.5) levels are within prescribed limits.
14. Pre-placement medical examination and periodical medical examination of the workers engaged in the project shall be carried out and records maintained.
15. The project proponent shall take all precautionary measures during mining operation for conservation and protection of endangered fauna as prescribed the Wildlife (protection) Act.1972
16. Proper safety measures as per statutory requirement are to be implemented around the mined out Pit prior to closure of site.
17. A final mine closure Plan along with corpus fund duly approved by Competent Authority shall be submitted to the SEIAA, Bihar & Bihar State Pollution Control Board, Patna and to concerned DMO in prior of final mine closure for approval.
18. The project proponent shall obtain Consent to establish and Consent to Operate from the Bihar State Pollution Control Board, Patna and effectively implement all the conditions stipulated therein.
19. The depth of mining in river-bed shall not exceed three meter or water level, whichever is less, provided that where the Joint Inspection Committee certifies about excessive deposit or over accumulation of mineral in certain reaches requiring channelization, it can be as specified by the Committee, on defined reaches of the river.
20. No river sand mining be allowed in rainy season (July, August, and September).
21. To submit annual replenishment report certified by an authorized agency. In case the replenishment is lower than the approved rate of production, then the mining activity / production levels shall be decreased / stopped accordingly till the replenishment is completed.

22. In river flood plain mining, a buffer of 3 meter be left from the river bank for mining.
23. In mining from agricultural field, a buffer of 3 meter be left from the adjacent field.
24. Mining shall be done in layers of 1 m depth to avoid ponding effect and after first layer is excavated, the process will be repeated for the next layers.
25. No stream should be diverted for the purpose of sand mining. No natural water course and/ or water resources are obstructed due to mining operations.
26. No labour camp be allowed in riverbed.
27. Mining should begin only after pucca pillar marking the boundary of lease area is erected at the cost of the lease holder after certification by the mining official and its geo coordinates are made available to the SEIAA, Bihar.
28. The top soil in case of surface mining shall be stored temporarily in an earmarked site and concurrently used for land reclamation.
29. Lease shall keep a correct account of quantity of mineral mined out, dispatched from the mine, mode of transport, registration number of vehicle, person in-charge of vehicle and mine plan. This should be produced before officers of Central Government and State for inspection.
30. Noise arising out of mining and processing shall be abated and controlled at source to keep within permissible limit.
31. The pollution due to transportation load on the environment will be effectively controlled & water sprinkling will also be done regularly.
32. Air Pollution due to dust, exhaust emission or fumes during mining and processing phase should be controlled and kept in permissible limits specified under environmental laws.
33. **The mineral transportation shall be carried out through covered trucks only and the vehicles carrying the mineral shall not be overloaded. Wheel washing facility should be installed and used.**
34. The aesthetics of the site shall be maintained.
35. Restoration of flora affected by mining should be done immediately. Twice the number of trees destroyed by mining be planted preferably of indigenous species.
36. No mining lease shall be granted in the forest area without forest clearance in accordance with the provisions of the Forest Conservation Act, 1980 and the rules made thereunder.
37. Protection of spring sources should be ensured.
38. Attempt should be there to restrict activities to cause minimum surface soil disturbance.
39. Adequate steps to check soil erosion and control debris flow etc. by constructing engineering structures should be ensured.
40. Site clearance and tidiness shall be maintained.

B. General conditions

1. Any change in mining area Plot / Khata numbers, entailing capacity addition with change in process and or mining technology modernization and scope of working shall again require prior Environmental Clearance as per the provisions of EIA Notification, 2006 (as amended), MoEF&CC guidelines and Supreme Court judgement on the subject.
2. The Different Geo-Coordinate is given as per approved Mining Plan approved by Mining Deptt., Govt. of Bihar.
3. It shall be ensured that standards related to ambient air quality/effluent as prescribed by the Ministry of Environment & Forests are strictly complied with. Water sprinklers and other dust control majors should be applied to take-care of dust generated during mining operation, Sprinkling of water on haul roads to control dust will be ensured by the project proponent.
4. All necessary statutory clearances shall be obtained before start of mining operations. If this condition is violated, the 'clearance shall-be automatically deemed to have been cancelled.
5. Parking of vehicles should not be made on public places.
6. No tree-felling will be done in the leased area, except only with the permission of Forest Department.
7. No wildlife habitat will be infringed.
8. It shall be ensured that excavation of minor mineral does not disturb or change the underlying soil characteristics of the river bed / basin, where, mining is carried out.
9. It shall be ensured that mining operation will not in any way disturb the, velocity and flow pattern of the river water significantly.
10. Adequate protection against dust and other environmental pollution due to mining shall be made so that the habitations (if any) close by the lease area are not adversely affected. The status of implementation of measures taken shall be reported to the RO, BSPCB and SEIAA and this activity should be completed before the start of sand mining.
11. Need-based assessment for the nearby villages shall be conducted to study economic measures which can help in improving the quality of life of economically weaker section of society. Income generating projects / tools such as development of fodder farm, fruit bearing orchards, vocational training etc. can form a part of such program me. The project proponent shall provide separate budget for community development activities and income generating programmes.
12. Green cover development shall be carried out following CPCB guidelines including selection of plant species and in consultation with the local DFO / Horticulture Officer.

41. The proponent shall take all possible precautions for the protection of environment and control of pollution.
42. Junction at takeoff point of approach road with main road be properly developed with proper width and geometry required for safe movement of traffic by lease holder at his own cost.
43. Health and safety of workers should be taken care of.
44. Project Proponent shall appoint an Occupational Health Specialist for Regular and Periodical medical examination of the workers engaged in the Project and records maintained; also, Occupational health check-ups for workers having some ailments like BP, diabetes, habitual smokers, etc. shall be undertaken once in six months and necessary remedial/preventive measures taken accordingly. Recommendations of National Institute for Labour for ensuring good occupational environment for mine workers shall be adopted
45. The Distance from N.H, Railway line, Reservoir, Bridge shall be adopted as per Bihar Minor Mineral and concession Rule (2014) and amendment thereof.
46. The proponent shall not conduct sand mining where mining can cause danger to site of flood protection works, places of cultural, religious, historical, and archeological importance.
47. Vehicles only with fitness and PUC Certificates should be used.
48. Project Proponent shall ensure that the road may not be damaged due to transportation of the mineral; and transport of minerals will be as per IRC Guidelines with respect to complying with traffic congestion and density.
49. No stacking of sand is allowed on road side along national highways.
50. Restoration, reclamation and rehabilitation in cluster should be done systematically EC by the proponent.
51. Site specific plan with eco-restoration should be in place and implemented.
52. The PP shall make arrangement for drinking water, first aid facility.
53. Adequate steps should be taken to check soil erosion and control debris flow etc. by constructing engineering structures.
54. Proponent will provide adequate sanitary facility in the form of mobile toilets to the labours engaged for the project work.
55. Use of effective sprinkler system to suppress fugitive dust on haul roads and other transport roads shall be ensured; and washing of all transport vehicles should be done inside the mining lease.
56. The Proposed route for transportation should not pass through private land. But in case it passes permission from private land owner obtained.

25. The project proponent shall submit six monthly reports on the status of compliance of the stipulated environmental clearance conditions including results of monitored data (both in hard copies as well as by e-mail) to the SEIAA, Bihar & Bihar State Pollution Control Board, Patna and to its concerned Regional Office &
26. All statutory clearances shall be obtained before start of mining operations.
27. The Mines commissioner cum Principal Secretary, Government of Bihar through respective officers at the district level shall ensure the implementation of the stipulated environmental condition mention above.

C. Other points

1. The Authority reserves the right to add any new condition or modify the above conditions or to revoke the clearance if conditions stipulated above are not implemented to the satisfaction of Authority or for that matter for any other Administrative reason.
2. The Environmental Clearance accorded shall be valid for the period of grant of lease for the mine. The PP shall not increase production rate and alter lease area during the validity of Environmental Clearance.
3. In case of any deviation or alteration in the project proposed from those submitted to SEIAA, Bihar for clearance, a fresh reference should be made to SEIAA to assess the adequacy of the conditions imposed and to incorporate any new conditions if required.
4. The above stipulations would be enforced among others under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous Wastes (Management, Handling and Tran boundary Movement) Rules, 2008 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and rules made there under and also any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/ High Court of Bihar and any other Court of Law relating to the subject matter.
5. Any Appeal against this Environmental Clearance shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

R.C. Sinha

(Prof. R.C. SINHA)

Chairman,
SEIAA, BIHAR

CHAIRMAN
- STATE ENVIRONMENT IMPACT
ASSESSMENT AUTHORITY
(SEIAA) BIHAR

13. Transportation of materials shall be done by covering the trucks / tractors with tarpaulin or other suitable mechanism to avoid fugitive emissions and spillage of mineral/dust.
14. Special Measures shall be adopted to protect the nearby settlements from the impacts of mining activities, Maintenance of Village roads through which transportation of minerals is to be undertaken, shall be carried out by the project proponent regularly at his own expenses.
15. Measures for prevention & control of soil erosion and management of silt shall be undertaken. Protection of dumps against erosion, if any, shall be carried out with geo textile matting or other suitable material.
16. The project proponent shall obtain necessary prior permission of the competent Authorities for withdrawal of requisite quantity of water (surface water and groundwater), required for the project.
17. Safety measures to be taken for the safety of the people working at the mine lease area should be given, which would also include measure for treatment of bite of poisonous reptile / insect like snake. Periodical and Annual medical check up of workers as per Mines Act and they should be covered under ESI as per rule.
18. No change in the calendar plan including excavation, quantum of mineral and waste should be made.
19. The Project proponent shall maintain register for production and dispatch and submit return to the SEIAA, Bihar & B.S.P.C.B, Patna.
20. Measures should be taken for control of noise levels below prescribed norms in the work environment.
21. Personnel working in dusty areas should wear protective respiratory devices and they should also be provided with adequate training and information on safety and health aspects. Occupational health surveillance program of the workers should be undertaken periodically to observe any contractions due to exposure to dust and take corrective measures, if needed.
22. Dispensary facilities for First Aid shall be provided at site.
23. Social Corporate Responsibility (SCR) plan along with budgetary provision amounting to 2.5 % of total project cost shall be submitted within three months on need base assessment study in the study area. Income generating measures which can help in upliftment of weaker section of society consistent with the traditional skills of the people identified. The programme can include activities such as drinking water arrangements in villages, arrangement for toilets, development of fodder farm, fruit bearing orchards, vocational training etc. In addition, vocational training for individuals shall be imparted so that poor section of society can take up self-employment and jobs. Separate budget for community development activities & income generating programmes shall be specified.
24. SEIAA, Bihar, The Bihar State Pollution Control Board, Patna directly or through its Regional Office, shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.



Annexure - III

23

BIHAR STATE POLLUTION CONTROL BOARD
BELTRON Bhawan, Shastri Nagar, Patna - 800 023

Ref. No- PT(NOC)-1604/16-

Patna, dated-

EMISSION CONSENT ORDER

With reference to the Online application no. 357026, dated 26.04.2016 of M/s Singh and Giri Infrastructure Pvt. Ltd, At- Bagaha-2, Thana- Bagaha-2, P.O.- Nariapur, Ward No. - 05, District - West Champaran - 845 101 (Bihar) for consent under sections 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, he/they is/are granted consent-to-operate of their sand Mining project (lease area 3.59 Hectare with production capacity- 14536.1 MetricTonnes/ year) at Khata no- 1049, Khesra no- 9849, 9851, 9849, 9851, 10362, Mauza- Semralabdeha Ghat, At- Semralabdeha, P.O.- Semralabdeha, District - West Champaran - 845 101 (Bihar) for the period from the date of issue to 31.03.2019 subject to the following conditions:

1. That, he/they shall not make any alteration, addition, deletion or modification in the plant without the prior clearance from the Board and shall also abide by the obligations under sections 22,23 and 31A of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981 and further shall extend co-operation to the Board in performing its functions entrusted under sections 24,25 and 26 of the Act ;
2. That, he/they shall comply with the requirements of rule 14 of the Environment(Protection) Rules, 1986; rules 4,5,7,9,10 and 11 of the Hazardous Wastes (Management, Handling & Tran boundary Movement) Rules,2008; rules 4,5,7,8,10,11,12,13,15,17 and 18 of the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical Rules,1989; and the provisions of the Public Liability Insurance Act,1991,whichever is applicable;
3. That, he/they shall monitor his/their emission(s) and the ambient air quality from representative point regularly and shall maintain its quality in conformity with Board's standards and shall produce its proof, as and when asked for;
4. That, he/they shall submit application for consent again 30 days before the expiration of the period of consent i.e. 28.2.2019 or within 30 days from the date of receipt of this order, whichever is applicable.
5. The mining shall be opencast and exclusively manual and will not include work like drilling, blasting, etc.;
6. Mining shall be restricted up to the depth of 3m only or up to the water level whichever is less and further mining shall not be done in running or stagnant water;
7. The proponent shall ensure all pollution control measures to contain fugitive emissions during mining so that the RSPM (PM10 & PM2.5) conforms to the standards under the E(P) act, 1986;
8. The proponent shall not undertake mining during rainy season.
9. The rate of sand production by mining shall be commensurate with the rate of natural replenishment and will never exceed the production which may not be replenished in the following year.
10. The proponent shall restrict their mining operation only between 6am to 7pm in conformity with MoEF & CC guidelines made in this behalf;
11. The proponent shall ensure no-pollution due to transportation and shall arrange water sprinkling as and when needed effectively;
12. Transportation of sand shall be ensured in covered trucks/ vehicle only and in furtherance, vehicles used for sand transportation shall have pollution under control certificate under the Motor Vehicles Act.
13. The proponent shall refrain from stacking sand on road side along the highways;
14. The proponent shall maintain a safe distance from the bank of the river, any structure or installation of importance as may be decided by the related authorities.
15. The unit shall have a display board near the site stating name of the unit / Industry with address; name of proprietor with address; and ref. memo no. and date of consent with its validity period granted by the Board; and

Q

16. That, the conditions listed in the EC shall be complied with and a report shall be submitted to this Board.

To,


Sri Harendra Singh,
Director,
M/s Singh and Giri Infrastructure Pvt. Ltd,
At- Bagaha-2, Thana- Bagaha-2, P.O.- Nariapur,
Ward No. - 05, District - West Champaran - 845 101
(Bihar)

Sd/-
(A.K.Ojha)
Member-Secretary

Memo No. T-4386

Patna, dated:- 27-4-16

Copy to: R.O. Muzaffarpur/ AEE, Patna for information & necessary action.


(A.K. Ojha)
Member-Secretary
d

विशेष सं. ३: १३३४/१७

REVENUE NO. 13-1334/17

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2649]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 13, 2017/भाद्र 23, 1939

No. 2649]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 13, 2017/BHADRA 23, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितंबर, 2017

का.अ. 3026(अ).—भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. अ. 1824 (अ), तारीख 19 मई, 2016 द्वारा उन सभी जिलों में, जिनके नाम प्रभावित होने की संभावना थी, इस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में पुनः राजपत्र की प्रतियां, जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए एक प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी।

और, प्रारूप अधिसूचना से पुनः राजपत्र की प्रतियां 19 मई, 2016 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी।

और, प्रारूप अधिसूचना के प्रस्तुत में राष्ट्रीय व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्बन्ध रूप से विचार किया गया।

और, बाबूलीकि अन्वयारण्य, बाबूलीकि राष्ट्रीय उद्यान और बाबूलीकि टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिमी क्षेत्रों में अवस्थित है और 898.73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और अन्वयारण्य उत्तर और उत्तर प्रदेश में भारत के पश्चिम में गंडक नदी के साथ बिहार सीमा से बाध्य है।

और, बाबूलीकि अन्वयारण्य, बाबूलीकि राष्ट्रीय उद्यान और बाबूलीकि टाइगर रिजर्व और विशेष और स्थानीय अतिरिक्त भू-भागों और विविध भूमि निर्माण के विविधीकरण के साथ हिमालय गिरिपिठ के बाहरी शिवालिकों के भू-भाग क्षेत्रों के अंतर्गत वनस्पति और वन पहाड़ियों और घाटियों की पारिस्थितिकी प्रणाली, खुले नदी वनस्थली, घासभूमि और दलदली क्षेत्र जिसमें समृद्ध विविधता की वनस्पति और जीवजंतु का आश्रय शामिल है जैसे बाघ (पेंड्रा टाइगरिस), तेंदुआ (पेंड्रा पार्सी), भेड़िया (कैनिस ल्यूस), जंगली कुत्ता (कुजौन अल्पाइनस), लकड़बग्घा (हेयना एस्प्री), जंगली बिल्ली (फेलिस ब्राउन्स), वनजिजाघ (डीब्रकुला एस्प्रीपी), ऊदजिजाघ (सुटोरोल प्रेमिफिलोस), गौर (बोस गोरस), बाघर (महा प्रोसीक्योस), शीतल (एन्सिम एन्सिम), मूजक (मनटियाकस मूजक), हाथ हिरण (हाथ लफ्लस पोसिमस), गैंडा (कैलकस अरसिमस), पायथन (पायथनस एस्प्रीपी), मुगर (काकोडाइलस फलोटोस), लघु (सक्सापेटेकस एस्प्रीपी), और पक्षी की प्रजातियां गौर (पाको क्लिंटोस), गिद्ध (गिन्स एस्प्रीपी) और पक्षी की कई प्रजातियां अन्वयारण्य में निवास करती हैं, जिसमें विभिन्न संकटापन्न और अगुरक्षित हैं।

और, बाबूलीकि टाइगर रिजर्व का मार्ग क्षेत्र के दीर्घकालिक पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय महत्व से उत्पन्न उत्तरी बिहार मैदानों के दो प्रमुख नदियों गंडक और बुरी गंडक का, खोल क्षेत्र है।

और, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के विस्तार भी वारक जनजाति द्वारा पर्यावरण और अन्य जनजातियों के ज्ञान से एक प्रमुख समुदाय के रूप में बसे हुए हैं जो क्षेत्र के जातीय, सांस्कृतिक और मानव विज्ञान के महत्व को समृद्ध करते हैं;

और, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इन अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उन पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रकाशन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिबंधित करना आवश्यक है और उनके पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उनके इमारतों और प्रक्रियाओं को प्रतिबंधित करने के लिए, पूर्वोक्त संरक्षित क्षेत्र के आनुवंशिक संसाधनों के पुनरुद्धार और स्थानीय प्रजातियों के पुनर्वास के लिए नर्स्यीकरण प्रबंधन किए जाएंगे;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्य में वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की सीमा 0 मीटर से 9 किलोमीटर तक के विस्तार तक के क्षेत्र को वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं—(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के क्षेत्र का विस्तार 0 मीटर से 9 किलोमीटर वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व तक है, शून्य सीमा पश्चिमी भाग के साथ उत्तर प्रदेश उत्तर-सीमा के साथ नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा को पारित करती है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 835.76 वर्ग किलोमीटर है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के अभयारण्य का मानचित्र और भू-निर्देशांक उपाबंध I और उपाबंध I क के रूप में उपाबंध है।

(3) मुख्य बिंदुओं के साथ भू-निर्देशांक के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले 323 ग्रामों की सूची उपाबंध II के रूप में उपाबंध है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना —(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए राजस्व में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इन अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) इस में तैयार किए गए आंचलिक महायोजना इन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुबंध के साथ आनुपातिक होंगे और पर्यावरणीय विकसित सम्मिलित होगी।

(3) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(4) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केन्द्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(5) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारों को समाहित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबंधित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्—

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन;
- (iii) शहरी विकास;
- (iv) पर्यटन;
- (v) नगरपालिका;
- (vi) स्वास्थ्य;
- (vii) कृषि;
- (viii) पशु और मत्स्य संसाधन;
- (ix) बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;
- (x) जन संसाधन (सिंचाई);

- (ix) पुरातत्त्व, और
(xii) शौक निर्माण कार्य (मजक संनिर्माण)।

(6) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निबंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूलता का संवर्धन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकासों के संरक्षण, आवाहू क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(8) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, पुरातात्विक स्मारक, विरासत संरचनाएँ, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, बनो के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उन्मी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, कानोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकासों का अभ्यर्कन करेगी और समर्पनकारी मानचित्र और विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं के ब्योरे देते हुए मानचित्रों द्वारा समर्थित होगी।

(9) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करने में और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध, विनियमित तथा संवर्धित क्रियाकलापों का अनुसरण करेगी जिससे स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिक अनुकूल विकास सुनिश्चित किया जा सके।

(10) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के संबंध में निगरानी के अपने कार्यों को करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगा।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय— राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :—

(1) भू-उपयोग - पारिस्थितिक संवेदी जोन में बनो, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजनों के लिए अधिनियमित किए गए पारकों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग नहीं होगा या उनके लिए क्षेत्रों में संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन में, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की मारणी के ब्लंभ (2) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :—

- पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मुकान आदि ;
- विद्यमान सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का संनिर्माण ;
- प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग ;
- सर्वां जल संचयन ; और
- कुटीर उद्योग, जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुख-सुविधाएँ हैं।

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों और तत्समय प्रचल विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंज्ञात कोई कृषि निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में केवल एक बार संशोधित होगी और उक्त कृषि के संशोधन की केंद्रीय सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त कृषि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिस्थितिक कटौती नहीं होगी और अनुरूप या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः बनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोतों - आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विद्यमान क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) पर्यटन - (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोंत के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होंगी।

(ख) बिहार राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन आंचलिक महायोजना तैयार किया जाएगा।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

- (i) वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोंत के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी होटल या रिमोर्ट का नया संश्रिमाण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। वसति, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोंत के विस्तार तक नए होटलों और रिमोर्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी;
- (ii) पारिस्थितिक संवेदी जोंत के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्यापक संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा सशोध्यत) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देने हुए पारिस्थितिक संवेदी जोंत की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;
- (iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्देश, संरक्षण तथा निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।

(4) नैसर्गिक विरासत - पारिस्थितिकी संवेदी जोंत में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीव जोंत आरक्षित क्षेत्र, शैल विरासतएँ, जल प्रपातों, झरनों, खाड़ी भागों, उपजनों, गुफाओं, स्थलों, प्रवाल, वन्यजीव, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें परिरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिकांशता के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाई जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल - पारिस्थितिकी संवेदी जोंत में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएँ तैयार करनी होंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।

(6) ध्वनि प्रदूषण - ध्वनि प्रदूषण - पारिस्थितिक संवेदी जोंत में निवारण और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन ध्वनि (नियंत्रण और नियंत्रण) नियम 2000 के अनुसार संकल्पित किया जाएगा।

(7) वायु प्रदूषण - पारिस्थितिकी संवेदी जोंत में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, या बिहार राज्य पर्यावरण संरक्षण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(8) बहिष्कार का निस्सारण - पारिस्थितिक संवेदी जोंत में उपचारित बहिष्कार का निस्सारण साधारण मानकों के लिए पर्यावरणीय प्रदूषित आच्छादित के निस्सारण के अंतर्गत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) टोस अपशिष्ट - टोस अपशिष्टों का निपटारा निम्नलिखित रूप में होगा -

- (i) पारिस्थितिकी संवेदी जोंत में टोस अपशिष्टों का निपटारा भारत सरकार के तकनीकी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा सशोध्यत अधिसूचना सं. का.अ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिका टोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;
- (ii) अकार्बनिक सामग्री का निपटारा पारिस्थितिकी संवेदी जोंत के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकार्य रीति में होगा;
- (iii) पारिस्थितिकी संवेदी जोंत में टोस अपशिष्टों को जलाना या अस्वीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) जीव बिकिर्तीय अपशिष्ट - पारिस्थितिकी संवेदी जोंत में जीव बिकिर्तीय अपशिष्टों का निपटारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोध्यत अधिसूचना जि.एन. आर 343 (ब)

तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव विविधता अधिनियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा, और पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई साधारण उपचार सुविधा या मत्स्योद्योग अनुज्ञापन नहीं किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन:** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर प्रकाशित अधिसूचना आ.आ.मि. 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन:** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर प्रकाशित अधिसूचना आ.आ.मि. 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट:** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंध का निपटारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर प्रकाशित ई-अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **राष्ट्रीय परिषद्:** - परिषद् की राष्ट्रीय समितियों आवास के अनुपलब्ध होने में विनिश्चित तारीख और इस संबंध में आधिकारिक महासंज्ञा में विनिर्दिष्ट उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और ऐसे समय तक आधिकारिक महासंज्ञा के तैयार होनी हैं और राज्य सरकार के सहाय प्रशासकी द्वारा अनुमोदित होने तक, विपदायुक्त स्थिति सुसंगत अधिनियमों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार राष्ट्रीय समितियों के अनुपालन को निर्धारित होगी।

(15) **औद्योगिक इकाईएँ:** - (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में बिधि के अनुसार स्थापित विद्यमान बाध आधारीत उद्योगों के विनाश एवं कर्म-आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञापन नहीं किया जाएगा।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञापन नहीं किया जाएगा।

(16) **राष्ट्रीय प्रदूषण:** - लागू विधियों के अनुसार बाह्य प्रदूषण की निवारण और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। मध्यमक ईंधन उपकरण के लिए सीएनडी, एलपीजी, आदि के उपयोग के लिए प्रदान किए जाएंगे।

(17) **पहाड़ी इलाकों को संरक्षण:** - पहाड़ी इलाकों का संरक्षण विज्ञानानुसार होगा:

(क) आधिकारिक महासंज्ञा में पहाड़ी इलाकों पर क्षेत्रों को उपस्थित किया जाएगा जहाँ किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी इलाकों या इलाकों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(18) **केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार,** यदि यह अधिनियम लागू है, इस अधिनियम के उपबंधों को उपाधी करने से राज्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

4. **पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनिश्चित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और राष्ट्रीय विनियमन जोन (सीजेजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), कृषि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) और उसके लिए गए संशोधनों सहित द्वारा शासित होने और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनिश्चित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाईएँ।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (सूखे और बूझा खनन), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाईएँ प्रतिषिद्ध हैं, विधायक विधायियों की वास्तविक धरोखू आश्वासनाओं के नहीं होतीं, जिनके अंतर्गत गूहा के संनिर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई और वास्तविक उपयोग के लिए गूहों के निर्माण के लिए किसी उपाधी का इस्तेमाल नहीं है। (ख) खनन सक्रियता, मानवीय उद्योग स्थापान की रिट वाचिका (सिबिन) नं. 1995 का 202 रीति में आदेशित विनियमन बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त 2006 और रिट वाचिका (सी) नं. 2012 का 435 सीवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल 2014 के आदेश के अनुसार में सर्वदा प्रचालन होगा।

2.	प्रदूषण (जल वा वायु वा ध्वनि) को नियंत्रित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	(क) कोई नया उद्योग वा पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। (ख) पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में 'परिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों में केवल गैर-प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा, जब तक कि इन अधिसूचना से इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो।
3.	सूखे जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	जागू विधियों के अनुसार प्रतिबंधित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होगी।
4.	किसी परियोजनागत महापर्वों का उपयोग वा उत्पादन वा प्रसारण।	जागू विधियों के अनुसार प्रतिबंधित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होगी।
5.	प्राकृतिक जल निकासों वा धूमि क्षेत्र में अनुपचारित कृषिखर्ब का निष्कारण।	जागू विधियों के अनुसार प्रतिबंधित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होगी।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	जलावन सफाई का पारिस्थितिक उपयोग।	जागू विधियों के अनुसार प्रतिबंधित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होगी।
8.	ईंधन भण्डों की स्थापना करना।	जागू विधियों के अनुसार प्रतिबंधित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होगा।
घ. विनियमित कियाकलाप		
9.	बाणिज्यिक होटलों और रिमोटों का स्थापना।	पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन कियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के लिए अनुसंधानी आवास के संरक्षित क्षेत्र बाधनीक टाइगर रिजर्व की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर नए बाणिज्यिक होटलों और रिमोटों की स्थापना अनुज्ञात होगी, परंतु, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र के विस्तार तक सभी नए पर्यटन कियाकलापों वा विद्यमान कियाकलापों के विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्यापक संरक्षण प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा।
10.	पर्यटन से संबंधित कियाकलाप करना जैसे नदी वायु गुम्बारे, हेल्मीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोसाइटम आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र क्षेत्र के ऊपर से उड़ना।	जागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होगी।
11.	संनिर्माण कियाकलाप।	संरक्षित क्षेत्र की एक किलोमीटर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के नए बाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। परंतु स्थानीय लोगों की पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध कियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुज्ञा दी जाएगी। (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुख-सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत घासीय उद्योग हैं; सुविधा भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन में जिस में गृह वास भी है सहायक हो; और (iv) इन अधिसूचना से सूचीबद्ध संरक्षित कियाकलापों की सूची।
12.	बुधों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्ण अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी वा राजस्व वा निजी भूमि पर वा वनों में किसी बुधों की कटाई नहीं होगी। (ख) बुधों की कटाई संबंधित केंद्रीय वा राज्य अधिनियम वा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
13.	वन उत्पादों, छोटा चारा बर्तन और गैर बांध वन उत्पादों (एनटीपीएफ) का संग्रहण।	जागू विधियों के अधीन विनियमित होगी।

14.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों बिछाना तथा अन्य बुनियादी ढांचे।	सागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। (सुविगत केवल विद्युत जाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
15.	प्राकृतिक जल निकासों भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्लाभों का निस्सारण।	उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्लाभों के निस्सारण को जल निकासों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा जब उपचारित अपशिष्ट जल के पुनःसंचयन और पुनः उपयोग के लिए किए जाने वाले प्रथम सागू विधियों के अनुसार उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्लाभ का निस्सारण विनियमित किया जाएगा।
15.	विद्यमान मछली को बीड़ा करना और उन्हें सुदृढ़-करना तथा नई मछली का संनिर्माण।	सागू विधियों के अनुसार समुचित पर्यावरण संघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे।
17.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	सागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
18.	राजि में पारिस्थितिक बाधापात का संयोजन।	सागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
19.	सातह और गुजलर के आणित्मिक निष्करण।	सागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
20.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	सागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
21.	पौधों-वैद्यों का उपयोग।	सागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
22.	आणित्मिक सुचना-पट्ट और ट्रेडिंग।	सागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
23.	होमो और लोड का विद्यमान परिवारों में बाँट लयाना।	सागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
24.	नदी या प्राकृतिक जल निकासों में मछली पकड़ना।	सागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन।	सागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	पुरुषा केन्द्रों की स्थापना।	सागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	सागरिक सुख बुनियादी संश्लि बुनियादी ढांचे।	सागू विधियों निचयों और विनियमों मार्गी सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, और उपलब्ध किए जाएंगे।
28.	खूने दुआ, बोर कुज, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग।	सागू विधियों के अधीन विनियमित और प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की मछली से निगरानी की जाएगी।
29.	टोरा अपशिष्ट प्रबंधन/जैव-विकल्पित अपशिष्ट प्रबंधन।	सागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
30.	पारिस्थितिक पर्यटन।	सागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
ग. संबंधित क्रियाकलाप		
31.	अर्ध जल संयोजन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय निवासियों के उपयोग के लिए सागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
33.	त्रैविक कृषि।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	सभी त्रिभुजियों के लिए हरित दौड़ोमिती को अंतर्भूत करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि उद्योगों जिनके अंतर्गत शमीय कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिष्कृत में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिक संवेदी जल से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सहम प्राधिकारी द्वारा अनुमति होंगे।
37.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश आदि को बढ़ावा दिया जाना है।
38.	कृषि शक्ति।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	पारिस्थितिक-अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

40.	सौजन्य विकास ।	सक्रिय रूप में बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	वित्तीय सहायता अथवा ऋण की आवश्यकता को पूरा करना ।	सक्रिय रूप में बढ़ावा दिया जाएगा ।
42.	पर्यावरणीय जागरूकता ।	सक्रिय रूप में बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. निगरानी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रभावी निगरानी के लिए एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित में मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- (i) आयुक्त, किराहूट मुजफ्फरपुर प्रभाग - अध्यक्ष ;
- (ii) क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकी टाइटन रिजर्व, पश्चिम चंपारण - सदस्य ;
- (iii) जिला मजिस्ट्रेट, पश्चिमी चंपारण - सदस्य ;
- (iv) बिहार सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र एक विशेषज्ञ - सदस्य ;
- (v) (प्राकृतिक विरामत संरक्षण सहित पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले) गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि जिसे बिहार सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य ;
- (vi) सदस्य सचिव या सदस्य, बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड - सदस्य ;
- (vii) क्षेत्रीय अधिकारी, बिहार प्रदूषण नियंत्रण-बोर्ड - सदस्य ;
- (viii) बिहार सरकार के राजस्व विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य ;
- (ix) बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य ;
- (x) बिहार सरकार के खान और भू-विज्ञान का प्रतिनिधि - सदस्य ;
- (xi) बिहार सरकार के कृषि विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य ;
- (xii) बिहार सरकार के पशु एवं मछली संसाधन विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य ;
- (xiii) भागीय जन अधिकारी, वाल्मीकी टाइटन रिजर्व प्रभाग-I/II, तीन साल की अवधि के लिए - सदस्य सचिव ।

6. निर्देश निर्बंधन- (1) निगरानी समिति का कार्यकाल आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन समितियों इन अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार का निगरानी करेगा।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इन अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थानीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकायों के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थानीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विकल्प, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवार काइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगठनों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहभागिता के लिए आमंत्रित कर सकती।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्यवाही रिपोर्टें उपाबंध III पर उपाबंध रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केंद्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए सभ्यता-आय पर रिये निर्देश दे सकेगा, जो बहु-ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।


8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/197/2015-ईएसवेड-आरडी]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-1

वाल्मीकी बन्धजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व, बिहार के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



बाल्मीकि टाइगर रिजर्व की सीमा के भू निर्देशांक (बाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान सहित)

क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर
1	27° 9' 25.366" उ	84° 2' 17.475" पू
2	27° 12' 10.620" उ	83° 59' 18.233" पू
3	27° 15' 6.225" उ	83° 54' 20.563" पू
4	27° 19' 6.074" उ	83° 50' 10.006" पू
5	27° 22' 27.377" उ	83° 53' 1.327" पू
6	27° 25' 33.688" उ	83° 49' 52.873" पू
7	27° 26' 55.066" उ	83° 56' 22.629" पू
8	27° 26' 46.500" उ	84° 2' 48.102" पू
9	27° 31' 1.340" उ	84° 6' 13.687" पू
10	27° 30' 44.208" उ	84° 9' 11.433" पू
11	27° 26' 44.283" उ	84° 9' 11.433" पू
12	27° 26' 46.641" उ	84° 15' 11.208" पू
13	27° 22' 8.103" उ	84° 25' 55.804" पू
14	27° 20' 18.886" उ	84° 37' 12.522" पू
15	27° 17' 25.423" उ	84° 39' 12.447" पू
16	27° 15' 55.479" उ	84° 37' 31.796" पू
17	27° 17' 12.574" उ	84° 34' 12.635" पू
18	27° 17' 53.263" उ	84° 27' 10.757" पू
19	27° 17' 31.848" उ	84° 24' 19.435" पू
20	27° 17' 23.282" उ	84° 22' 34.501" पू
21	27° 16' 53.300" उ	84° 19' 45.321" पू
22	27° 19' 38.197" उ	84° 18' 45.359" पू
23	27° 16' 44.734" उ	84° 18' 19.661" पू
24	27° 16' 4.045" उ	84° 10' 43.518" पू
25	27° 16' 31.885" उ	84° 7' 56.622" पू
26	27° 14' 42.668" उ	84° 7' 54.338" पू
27	27° 17' 29.706" उ	84° 5' 0.876" पू
28	27° 18' 33.952" उ	84° 3' 0.951" पू
29	27° 17' 46.838" उ	83° 58' 48.252" पू
30	27° 20' 36.018" उ	83° 59' 48.215" पू
31	27° 21' 23.131" उ	83° 56' 50.469" पू
32	27° 22' 35.943" उ	83° 54' 22.704" पू

Sec. 3(1)
Part I - C

[भाग II-खण्ड 3(1)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

11

33	27° 25' 10.132" उ	83° 54' 3.431" पू
34	27° 21' 29.556" उ	83° 55' 18.384" पू
35	27° 13' 25.573" उ	84° 0' 33.186" पू

बाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू निर्देशांक (बाल्मीकि बन्धुजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान सहित)

वार्ड नं०	अक्षांश	देशांतर
1	27° 12' 5.773" उ	84° 40' 55.551" पू
2	27° 12' 51.851" उ	84° 41' 25.219" पू
3	27° 17' 4.785" उ	84° 39' 20.464" पू
4	27° 15' 44.679" उ	84° 37' 45.227" पू
5	27° 17' 57.457" उ	84° 37' 5.844" पू
6	27° 16' 46.292" उ	84° 35' 13.459" पू
7	27° 19' 15.318" उ	84° 34' 19.321" पू
8	27° 18' 14.447" उ	84° 30' 8.621" पू
9	27° 18' 27.344" उ	84° 23' 4.392" पू
10	27° 18' 33.990" उ	84° 20' 30.961" पू
11	27° 17' 18.249" उ	84° 20' 24.842" पू
12	27° 19' 29.500" उ	84° 18' 29.292" पू
13	27° 16' 9.877" उ	84° 18' 25.649" पू
14	27° 16' 39.393" उ	84° 15' 55.437" पू
15	27° 18' 50.238" उ	84° 13' 20.246" पू
16	27° 20' 41.656" उ	84° 12' 45.124" पू
17	27° 19' 36.535" उ	84° 11' 47.948" पू
18	27° 22' 39.295" उ	84° 11' 25.432" पू
19	27° 19' 55.185" उ	84° 10' 46.601" पू
20	27° 22' 14.572" उ	84° 8' 36.725" पू
21	27° 24' 28.758" उ	84° 10' 6.547" पू
22	27° 23' 24.870" उ	84° 8' 49.930" पू
23	27° 24' 56.308" उ	84° 5' 16.298" पू
24	27° 23' 26.740" उ	84° 7' 20.044" पू
25	27° 21' 4.173" उ	84° 7' 59.693" पू
26	27° 16' 54.164" उ	84° 14' 28.275" पू
27	27° 16' 39.658" उ	84° 12' 28.660" पू
28	27° 15' 56.878" उ	84° 7' 23.943" पू

29	27° 14' 44.735" ॐ	84° 8' 6.938" ॐ
30	27° 17' 28.542" ॐ	84° 6' 25.971" ॐ
31	27° 18' 22.154" ॐ	84° 4' 24.673" ॐ
32	27° 19' 33.968" ॐ	84° 1' 26.838" ॐ
33	27° 17' 15.738" ॐ	83° 58' 22.177" ॐ
34	27° 20' 40.526" ॐ	83° 59' 49.357" ॐ
35	27° 21' 29.327" ॐ	83° 56' 49.394" ॐ
36	27° 22' 58.638" ॐ	83° 56' 28.349" ॐ
37	27° 22' 51.589" ॐ	83° 55' 15.604" ॐ
38	27° 22' 30.668" ॐ	83° 54' 36.868" ॐ
39	27° 24' 23.536" ॐ	83° 55' 12.342" ॐ
40	27° 26' 33.029" ॐ	83° 55' 37.902" ॐ
41	27° 26' 4.096" ॐ	83° 54' 15.841" ॐ
42	27° 24' 36.498" ॐ	83° 52' 57.164" ॐ
43	27° 23' 10.224" ॐ	83° 53' 8.019" ॐ
44	27° 20' 47.223" ॐ	83° 53' 29.658" ॐ
45	27° 20' 45.170" ॐ	83° 55' 38.714" ॐ
46	27° 17' 16.382" ॐ	83° 56' 39.323" ॐ
47	27° 16' 8.220" ॐ	83° 57' 50.979" ॐ
48	27° 14' 18.698" ॐ	83° 59' 6.100" ॐ
49	27° 12' 24.492" ॐ	84° 1' 25.880" ॐ
50	27° 10' 32.878" ॐ	84° 2' 12.566" ॐ
51	27° 10' 27.347" ॐ	83° 59' 49.816" ॐ
52	27° 8' 25.973" ॐ	83° 57' 47.993" ॐ
53	27° 7' 18.514" ॐ	84° 2' 22.227" ॐ
54	27° 8' 56.865" ॐ	84° 3' 32.695" ॐ
55	27° 8' 20.234" ॐ	84° 5' 1.133" ॐ
56	27° 12' 51.887" ॐ	84° 5' 4.849" ॐ
57	27° 11' 38.547" ॐ	84° 9' 35.276" ॐ
58	27° 13' 55.119" ॐ	84° 12' 57.305" ॐ
59	27° 12' 39.678" ॐ	84° 14' 2.801" ॐ
60	27° 13' 45.089" ॐ	84° 16' 55.020" ॐ
61	27° 13' 4.504" ॐ	84° 19' 16.517" ॐ
62	27° 15' 31.535" ॐ	84° 23' 0.120" ॐ
63	27° 14' 18.833" ॐ	84° 25' 30.118" ॐ

64	27° 15' 51.499" उ	84° 27' 57.564" पू
65	27° 14' 35.962" उ	84° 30' 57.877" पू
66	27° 14' 7.768" उ	84° 33' 48.043" पू
67	27° 15' 3.240" उ	84° 35' 30.451" पू
68	27° 13' 5.323" उ	84° 36' 56.632" पू
69	27° 14' 12.883" उ	84° 39' 47.730" पू
70	27° 12' 5.773" उ	84° 40' 55.551" पू

उपाबंध-II

बाल्मीकि बाघ आरक्षिती (बाल्मीकि बन्धुजीव अभयारण्य और बाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान शामिल) के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची सहित भू निर्देशांकों

क्र.सं.	ग्राम	अक्षांश	देशांतर
1	गुडगुडी	27° 13' 31.581" उ	84° 14' 24.102" पू
2	अमरडीह बरगोन	27° 14' 54.204" उ	84° 14' 12.857" पू
3	कहुनिया (गैर-आबाद)	27° 14' 44.496" उ	84° 15' 26.303" पू
4	संतपुर	27° 15' 28.222" उ	84° 13' 14.684" पू
5	गोबर घाना	27° 19' 18.232" उ	84° 18' 45.830" पू
6	मणकल	27° 14' 54.254" उ	84° 20' 45.237" पू
7	आरानवा	27° 15' 16.313" उ	84° 20' 36.026" पू
8	चरिहरवा	27° 14' 7.646" उ	84° 17' 37.277" पू
9	पाथरी	27° 14' 23.966" उ	84° 16' 31.744" पू
10	सीवरडी	27° 15' 57.172" उ	84° 14' 52.280" पू
11	परसीनी	27° 16' 6.524" उ	84° 20' 6.795" पू
12	पोखरिया	27° 16' 20.184" उ	84° 20' 59.836" पू
13	वैकुण्ठ	27° 17' 28.968" उ	84° 20' 47.052" पू
14	घोराघाट खैरा	27° 17' 59.877" उ	84° 19' 13.365" पू
15	कुमहीया कलान	27° 13' 52.302" उ	84° 15' 33.549" पू
16	चुरीहरवा	27° 13' 49.841" उ	84° 13' 34.691" पू
17	डैरनवा	27° 22' 38.885" उ	84° 11' 5.601" पू
18	हापुर	27° 14' 57.192" उ	84° 21' 35.413" पू
19	बनरावा	27° 15' 15.431" उ	84° 17' 29.509" पू
20	शिरिया	27° 16' 55.758" उ	84° 19' 43.554" पू
21	बगही	27° 16' 22.199" उ	84° 17' 38.672" पू
22	दुपरी	27° 16' 43.580" उ	84° 15' 47.272" पू
23	बनवा	27° 15' 1.822" उ	84° 19' 19.118" पू

24	मलमौली	27° 19' 47.420" उ	83° 58' 50.250" पू
25	मौली	27° 20' 35.905" उ	83° 58' 35.992" पू
26	पीपली	27° 8' 39.736" उ	84° 5' 35.245" पू
27	गोइटी	27° 8' 58.322" उ	84° 4' 30.466" पू
28	सुखवन	27° 8' 56.881" उ	84° 3' 48.586" पू
29	झीसनी	27° 9' 49.536" उ	84° 3' 0.794" पू
30	बरवन	27° 9' 32.233" उ	84° 5' 16.883" पू
31	बनमगनव	27° 10' 6.821" उ	84° 4' 13.210" पू
32	सवेया मुसाई	27° 10' 44.788" उ	84° 4' 33.933" पू
33	बौरीदोरी	27° 10' 33.521" उ	84° 3' 34.310" पू
34	फर्महनी	27° 11' 31.924" उ	84° 4' 18.666" पू
35	नाकर रामपुर	27° 11' 47.946" उ	84° 2' 17.099" पू
36	जामुनापुर	27° 11' 40.598" उ	84° 3' 47.057" पू
37	पथेरवा	27° 12' 23.448" उ	84° 4' 26.344" पू
38	वीपरा धारीली	27° 12' 31.383" उ	84° 3' 20.512" पू
39	पाईकौलिया	27° 12' 23.915" उ	84° 9' 5.925" पू
40	रामौलिया	27° 12' 55.367" उ	84° 8' 47.796" पू
41	मेदरील	27° 13' 4.273" उ	84° 8' 24.781" पू
42	पौरहा	27° 13' 30.349" उ	84° 5' 45.437" पू
43	नेदाकम फसो	27° 13' 32.397" उ	84° 4' 31.398" पू
44	बुधसर	27° 13' 54.172" उ	84° 1' 57.475" पू
45	केराई बेराई	27° 13' 45.535" उ	84° 0' 50.311" पू
46	मरजादपुर	27° 13' 40.968" उ	84° 9' 45.580" पू
47	नवनतबन	27° 14' 12.847" उ	84° 6' 17.274" पू
48	टीकुलिया	27° 14' 15.797" उ	84° 5' 40.992" पू
49	बतसारा	27° 14' 10.070" उ	84° 0' 25.384" पू
50	बाईरली	27° 14' 26.531" उ	84° 11' 53.221" पू
51	गनीलिया	27° 14' 39.006" उ	84° 7' 48.033" पू
52	धारागुहा	27° 14' 22.574" उ	84° 7' 5.390" पू
53	सिधावा	27° 14' 32.964" उ	84° 1' 27.949" पू
54	बामौरा	27° 15' 15.767" उ	84° 5' 0.593" पू
55	बाईरानी सोलबरमा	27° 15' 3.492" उ	84° 10' 54.153" पू
56	बेताहवा	27° 15' 28.635" उ	83° 59' 25.991" पू
57	धमहन	27° 16' 11.146" उ	83° 59' 29.691" पू
58	जरर	27° 15' 40.067" उ	84° 2' 34.395" पू

59	पोखरमीला	27° 8' 11.825" उ	84° 3' 57.124" पू
60	नीपनिया	27° 8' 50.842" उ	84° 5' 19.002" पू
61	अमरीह	27° 9' 33.963" उ	84° 4' 40.036" पू
62	संगलपुर	27° 9' 27.284" उ	84° 2' 57.232" पू
63	पोखरमीला	27° 9' 58.653" उ	84° 5' 30.814" पू
64	साखीई	27° 10' 2.353" उ	84° 5' 4.807" पू
65	नयागलवा	27° 10' 14.511" उ	84° 2' 45.934" पू
66	धारमीली	27° 11' 4.391" उ	84° 4' 58.645" पू
67	रामपुर	27° 11' 4.231" उ	84° 2' 26.827" पू
68	आनकौल	27° 12' 20.636" उ	84° 6' 57.091" पू
69	दुधौरा	27° 13' 2.543" उ	84° 2' 14.876" पू
70	रामपुरवा	27° 11' 38.487" उ	84° 1' 40.469" पू
71	खुरहरिया	27° 13' 12.112" उ	84° 6' 44.651" पू
72	भीपरा	27° 13' 30.702" उ	84° 11' 34.739" पू
73	बीबनिया	27° 13' 28.097" उ	84° 2' 57.682" पू
74	बाईराईदीह	27° 14' 1.895" उ	84° 3' 20.192" पू
75	बलकाहुवा	27° 13' 51.769" उ	84° 11' 44.778" पू
76	मेराहवा	27° 13' 51.334" उ	84° 10' 51.138" पू
77	समरा	27° 13' 19.949" उ	84° 7' 36.761" पू
78	बरबनव	27° 14' 9.491" उ	84° 12' 39.168" पू
79	रतनपुरवा	27° 14' 38.347" उ	84° 9' 53.159" पू
80	नझमीपुर	27° 14' 59.044" उ	84° 9' 21.239" पू
81	बरवा खुर्द	27° 15' 22.907" उ	84° 4' 22.275" पू
82	सीनागही	27° 15' 34.921" उ	84° 1' 51.062" पू
83	पुलनवा	27° 14' 43.605" उ	83° 58' 42.101" पू
84	बली	27° 15' 25.598" उ	84° 0' 59.008" पू
85	बिहार	27° 15' 37.706" उ	84° 0' 19.712" पू
86	सीमरीनिया	27° 15' 39.230" उ	84° 3' 30.641" पू
87	सीउताता	27° 15' 18.429" उ	84° 12' 19.929" पू
88	डोनबनवा	27° 15' 41.111" उ	84° 8' 38.409" पू
89	भेवाही	27° 16' 14.428" उ	84° 5' 16.640" पू
90	हथीबनबन	27° 16' 9.282" उ	84° 7' 31.411" पू
91	मरकही	27° 16' 37.405" उ	84° 2' 11.735" पू
92	कावमहा	27° 16' 26.177" उ	84° 12' 42.291" पू
93	केराई	27° 16' 51.419" उ	83° 57' 41.849" पू

94	धुरीली	27° 16' 45.120" उ	83° 58' 28.247" पू
95	मोहना	27° 16' 41.485" उ	84° 0' 32.482" पू
96	भरडी	27° 16' 47.815" उ	84° 3' 20.182" पू
97	भौरगिया	27° 17' 8.994" उ	83° 56' 59.962" पू
98	कुनाई लक्ष्मीपुर	27° 17' 12.098" उ	84° 5' 30.383" पू
99	मैताहा/मोडिया	27° 16' 56.446" उ	84° 6' 20.230" पू
100	बेराई	27° 17' 40.416" उ	83° 57' 54.484" पू
101	अमोलवा	27° 17' 35.170" उ	84° 3' 3.624" पू
102	अमवा	27° 17' 41.792" उ	83° 59' 9.730" पू
103	तरीबतवा	27° 17' 17.814" उ	84° 4' 29.315" पू
104	कपरवा	27° 18' 11.060" उ	83° 59' 18.625" पू
105	हरनातगर	27° 18' 7.428" उ	84° 1' 2.389" पू
106	द्वेनाहा	27° 18' 49.214" उ	83° 58' 17.099" पू
107	पंदरखाप	27° 18' 20.665" उ	84° 3' 4.264" पू
108	डरडी	27° 18' 19.592" उ	83° 57' 17.258" पू
109	महुदेवा	27° 19' 5.337" उ	84° 1' 28.441" पू
110	नारायणवापुर	27° 20' 8.509" उ	83° 57' 52.310" पू
111	शीजलाहा	27° 20' 37.462" उ	83° 57' 8.152" पू
112	बलसमगवा	27° 20' 10.606" उ	83° 52' 16.482" पू
113	सोहरिया	27° 21' 38.242" उ	83° 56' 29.248" पू
114	दरौजादरी	27° 22' 56.532" उ	83° 55' 48.081" पू
115	भारही	27° 24' 58.987" उ	83° 52' 13.759" पू
116	नवातनवा	27° 15' 12.045" उ	84° 6' 9.701" पू
117	डेवरिया	27° 16' 12.972" उ	84° 4' 8.251" पू
118	काताहा	27° 16' 5.744" उ	84° 10' 8.709" पू
119	कोतराहा	27° 15' 31.149" उ	83° 56' 40.925" पू
120	भौनाहा	27° 16' 15.083" उ	84° 11' 34.009" पू
121	सतिपारिया	27° 16' 56.662" उ	83° 59' 22.438" पू
122	मीमरीलिया	27° 16' 6.250" उ	83° 55' 24.172" पू
123	आजोरिया	27° 17' 29.643" उ	84° 2' 26.318" पू
124	सेवरा	27° 18' 18.512" उ	84° 0' 20.122" पू
125	बरवा कलात	27° 18' 6.324" उ	84° 3' 57.229" पू
126	महुडवा	27° 18' 49.953" उ	83° 59' 16.865" पू
127	पीधरत	27° 19' 14.538" उ	83° 58' 17.217" पू
128	घाईरिया कलात	27° 19' 5.044" उ	84° 2' 24.649" पू

129	बैकलव	27° 19' 19.457" उ	84° 0' 39.161" पू
130	चमगापुर	27° 19' 31.580" उ	83° 56' 44.874" पू
131	झरहरवा	27° 19' 42.631" उ	83° 54' 23.630" पू
132	गोरर	27° 20' 34.421" उ	83° 59' 29.608" पू
133	परमोनी	27° 21' 41.685" उ	83° 54' 33.327" पू
134	सतपुर	27° 22' 38.169" उ	83° 56' 36.178" पू
135	रामपुरवा	27° 22' 47.434" उ	83° 53' 46.258" पू
136	लड्डीपुर	27° 23' 2.729" उ	83° 54' 55.027" पू
137	कोताराहा	27° 23' 48.675" उ	83° 54' 25.848" पू
138	पीपरा	27° 24' 25.550" उ	83° 54' 15.115" पू
139	कालपनी	27° 26' 1.688" उ	83° 56' 56.895" पू
140	भाईसालोनन	27° 25' 26.084" उ	83° 55' 25.514" पू
141	छातगौल	27° 17' 13.167" उ	84° 1' 6.405" पू
142	करमाहा	27° 13' 32.225" उ	84° 1' 42.592" पू
143	शिवराहा	27° 14' 22.128" उ	84° 8' 39.134" पू
144	शेरपुर	27° 17' 23.420" उ	84° 24' 54.505" पू
145	परसा	27° 15' 57.863" उ	84° 23' 9.632" पू
146	परसा	27° 16' 37.454" उ	84° 30' 51.815" पू
147	मीतबरमा	27° 17' 25.828" उ	84° 22' 7.735" पू
148	मीरमिया	27° 17' 17.897" उ	84° 24' 10.657" पू
149	मतिवारिया	27° 17' 51.586" उ	84° 23' 19.044" पू
150	महौवा	27° 18' 22.987" उ	84° 21' 9.174" पू
151	मुआथाहा	27° 18' 18.105" उ	84° 25' 11.370" पू
152	परसा	27° 18' 49.494" उ	84° 20' 33.235" पू
153	मनदीह	27° 15' 10.665" उ	84° 31' 28.847" पू
154	कालहा	27° 19' 22.712" उ	84° 33' 33.904" पू
155	हरदी	27° 14' 46.192" उ	84° 24' 46.811" पू
156	केलसनदी	27° 15' 5.786" उ	84° 25' 40.403" पू
157	रामहरिया	27° 14' 29.226" उ	84° 33' 44.799" पू
158	गेरहवा	27° 16' 56.19" उ	84° 30' 40.373" पू
159	पकरी बलान	27° 15' 43.418" उ	84° 25' 58.068" पू
160	पकरी बई	27° 15' 42.282" उ	84° 25' 15.179" पू
161	गुजरा मोठीहरी	27° 16' 10.537" उ	84° 21' 39.783" पू
162	तहकील	27° 16' 23.455" उ	84° 25' 43.281" पू
163	साया	27° 16' 15.472" उ	84° 28' 51.466" पू

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

(PART II—Sec. 3(a))

18

164	रजली	27° 16' 41.091" उ	84° 31' 45.240" पू
165	बन्निखरवा	27° 16' 49.825" उ	84° 23' 36.388" पू
166	बनबहादुर	27° 16' 59.884" उ	84° 25' 56.185" पू
167	सुपीन	27° 16' 56.320" उ	84° 35' 30.080" पू
168	पीपरी	27° 16' 46.352" उ	84° 27' 43.173" पू
169	भालनी	27° 17' 1.245" उ	84° 35' 0.656" पू
170	बिजयपुर	27° 17' 15.534" उ	84° 26' 32.275" पू
171	शंखोलिया	27° 17' 11.607" उ	84° 33' 26.444" पू
172	देवरहा	27° 17' 4.199" उ	84° 34' 18.569" पू
173	दीमत	27° 17' 41.491" उ	84° 32' 17.683" पू
174	राजपुर	27° 17' 45.519" उ	84° 33' 40.837" पू
175	हाकलवा	27° 18' 9.650" उ	84° 30' 1.344" पू
176	झरनी	27° 18' 13.039" उ	84° 28' 0.549" पू
177	जमहीली महाखोमीन	27° 18' 19.061" उ	84° 28' 35.330" पू
178	महाखोमीन	27° 18' 35.979" उ	84° 33' 13.686" पू
179	बनबल	27° 18' 47.570" उ	84° 34' 7.654" पू
180	काईरी	27° 18' 59.083" उ	84° 32' 37.709" पू
181	काईरी	27° 15' 22.152" उ	84° 22' 17.354" पू
182	बनझरवा	27° 15' 32.791" उ	84° 24' 31.068" पू
183	पीपलिया	27° 15' 42.225" उ	84° 29' 52.463" पू
184	बाईरिया	27° 15' 28.734" उ	84° 29' 1.360" पू
185	लखमीपुर	27° 15' 23.265" उ	84° 34' 46.010" पू
186	बाईरिया	27° 16' 14.219" उ	84° 22' 24.677" पू
187	पीसाई	27° 15' 58.934" उ	84° 31' 5.245" पू
188	सनहारिया	27° 15' 48.963" उ	84° 33' 54.902" पू
189	समहारिया	27° 16' 4.695" उ	84° 26' 49.843" पू
190	पहाकील	27° 15' 55.096" उ	84° 32' 4.260" पू
191	पहाकील	27° 16' 24.943" उ	84° 25' 3.419" पू
192	अलवा	27° 16' 25.612" उ	84° 22' 3.942" पू
193	रामपुरवा	27° 16' 18.124" उ	84° 30' 6.626" पू
194	विष्णुपुरवा	27° 16' 39.216" उ	84° 26' 53.496" पू
195	नवमाहा	27° 16' 36.224" उ	84° 34' 16.191" पू
196	हाबौरा	27° 16' 29.320" उ	84° 35' 7.829" पू
197	बसवारिया	27° 16' 21.701" उ	84° 28' 16.962" पू
198	बामुनिया	27° 16' 22.126" उ	84° 33' 33.573" पू

199	महोई	27° 16' 52.553" उ	84° 22' 30.101" पू
200	रतनपुरवा	27° 16' 44.028" उ	84° 32' 26.497" पू
201	गवानाहा	27° 17' 1.721" उ	84° 34' 41.300" पू
202	हरपुर	27° 16' 50.188" उ	84° 29' 38.658" पू
203	नेमरी	27° 17' 3.188" उ	84° 28' 44.958" पू
204	परमौनी	27° 16' 45.727" उ	84° 36' 37.114" पू
205	दीहजगरनाथपुर	27° 17' 16.879" उ	84° 27' 12.821" पू
206	गवानाहा	27° 17' 12.096" उ	84° 31' 6.936" पू
207	दुरिया	27° 17' 14.136" उ	84° 32' 10.856" पू
208	बाईरिया	27° 17' 21.963" उ	84° 35' 2.017" पू
209	रूपौलिया	27° 17' 30.827" उ	84° 30' 19.019" पू
210	बेनाहनिया	27° 17' 41.498" उ	84° 34' 20.931" पू
211	बिंशुनपुरवा	27° 18' 8.064" उ	84° 32' 19.260" पू
212	घरम्पुर	27° 18' 10.231" उ	84° 33' 10.802" पू
213	भावनीपुर	27° 17' 48.664" उ	84° 35' 29.047" पू
214	दुमरी	27° 17' 48.197" उ	84° 29' 11.793" पू
215	मोनखर	27° 18' 15.046" उ	84° 33' 51.792" पू
216	पीतरी	27° 18' 4.091" उ	84° 27' 32.750" पू
217	मगुराहा	27° 18' 6.349" उ	84° 31' 17.676" पू
218	इक्वा	27° 17' 53.054" उ	84° 36' 40.156" पू
219	सरकरवा	27° 17' 37.417" उ	84° 28' 21.789" पू
220	बोतगोनत	27° 17' 44.932" उ	84° 33' 6.931" पू
221	पचरोता	27° 13' 58.603" उ	84° 39' 13.576" पू
222	बीहाता	27° 13' 43.060" उ	84° 37' 12.457" पू
223	ओगला	27° 14' 24.176" उ	84° 38' 55.944" पू
224	शेकराहा	27° 13' 48.626" उ	84° 36' 33.844" पू
225	हरदिया	27° 14' 9.451" उ	84° 38' 0.361" पू
226	गमहरिया	27° 14' 46.076" उ	84° 37' 58.181" पू
227	पबगञ्जिया	27° 14' 59.143" उ	84° 38' 45.870" पू
228	पागारिया	27° 15' 15.024" उ	84° 38' 17.520" पू
229	बकरमेत	27° 15' 4.777" उ	84° 37' 32.609" पू
230	मनपुर	27° 16' 10.882" उ	84° 37' 40.326" पू
231	सोनहा	27° 15' 0.093" उ	84° 19' 55.860" पू
232	तरकरिया	27° 20' 10.461" उ	84° 10' 7.491" पू
233	मतीबरिया कुवात	27° 14' 21.095" उ	84° 19' 48.454" पू

234	मतीवरिया खुर्द	27° 13' 43.518" उ	84° 19' 53.107" पू
235	मधुबनी	27° 13' 57.438" उ	84° 18' 42.330" पू
236	मथिया	27° 14' 10.568" उ	84° 20' 44.498" पू
237	बरग	27° 15' 32.325" उ	84° 20' 8.932" पू
238	सीतगढ़ी	27° 15' 41.800" उ	84° 16' 25.251" पू
239	भनोहागबन	27° 17' 8.492" उ	84° 18' 23.002" पू
240	बनवरी	27° 18' 36.252" उ	84° 13' 44.088" पू
241	रूपबालिया	27° 22' 26.687" उ	84° 10' 14.544" पू
242	बरावा सीह	27° 22' 55.383" उ	84° 7' 9.247" पू
243	गोबरगढ़िया	27° 22' 42.107" उ	84° 8' 17.816" पू
244	झालरी	27° 23' 51.022" उ	84° 8' 54.503" पू
245	बेताहनी	27° 24' 23.360" उ	84° 9' 41.194" पू
246	बेताहनी	27° 24' 23.360" उ	84° 9' 41.194" पू
247	सजुरहा	27° 24' 34.839" उ	84° 7' 43.174" पू
248	धावर	27° 24' 29.230" उ	84° 9' 5.677" पू
249	गन्दी	27° 24' 50.816" उ	84° 5' 20.592" पू
250	नीरगिया	27° 24' 24.726" उ	84° 6' 27.375" पू
251	नीतनवा	27° 16' 57.604" उ	84° 16' 59.662" पू
252	हरीहरपुर	27° 17' 17.088" उ	84° 14' 14.798" पू
253	दमरापुर	27° 17' 48.426" उ	84° 15' 17.366" पू
254	रगिया	27° 20' 58.956" उ	84° 13' 53.258" पू
255	दोखनी	27° 20' 52.808" उ	84° 8' 52.766" पू
256	सेराहवा	27° 21' 39.330" उ	84° 10' 50.302" पू
257	धोबाहा	27° 22' 11.710" उ	84° 11' 49.799" पू
258	पीपरा	27° 23' 8.695" उ	84° 9' 4.150" पू
259	करमाहा	27° 23' 26.378" उ	84° 11' 7.111" पू
260	बेतातनवी	27° 23' 49.824" उ	84° 9' 35.030" पू
261	सीनवा	27° 16' 25.222" उ	84° 13' 36.496" पू
262	सीतलवरी	27° 20' 6.687" उ	84° 12' 41.445" पू
263	काताहा	27° 20' 3.835" उ	84° 10' 58.424" पू
264	बीरकेहनी	27° 13' 52.348" उ	84° 19' 17.827" पू
265	बकरी पकलखिया	27° 15' 32.606" उ	84° 18' 48.338" पू
266	सखीनी	27° 17' 50.872" उ	84° 17' 57.712" पू
267	बनारहा	27° 20' 43.113" उ	84° 10' 58.688" पू
268	बाइरिया कलात	27° 23' 16.101" उ	84° 7' 41.753" पू

269	हल्दी बाईरिया	27° 18' 8.876" उ	84° 21' 44.691" पू
270	बखरी	27° 18' 0.642" उ	84° 26' 34.477" पू
271	भनदीह	27° 18' 0.311" उ	84° 25' 41.362" पू
272	कपराज	27° 15' 5.937" उ	84° 32' 55.687" पू
273	बेलदीनी	27° 15' 59.003" उ	84° 32' 48.696" पू
274	परमानदा	27° 16' 47.162" उ	84° 33' 3.881" पू
275	नेराहवा	27° 16' 6.534" उ	84° 23' 56.857" पू
276	खुरहरिया	27° 16' 28.230" उ	84° 24' 34.410" पू
277	सेमसुपुर	27° 17' 41.387" उ	84° 34' 57.058" पू
278	खैरातिया	27° 17' 34.951" उ	84° 35' 44.963" पू
279	भतुलीला	27° 17' 48.134" उ	84° 38' 14.019" पू
280	बनवाईरिया	27° 15' 46.245" उ	84° 35' 42.242" पू
281	पुरैना	27° 15' 42.302" उ	84° 36' 39.802" पू
282	दरहिया	27° 14' 7.255" उ	84° 8' 11.392" पू
283	नरैनगड	27° 14' 38.528" उ	84° 2' 15.432" पू
284	बेगीना	27° 13' 23.494" उ	84° 3' 36.449" पू
285	वरवा	27° 13' 40.253" उ	84° 6' 28.736" पू
286	बकुलिया	27° 14' 32.074" उ	84° 4' 44.097" पू
287	मलीवा	27° 14' 38.160" उ	84° 3' 54.686" पू
288	बेहुरवा	27° 14' 36.684" उ	84° 3' 3.787" पू
289	जमीरा	27° 16' 1.674" उ	84° 6' 19.860" पू
290	मोनगहरवा	27° 19' 15.327" उ	83° 57' 24.090" पू
291	नाईरिया खुर्द	27° 18' 2.482" उ	84° 1' 49.359" पू
292	मनचुबनवा	27° 19' 31.316" उ	83° 59' 24.250" पू
293	कतफोरवा	27° 11' 11.318" उ	84° 3' 13.643" पू
294	गनधारिया	27° 14' 12.385" उ	84° 3' 29.949" पू
295	सेमरालाबेदाहा	27° 8' 46.645" उ	84° 0' 8.654" पू
296	केहुनिया झीह	27° 15' 45.604" उ	84° 31' 27.937" पू
297	पंचगरवा	27° 12' 45.365" उ	84° 6' 7.012" पू
298	गोरकवी	27° 11' 40.625" उ	84° 4' 51.301" पू
299	लीकर	27° 14' 38.776" उ	84° 36' 28.747" पू
300	बलकुली-पटखुली	27° 8' 30.00" उ	84° 3' 0.00" पू
301	नारायणपुर	27° 7' 48.00" उ	84° 3' 15.0" पू
302	पटना	27° 18' 30.25" उ	84° 20' 25.33" पू
303	बनपुमारी	27° 17' 20.30" उ	84° 18' 30.50" पू

304	मदनपुर	27° 14' 38.40" उ	84° 0' 30.5" पू
305	मीतलपुर	27° 13' 57.34" उ	84° 35' 41.674" पू
306	बिराची	27° 14' 35.324" उ	84° 35' 32.080" पू
307	भावनीपुर	27° 14' 12.710" उ	84° 34' 24.922" पू
308	बेनगारा	27° 15' 23.431" उ	84° 23' 4.571" पू
309	लक्ष्मीता(भाग)	27° 14' 48.687" उ	84° 23' 23.691" पू
310	तुरकौली	27° 14' 50.949" उ	84° 22' 49.358" पू
311	शाहजहांपुर	27° 15' 2.050" उ	84° 23' 53.090" पू
312	पीतनी	27° 15' 0.183" उ	84° 27' 8.670" पू
313	बलोआ	27° 15' 12.175" उ	84° 26' 36.975" पू
314	मथेमपुर	27° 14' 47.334" उ	84° 26' 21.985" पू
315	मनीहनी	27° 15' 24.168" उ	84° 27' 36.938" पू
316	कोहरगरी	27° 15' 30.164" उ	84° 28' 19.340" पू
317	रामपुर(भाग)	27° 13' 37.520" उ	84° 38' 13.824" पू
318	जसोली(भाग)	27° 13' 49.941" उ	84° 40' 0.472" पू
319	बहुलाहर(भाग)	27° 13' 15.677" उ	84° 36' 29.747" पू
320	बनकुडिया(भाग)	27° 12' 22.996" उ	84° 7' 41.673" पू
321	नरवल(भाग)	27° 10' 24.045" उ	84° 5' 28.449" पू
322	हुमरी	27° 11' 17.155" उ	84° 5' 12.483" पू
323	बुनदीनिया	27° 10' 47.276" उ	84° 5' 26.188" पू

उपाबंध III

पारिस्थितिकी संवेदी बोन निगरानी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विद्यमान

1. बैठकों की संख्या और तिथि।
2. बैठकों का सारांश : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का संक्षेप बताने के साथ बैठक के कार्यकाल की एक पृथक अनुबंध में उपाबंध करें।
3. आंचलिक महासंयोजता की तैयारी की प्रक्रिया जिसके अंतर्गत पर्यटन महासंयोजता।
4. प्र-अभिलेख में सदस्य बृद्धियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश।
5. पर्यावरण समावादात निर्धारण अधिनियम, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविधा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबंध किए जा सकते हैं।
6. पर्यावरण समावादात निर्धारण अधिनियम, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविधा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबंध किए जा सकते हैं।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

रजिस्ट्री सं. डी.एन.-33004/99

REGD. No. D. L-33004/99


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एन.-अ.-09072021-228199
 CG-DL-E-09072021-228199

असाधारण
 EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)(iv)

PART II—Section 3—Sub-section (1)(iv)

प्राधिकार से प्रकाशित
 PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2560]

No. 2560]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 9, 2021/आषाढ़ 18, 1943
 NEW DELHI, FRIDAY, JULY 9, 2021/ASHADHA 18, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2021

का.आ. 2765(ब).—केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित का.आ.सं. 3026 (ब), तारीख 13 सितंबर, 2017 द्वारा बिहार राज्य में बाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, बाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और बाल्मीकि बाघ रिज़र्व के आसपास पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचित किया;

और, बिहार सरकार के बाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, बाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और बाल्मीकि बाघ रिज़र्व पर्यावरण मंत्रालय से संशोधन के लिए अनुरोध किया;

और, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बिहार सरकार के अनुरोध की जांच की है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना में—

(1) पैरा 4 में, शीर्षक "क. प्रतिविद्ध क्रियाकलाप" के अधीन, तारखी में क्रमांक संख्या 1, और उसके संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्—

क्र. सं.	क्रियाकलाप	विवरण
(1)	(2)	(3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयाँ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर वास्तविक स्थानीय निवासियों की बड़े-बड़े आबरवकलाओं, जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विस्तार खनन (लघु और गृह्य खनन), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयाँ तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी। (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गोहावर्गन धिरूमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा।

(ii) पैरा 6 के उप-पैरा (1) में, "राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए", शब्दों के स्थान पर "जब तक आदेश होते तक, परंतु समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा" शब्द रखे जाएँ।

[क्र. सं. 25/197/2015-ईएनजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गडकोटी, वैज्ञानिक "जी"

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, जसाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3026 (ख), तारीख 13 सितंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 2021

S.O. 2765(E).—WHEREAS, by the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change published in the Gazette of India vide number S.O. 3026(E), dated the 13th September 2017, the Central Government notified an Eco-sensitive Zone (ESZ) surrounding the Valmiki Wildlife Sanctuary, Valmiki National Park and Valmiki Tiger Reserve in the State of Bihar

AND WHEREAS, the Government of Bihar vide its letter no. Wildlife-233, dated 27.04.2021 requested the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for an amendment;

AND WHEREAS, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change have examined the request of the Government of Bihar;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification, namely:—

In the said notification,—

- (i) In paragraph 4, in the TABLE, under the heading "A. Prohibited Activities", for serial number 1, and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

Sl. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
A. Prohibited Activities		
"1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bonafide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco-sensitive Zone. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012."

- (ii) In paragraph 6, in sub-paragraph (1), for the words "for a period of three years from the date of publication of this notification in Official Gazette", the words "till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time" shall be substituted.

[F. No. 25/197/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist "G"

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 3026 (E), dated the 13th, September 2017.

समाहरणालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

(खनन शाखा)

पत्रांक 620 / खनन, बेतिया, दिनांक 17.09.2021

श्रेष्ठ,

जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

सेवा में,

अध्यक्ष,

बिहार राज्य पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA),
बिहार, पटना।

विषय: वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अधिन पढ़ने वाले 18 बालूघाटों के पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) को रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग: निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 2833/एम., पटना, दिनांक 17.09.2021

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माह मार्च 2021 में वन संरक्षण-सह- क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक 415, दिनांक 19.03.2021 द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का. आ. 3026 (अ), दिनांक 13.09.2017 एवं माननीय हरित न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा O.A No. 82/19 (PSZ) में दिनांक 11.12.2019 को पारित आदेश के आलोक में वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के पारिस्थितिकी जोन से खनन पर रोक लगाने को अनुरोध किया गया है। किन्तु अधिसूचना की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रारूप में भिन्नता रहने पर विभाग से मार्ग-दर्शन की अपेक्षा की गयी इसी बीच में संशोधित अधिसूचना सं. 2765 (अ), दिनांक 09.07.2021 जारी किया गया है जिसमें वर्णित है कि:-

हिन्दी में	वणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइया	(क) पारिस्थितिकी संवेदन जोन के भीतर वास्तविक स्थानीय निवासियों के घरेलू आवश्यकताओं, जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए खोदना सम्मिलित है के शिवाय सभी प्रकार के नये एवं विद्यमान खनन (लघु एवं बृहत खनिज) पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयों तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्ध होगी।
अंग्रेजी में	Commercial Mining stone quarrying, and crushing units	(a) All new and existing mining (minor and major) stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bonafide local residents including digging of earth of construction of repair of houses within Eco-sensitive Zone

उक्त के अनुसार निम्नलिखित बालूघाट पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर पड़ते हैं:- (i) Sathi, (ii) Parsa mahui, (iii) Semara Labdeha, (iv) Parsauni puraniya banbairiya, (v) Biranchi, (vi) Manguraha, (vii) Vishunpuwa Gaunaha, (viii) Hardi, (ix) Barwa singaha, (x) Barba kalan, (xi) Malnahamothiya, (xii) Shelahi, (xiii) Songadhwa (Pipra), (xiv) Pindari, (xv) Hardi Shahjahanpur एवं (xvi) Nautanwa

उपरोक्त के आलोक में पत्रांक 353/खनन, बेतिया दिनांक 27.08.2021 से निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना से वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन से खनन कार्यों के संचालन के संबंध में मार्गदर्शन की मांग की गई। जिसके आलोक में निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रासंगिक पत्र से उक्त वर्णित 16 बालूघाटों के लिए जारी पर्यावरण स्वीकृति रद्द करने संबंधि आदेश प्राप्त करने का निदेश दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले उपरोक्त वर्णित 16 बालूघाटों की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) को तत्कालोपरान्त रद्द करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

विश्वासपीजन,

जिला पदाधिकारी,

पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

अनुलग्नक :- अभ्योक्त ।

RF637/22922/No. 23/7/21



REGISTRATION NO: 2019/0001/0001
 R. BETTIAH HO 405438
 Counter No: 10, 22/08/2021, 10:00
 To: DE ARCHAICHA, SEING PATNA
 PIN: 800001, Patna GPO
 From: DE IN, BETTIAH
 M: 980000
 Act: 47.00/2019/0001/0001
 Track on www.indiapost.gov.in

जिला खनन कार्यालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

113

पत्रांक 708 / खनन, बेतिया दिनांक 01.11.2021

उपरोक्त

मेसर्स सिंह एण्ड गिरि इन्फ्रा प्रो० लि०
प्रो० श्री हरेन्द्र सिंह, नरैनापुर बगहा 02,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

विषय

दिनांक 01.10.2021 से 31.03.2022 तक पश्चिम चम्पारण, बेतिया जिलान्तर्गत 20
प्राप्त 20 बालूघाटों से उत्खनन एवं प्रेषण की अनुमति के संबंध में।

प्रसंग

विभागीय अधिसूचना पत्रांक 3043/एम०, पटना दिनांक 01.10.2021 एवं पत्रांक
3045/एम०, पटना दिनांक 01.10.2021

उपरोक्त विषयक विभागीय अधिसूचना संख्या 3043/एम० पटना, दिनांक
01.10.2021, पत्रांक 3045/एम० पटना, दिनांक 01.10.2021, द्वारा दिनांक 30.09.2021 को समाप्त
हो रही बालू बन्दोबस्ताधारियों की बन्दोबस्ती अवधि को बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन,
परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम-77 (2) के तहत दिनांक 01.10.2021 से
31.03.2022 तक वर्ष 2020 की बन्दोबस्ती राशि पर 50 प्रतिशत वृद्धि के साथ स्वीकृति दी गई है।

प० चम्पारण, बेतिया जिलान्तर्गत 36 बालूघाटों का कुल रकवा 66.96 हेक्टेयर है,
जिसमें से वार्षिक व्याघ्र आरक्ष्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अधीन पड़ने वाले 16 बालूघाटों
(रकवा 27.20 हेक्टेयर) को छोड़कर शेष 20 बालूघाट (रकवा 39.76 हेक्टेयर) के लिए रकवा के
आधार पर छः माह की कुल बन्दोबस्ती राशि मो० 4,89,67,750 रु०, आयकर की राशि मो०
10,18,529 रु० एवं डी०एम०एफ० की राशि 9,79,355 रु० का भुगतान बैंक ड्राफ्ट एवं बैंक के
माध्यम आपके द्वारा की गई है।

वार्षिक व्याघ्र आरक्ष्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अधीन पड़ने वाले 16
बालूघाटों को छोड़कर शेष 20 बालूघाट क्रमशः- Dhanarpu, Kunriya, Dumaulia Narayanpur,
Bhairoganj Bholapur, Bhairoganj, Bairiya, Belwa Bahuwari, Inarwa & Bhangaha, Baijua
Alpaha, kunriya, Dhanaha Balu, Parsuni, Machhaha chilwaniya, Bulahi khaira, Sauraha, Khaira
Binaki khaira, Madhubani (pit-1,2), Shamsarwan।

उपरोक्त 20 बालूघाटों के बन्दोबस्ती राशि के संबंध में निर्देशक, खान एवं मृदा
विभाग, बिहार, पटना से कार्यालय पत्रांक 713/खनन, दिनांक 01.11.2021 द्वारा मार्गदर्शन की मांग
की गयी है। प्राप्त निर्देश में यदि बन्दोबस्ती राशि में बढ़ोतरी/वृद्धि की जाती है, तो पुनः आपको
शेष राशि जिला खनन कार्यालय, प० चम्पारण, बेतिया में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना
अनिवार्य होगा। इस शर्त के साथ उपरोक्त 20 बालूघाटों से निविदा, पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों,
बन्धों के नियमानुसार तथा विभाग एवं समाहर्ता महोदय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/शर्तों
के अधीन औपबधिक रूप से उत्खनन एवं प्रेषण की अनुमति दी जाती है।

खनिज विकास पदाधिकारी
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।



कार्यालय:- वन परिसर पदाधिकारी, मदनपुर -सह-
नौरंगिया वन परिसर



पत्रांक-338 दिनांक-22/8/22

प्रेषक :- रवि कुमार, वनपाल
मदनपुर सह नौरंगिया वन परिसर

सेवा में,

श्रीमान् थाना प्रमारी,
पिपरासी थाना,
बगहा पुलिस जिला।

विषय :- वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र (Safety Zone) (वन सीमा से 0 से 9 किलोमीटर के अन्दर) में किये जा रहे अवैध खनन के रोकथाम हेतु प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र (Safety Zone) (वन सीमा से 0 से 9 किलोमीटर के अन्दर) में खनन करना अवैध एवं कानूनन अपराध है। प्रायः ही सेमरा लबेदहा, पंचायत पिपरासी प० चम्पारण विहार द्वारा वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, के पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिदिन अवैध बालू एवं मिट्टी खनन धड़ल्ले से किये जाने की शिकायत मिल रही है। खनन माफियाओं द्वारा धड़ले से धोरी-छिपे खनन कर बालू निकालकर अन्यत्र ले जाया जा रहा है, जिससे वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के वन क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, इससे संबंधित सूचना पूर्व में श्री बगरसी द्वारा आपको दी गई थी। वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, मदनपुर के आदेशानुसार एक टीम गठीत कर मेरे द्वारा सघन छानबीन किया गया, जिस क्रम में कुछ खनन माफियाओं का नाम एवं पता ज्ञात हुआ है जिनका नाम व पता तथा खनन स्थल का जी०पी०एस० रिडिंग अंकित किया गया है, जो निम्नवत् है:-

क्र० स०	खनन करने वाले व्यक्ति का नाम एवं पता	जगह	खनन स्थल का जी०पी०एस० निर्देशांक					
			उत्तर (N) Latitude			पूर्व (E) Longitude		
			डि०	मि०	से०	डि०	मि०	से०
01	1. रामेश्वर वीन पे० भगवत वीन, सा०- भैसहीया, थाना-पिपरासी, जिला प० चम्पारण 2. विनोद यादव पे० नामालुम सा०- बांसगांव, थाना-पटखौली, बगहा जिला- प० चम्पारण। 3. दिनेश जायसवाल पे० मोहन जायसवाल 4. रामनाथ गुप्ता पे० देवनाशायण गुप्ता 5. राजु रौनियार पे० नामालुम तीनों का सा०- छितीनी, थाना-हनुमानगंज, जिला-कुरीनगर (उ०प्र०)	सेमरा लबेदहा के समीप साधु घाट	27	8	54.04	83	58	59.10

ज्ञातव्य है की अधिसूचना संख्या-3026 (अ) दिनांक-13 सितम्बर 2017/अधिसूचना संख्या-2765 (अ) दिनांक-09.07.2021 द्वारा वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य/पारिस्थितिकी संवेदी जोन (Eco Sensitive Zone) 0 मीटर से 09 कि०मी० तक खनन कार्य प्रतिषिद्ध है। वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के (Eco

Sensitive Zone) अन्तर्गत बालू की अवैध खनन कार्य पर अयित्यं रोक लगाये जाने तथा तत्संबंधित अप्रैतार कार्रवाई की सूचना राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण भारत सरकार को उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अप्रैतार कार्रवाई करने की कृपा की जाय ताकि चाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र (Safety Zone) में हो रहे अवैध खनन कार्य की रोकथाम हो सके तथा कृत कार्रवाई से तत्संबंधित सूचना मदनपुर वन प्रदेत्र कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय।

विश्वासभाजन

विश्वनाथ
वनपाल

मदनपुर सह नौरंगिया
वन परिसर।

टीम में गठित टल ग अक्षय

Mob- 9835010522

(1) शंकर-कुमार, पं०-गोसा-भादप, उम्र-23

Mob- 6202655062

२ शंकर-गौरी, प्वाता-भोरगा, जिला-शेरपुर

शशि-कुमार पं० - स्प शालीग्राम

(2) देवानन्द-शम पं०-स्प महेश शम, उम्र-37

महाद विहारी, शा०-वासदेवपुर

शा०-मदनपुर, प्वाता-नौरंगिया, जिला-पं०-पसरग

प्वाता-भोरपाली, जिला-भुंजोर

(3) श्री किशुन-भादप पं०-स्प भुंजी-भादप, उम्र-25

शा०-मदनपुर, प्वाता-नौरंगिया, जिला-पं०-पसरग

(4) पद्मशम-भादप पं०-शाजा-भादप, उम्र-35

शा०-शागपुर, प्वाता-लौकरिया, जिला-पं०-पसरग

(5) शमेश भादप पं०-स्प लक्ष्मण भादप उम्र-40

शा०-मदनपुर, प्वाता-नौरंगिया, जिला-पं०-पसरग

Received & Registered. Purbani P.S case NO. 51/2022 dated
22-6-2022 U/S 379, 34 I.P.C & BM (CPIMTS) rules 2019
(amendment rules 2021) U/S 56, 11, 41 & M.M (DPR) Act
1957, U/S 4, 21 & Environment Protection Act 1986 U/S
159 will investigate this case

Rajeev Kula

22-6-2022

S.H.O

Purbani

P.S



बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालय : वन प्रमण्डल पदाधिकारी -सह- उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, प्रमण्डल-2, बेतिया।

Forest Colony, Peonybagh, Near Durgabagh Mandir, Bettiah, West Champaran, Bihar- 845438, Mb. No. 8986153405

email-dfobettiah2@gmail.com, dfobettiah2-bih@gov.in

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या...137..... / दिनांक...28.10.../2022

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकारण, प्रधान पीठ द्वारा OA No-587/2022 कृष्णा कुमार राम एवं अन्य बनाम बिहार राज्य मामले में दिनांक-21.09.2022 को पारित आदेश के आलोक में पश्चिम चम्पारण जिले के वाल्मीकि टाईगर रिजर्व क्षेत्र के ईको सेनसीटीव जोन के सेमरा लवेदहा पंचायत में अवैध बालू खनन की तथ्यात्मक स्थिति की जाँच कर माननीय अधिकरण को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य प्रमंडल-02, बेतिया की ओर से श्री उमेश प्रसाद राम, वनपाल-सह- प्रभारी वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, मदनपुर को प्राधिकृत किया जाता है।

श्री उमेश प्रसाद राम, वनपाल-सह-प्रभारी वनों के क्षेत्र पदाधिकारी मदनपुर वन प्रक्षेत्र अन्य सदस्य प्रतिनिधि के साथ दिनांक-03 नवम्बर 2022 को सेमरा लवेदहा पंचायत में अवैध बालू खनन की तथ्यात्मक निरीक्षण कार्य में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।

Peeyu
28/10/2022
वन प्रमंडल पदाधिकारी -सह- उप निदेशक
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य प्रमंडल- 2, बेतिया।

ज्ञापांक- 2014 दिनांक- 28.10.22

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, बिहार प्रदूषण नियंत्रण पर्वद / जिला पदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया / वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेतिया वन प्रमंडल, बेतिया / खनिज विकास पदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया एवं श्री उमेश प्रसाद राम, वनपाल-सह-प्रभारी वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, मदनपुर वन प्रक्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Peeyu
28/10/2022
वन प्रमंडल पदाधिकारी -सह- उप निदेशक
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य प्रमंडल- 2, बेतिया।

23-10-2022



बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

ई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा

परिवेश भवन, एन.एस.बी.-2, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र,
पो- सदाकत आश्रम, पाटलिपुत्र, पटना-800010

ई-मेल- msbspcb-bih@gov.in वेबसाइट- <http://bspcb.bihar.gov.in>

पत्रांक: P/Legal01- 35/2022

पटना, दिनांक:

प्रेषक,

एस. चन्द्रशेखर, न.व.ते.
सदस्य-सचिव।

सेवा में,

1. निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार, पटना,
2. जिलाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया,
3. वन प्रमण्डल पदाधिकारी-सह-उप निदेशक, बाल्मीकि टाईगर रिजर्व, वन प्रमण्डल-2, पश्चिम चम्पारण, बेतिया,
4. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बेतिया/वन प्रमण्डल, पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

अति आवश्यक
माननीय NGT से
संबंधित।

विषय: पश्चिम चम्पारण के बाल्मीकि टाईगर रिजर्व क्षेत्र के Eco Sensitive Zone के सामरा लम्बेडा पंचायत के क्षेत्र में अवैध बालू खनन का तथ्यात्मक स्थिति की जाँच के संबंध में।

प्रसंग: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेंच, दिल्ली में दायर O.A. No.- 587/2022, Krishan Kumar Ram Vs. State of Bihar के मामले में दिनांक 21.09.2022 को पारित आदेश (प्रति संलग्न) का अनुपालनार्थ।

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय के संबंध में सूचित करना है कि विषयांकित मामले की सुनवाई के दौरान माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेंच, दिल्ली द्वारा दिनांक 21.09.2022 को आदेश पारित करते हुए पश्चिम चम्पारण के बाल्मीकि टाईगर रिजर्व क्षेत्र के Eco Sensitive Zone के सामरा लम्बेडा पंचायत में अवैध बालू खनन का तथ्यात्मक स्थिति की जाँच करने हेतु संयुक्त समिति का गठन किया गया है।






ज्ञातव्य है कि विषयांकित मामले में माननीय अधिकरण द्वारा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को समन्वय एवं अनुपालन हेतु नोटिस जारी किया है। इस संदर्भ में पर्षद् की ओर से संबंधित प्रक्षेत्र के क्षेत्रीय पदाधिकारी श्री सैन कुमार (मोबाईल नं- 9304781866) को नोटिस पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है।


माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालनार्थ दिनांक 20.10.2022 एवं 26.10.2022 को 11:00 बजे पूर्वाह्न इस संदर्भ में पर्षद् के सभा कक्ष में Video Conferencing के माध्यम से बैठक आयोजित किया गया। उक्त बैठक में विचार-विमर्श के दौरान विषयांकित मामले की तथ्यात्मक स्थिति का स्थलीय जाँच करने हेतु दिनांक 03.11.2022 को 11:00 बजे पूर्वाह्न निम्नलिखित स्थल पर संयुक्तसमिति के सभी सदस्यगणों को उपस्थित होकर संबंधित स्थल का दौरा करने का निर्णय लिया गया है-

- मदनपुर वन विश्रामागार
- बाल्मीकी टाईगर रिजर्व,
- बगहा-बाल्मीकीनगर रोड,
- पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

उपस्थिति सूची

ननीय एन.जी.टी., प्रधान बेंच में दायर O.A No.-587/2022 के मामले में पारित आदेश दिनांक: 21.09.2022 के आलोक में जिला पश्चिमी चम्पारण के बाल्मिकि टाईगर रिजर्व क्षेत्र के Eco Sensitive Zone के सामरा लभेडा पंचायत के क्षेत्र में अवैध बालू खनन का तथ्यात्मक जाँच हेतु दिनांक: 03.11.2022 को निम्नलिखित पदाधिकारी उपस्थित हुए:

क्र० सं०	नाम	पदनाम एवं विभाग	मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल	हस्ताक्षर
1.	Laxk Singh	ADM, Bettiah.	9473191295	 - 3/11/22
2.	Dr. Anupama Singh	SJM, Bagaha	7759836963	 3/11/22
3.	Sunilkumar	R.O.F. Bagaha	7004189968	 03/11/2022
4.	Dr. Ghanshyam Singh	Mineral Development Officer, Bettiah.	9113700631	 03.11.22
5.	md Rashid Enam	Mines Inspector, Bettiah	8791355573	 03.11.2022
6.	Shashishekar Chauhan	S.H.O Valmikinagar P.S.	9973105033	 03.11.2022
7.	Ableinandan Kumar Singh	C.I. Okaneta Circle.	9771193434	 Ablein 02/11/22

8. Rajeev Kumar Pipsra P.S S.H.O S.H.O Patna P.S
960800709

3/11/2022

9. Anand Kumar R.O.F.

852127028

11. श्री. लक्ष्मी

श्री. लक्ष्मी लक्ष्मी
श्री. लक्ष्मी

9304781866

श्री. लक्ष्मी
3/11/22

मै: कुल्वा किमाद⁶⁰ राम पिला लालचन्द राम
ग्राम श्रीपतनगर पो० खैरा लवेदहा वाना
पिपराही का स्वामी निवासी हूँ स्वयं
श्रीपतनगर पंचायत खैरा लवेदहा में 6 माह
पहले कुतब फ़देश के लोग द्वारा अधीक
भाला खनन किया भा रहा था वही
के बाद से कुतब स्वयं पर खनन
नहीं किया भा रहा है।

कुल्वा किमाद राम
राम पिला लालचन्द राम
ग्राम श्रीपतनगर
पो० खैरा लवेदहा
वाना पिपराही
दिनांक 3/11/2022
प्रा 8825384602

मैं सुदर्शन मिश्रा पिता स्व. भागवत मिश्रा
 ग्राम - श्रीपवनगढ़ पोस्ट - सेमरा लखेड़ा -
 जिला - उ.प्र. चम्पारण का स्थाई निवासी
 हूँ। इ. माह पहले यहाँ पर 'श्रीपवनगढ़'
 पंचायत - सेमरा लखेड़ा से स्थानीय लोगों के
 द्वारा अपने घर में गैली कार्य हेतु छोटी
 एवं बालू ले जाकर चला जा रहा था।
 वर्तमान में श्री मिश्री प्रकार का श्रीपवनगढ़
 पंचायत सेमरा लखेड़ा से समान (खतना नहीं
 है) रहा है।

सुदर्शन मिश्रा
 सुदर्शन मिश्रा
 भागवत मिश्रा
 व.प्र. 224 प. गौ. 5

Keulechma Kumari Yadav
 9993701391.

मदनपडित

रामगंजलखेड़ा

गौ. 2 रंजिली

शिवनाथ कुशवाहा
 गुड्डू जायसवाल

राजकुमार




Pachrukha, Bihar, India
62J4+G4V, NH727, Pachrukha, Bihar 845101, India
Lat 27.231582°
Long 84.005009°
03/11/22 11:41 AM




Semralabedaha, Bihar, India
Semralabedaha, Bihar, India
Lat 27.148282°
Long 83.979847°
03/11/22 01:38 PM





Semralabedaha, Bihar, India
Semralabedaha, Bihar, India
Lat 27.148286°
Long 83.97985°
03/11/22 01:39 PM




Semralabedaha, Bihar, India
Semralabedaha, Bihar, India
Lat 27.148286°
Long 83.97985°
03/11/22 01:39 PM







Semralabedaha, Bihar, India
Semralabedaha, Bihar, India
Lat 27.148278°
Long 83.979864°
03/11/22 01:39 PM



Semralabedaha, Bihar, India
Semralabedaha, Bihar, India
Lat 27.148186°
Long 83.980016°
03/11/22 02:02 PM












Semralabedaha, Bihar, India
Semralabedaha, Bihar, India
Lat 27.148176°
Long 83.97998°
03/11/22 02:03 PM



Semralabedaha, Bihar, India
Semralabedaha, Bihar, India
Lat 27.148135°
Long 83.980091°
03/11/22 02:04 PM



GPS Map Camera




Semralabedaha, Bihar, India
Semralabedaha, Bihar, India
Lat 27.148152°
Long 83.980039°
03/11/22 02:04 PM



GPS Map Camera



Semralabedaha, Bihar, India
Semralabedaha, Bihar, India
Lat 27.148132°
Long 83.980091°
03/11/22 02:04 PM





GPS Map Camera



Semralabedaha, Bihar, India
Semralabedaha, Bihar, India
Lat 27.148216°
Long 83.979954°
03/11/22 02:06 PM





जिला खनन कार्यालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

पत्रांक...../खनन, बेतिया, दिनांक.....

प्रेषक,

खनिज विकास पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

सेवा में,

निदेशक,
खान एवं भूतत्व विभाग,
बिहार, पटना।

विषय: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रधान पीठ द्वारा **OA No-587/2022**, कृष्ण कुमार राम एवं अन्य बनाम् बिहार राज्य मामलें में दिनांक 21.09.2022 को पारित आदेश के आलोक में **VTR** क्षेत्र के **ESZ** के सेमरा लबेदाहा पंचायत में अवैध बालू खनन की तथ्यात्मक स्थिति की जाँच-प्रतिवेदन के सम्बन्ध में।

प्रसंग: विभागीय/भवदीय आदेश, ज्ञापांक 5401/एम०, पटना, दिनांक 28.10.2022 तथा जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया का पत्रांक 2914/गो०, बेतिया, दिनांक 01.11.2022।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक आदेश के अनुपालन में दिनांक 03.11.2022 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में मदनपुर वन विश्रामागार (**VTR**, बगहा-वाल्मीकिनगर रोड) में आहूत संयुक्त समिति (**Joint Committee**) की बैठक में भाग लिया गया एवं संयुक्त समिति सदस्यों के साथ स्थल निरीक्षण किया गया। तथ्यात्मक विवरणी निम्नवत है:-

1. खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 2887/एम०, दिनांक 22.04.2014 एवं पत्रांक 3671/एम०, पटना, दिनांक 30.09.2014 के आलोक में पश्चिम चम्पारण, बेतिया जिलान्तर्गत सम्पूर्ण नदियों की एक इकाई के रूप में बन्दोबस्ती, दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2019 तक (पाँच वर्षों) के लिये की गयी थी।

अनु०- 01 एवं 02 क्रमशः अधिसूचना संख्या 2887/एम०, दिनांक 22.04.2014 एवं पत्रांक 3671/एम०, पटना, दिनांक 30.09.2014 अवलोकनार्थ संलग्न।

2. **SEIAA**, बिहार के **Ref No 102**, पटना, दिनांक 21.04.2016 के द्वारा **SEAC** की अनुशंसा पर बालू बन्दोबस्तधारी, **M/s Singh & Giri Infrastructure Pvt. Ltd**, पश्चिम चम्पारण, बिहार को गंडक नदी के सेमरा लबेदाहा बालू खनन परियोजना (3.59हे०) के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति (**EC**) निर्गत/प्रदान किया गया।

अनु०-03-**SEIAA**, बिहार के **Ref No 102**, पटना, दिनांक 21.04.2016 अवलोकनार्थ संलग्न।

3. विभागीय अधिसूचना, ज्ञापांक 4948/एम०, पटना, दिनांक 27.12.2019 द्वारा **EC** प्राप्त 36 बालूघाटों के बन्दोबस्ती का अवधि विस्तार दिनांक 31.10.2020 तक; पुनः अधिसूचना, ज्ञापांक 2646/एम०, पटना, दिनांक 14.09.2020 द्वारा बन्दोबस्ती अवधि का विस्तार दिनांक 31.12.2020 तक, अधिसूचना, ज्ञापांक 3435/एम०, पटना, दिनांक 30.12.2020 द्वारा बन्दोबस्ती अवधि का विस्तार 31.03.2021 तक किया गया।

अनु०-04,05 एवं 06 क्रमशः अधिसूचना, झापांक 4948/एम०, पटना, दिनांक 27.12.2019, अधिसूचना झापांक 2646/एम०, पटना, दिनांक 14.09.2020 तथा अधिसूचना, झापांक 3435/एम०, पटना, दिनांक 30.12.2020 अवलोकनार्थ संलग्न।

4. केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित कार्यालय आदेश सं० 3026 (अ), तारीख 13 सितंबर, 2017 द्वारा बिहार राज्य में वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि बाघ रिजर्व के आसपास पारिस्थितिकी संवेदी जोन (ESZ) अधिसूचित किया गया। अधिसूचना के कंडिका (Para) 4 में शीर्षक "क प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप" के अधीन सारणी में क्रमांक संख्या 1 में वाणिज्यिक खनन (Commercial mining) प्रतिषिद्ध (Prohibit) किया गया है।

अनु०- 07 MoEF&CC अधिसूचना, नई दिल्ली, 13 सितंबर, 2017, का० आ० 3026 (अ) की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न।

अनु०- 08 MoEF&CC अधिसूचना, नई दिल्ली, 09 जुलाई, 2021 की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न।

उक्त अधिसूचना, दिनांक 13.09.2017 के कंडिका (Para) 5 में तेरह (xiii) सदस्यीय निगरानी समिति (Monitoring committee) के गठन का उल्लेख है, जिसका सदस्य-सचिव भागीय वन अधिकारी (Divisional Forest Officer) VTR, DIVISION-I/II होते हैं।

उक्त अधिसूचना के कंडिका (Para) 6 (2) के अनुसार निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को निगरानी करेगी। कंडिका (Para) 6 (5) के अनुसार निगरानी समिति का सदस्य-सचिव अर्थात् DFO, VTR अधिसूचना के किसी उपबंध के उल्लंघन के विरुद्ध EPA, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद (Complaints) फाइल करने के लिए सज्जम (Competent) होगा। यानि कि ESZ का Competent Officer DFO होते हैं।

5. विभागीय अधिसूचना संख्या 986/एम०, पटना, दिनांक 31.03.2021 के आलोक में जिला खनन कार्यालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक 160/खनन, बेतिया दिनांक 16.04.2021 द्वारा VTR के ESZ के अधीन पड़ने वाले 16 बालूघाटों को छोड़कर शेष 20 बालूघाटों से नियमानुसार 01.04.2021 से 30.09.2021 तक बालू उत्खनन एवं प्रेषण की अनुमति बन्दोबस्तधारी को दी गयी।

अनु०- 09 एवं 10 क्रमशः खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं० 986/एम०, पटना, दिनांक 31.03.2022 एवं जिला खनन कार्यालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक 160/खनन, बेतिया दिनांक 16.04.2021 अवलोकनार्थ संलग्न।

6. खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1380/एम०, पटना दिनांक 14.06.2021 द्वारा समाहर्ता, बेतिया को निदेश प्राप्त हुआ कि VTR के ESZ से खनन कार्यों के संचालन हेतु SEAC की अनुशंसा पर SEIAA द्वारा EC दी गयी थी, जिसमें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के भी प्रतिनिधि होते हैं। अतएव EC को वन विभाग के अधिकारी या जिला पदाधिकारी द्वारा अपने स्तर से रद्द/स्थगित/संशोधित नहीं किया जा सकता।

अनु०-11 खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 1380/एम०, पटना, दिनांक 14.06.2021 अवलोकनार्थ संलग्न।

7. उक्त पत्र के आलोक में कार्यालयीय पत्रांक 221/खनन, बेतिया, दिनांक 18.06.2021 द्वारा VTR के ESZ के अधीन पड़ने वाले EC प्राप्त 16 बालूघाटों से दिनांक 18.06.2021 से 30.09.2021 तक उत्खनन एवं प्रेषण की अनुमति दी गयी थी।

अनु०- 12 जिला खनन कार्यालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया का पत्रांक 221/खनन, बेतिया, दिनांक 18.06.2021

8. तत्पश्चात् खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3424/एम०, पटना, दिनांक 19.11.2021 द्वारा पश्चिम चम्पारण, बेतिया जिलान्तर्गत 36 बालूघाटों में से 16 बालूघाटों को छोड़कर मात्र 20 बालूघाटों की बन्दोबस्ती अवधि का विस्तार दिनांक 01.10.2021 से 31.03.2022 तक के लिए की गयी थी।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि VTR के ESZ के अधीन पड़ने वाले EC प्राप्त 16 बालूघाटों से बालू का उत्तोलन दिनांक 31.03.2021 तक की गयी। तत्पश्चात् माह अप्रैल, 2021 एवं मई, 2021 में उक्त बालूघाटों से बालू का उत्तोलन नहीं किया गया। पुनः दिनांक 18.06.2021 से 30.09.2021 तक उत्खनन एवं प्रेषण की अनुमति दी गयी। यहाँ उल्लेखनीय है कि प्रत्येक पंचांग वर्ष में माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर में नदी तल (River bed) से बालू का उत्खनन नहीं किया जाता है। केवल Secondary Loading Point एवं अनुज्ञप्ति प्राप्त भंडारण स्थल से बालू का उत्तोलन किया जाता है।

9. बालू बन्दोबस्तधारी, मे० सिंह एण्ड गिरी इन्फ्रा० प्रा० लि० के निदेशक, श्री हरेन्द्र सिंह के द्वारा दिनांक 30.06.2021 को एक आवेदन समर्पित किया गया कि दिनांक 01.07.2021 से 30.09.2021 तक बालू खनन का कार्य पूर्णतः बन्द रहेगा।

अनु०- 13 बन्दोबस्तधारी का आवेदन अवलोकनार्थ संलग्न।

10. पारिस्थितिकी संवेदी जोन (ESZ) में अवैध खनन के विरुद्ध कृत कार्रवाई की सूची अनुलग्नक-14 के रूप में इस प्रतिवेदन के साथ अवलोकनार्थ संलग्न है।

विश्वासभाजन,


ह०/-

खनिज विकास पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक- 839 /खनन, बेतिया, दिनांक- 07-11-2022

प्रतिलिपि: समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: श्री सैन कुमार, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद-सह- नोडल पदाधिकारी को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


07.11.22

खनिज विकास पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

बिहार सरकार
खान एव भूतत्व विभाग
अधिसूचना

सं0स0-2/एम0एम0(ना0)06/14-2887/एग0, पटना, दिनांक-22/7/14

नई बालू नीति के तहत 01.01.2015 से 31.12.2019 तक (पाँच वर्षों) के लिए बालूघाटों की बंदोबस्ती के संबंध में।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-27.02.2012 (SLP No. 19628-19629/2012 दीपक कुमार बनाम हरियाणा सरकार एवं अन्य) के आलोक में कानूनी अनिवार्यता के अनुपालनार्थ सभी बिन्दुओं को समाहित करते हुए राज्य सरकार द्वारा नई बालू नीति 2013 तैयार की गई, जो विभागीय अधिसूचना संख्या-2214/एम0, पटना, दिनांक-27.08.2013 से अधिसूचित है। बिहार राज्य के सभी बालूघाटों की बंदोबस्ती नई बालू नीति, 2013 के प्रावधानों के तहत आम नीलामी के माध्यम से दिनांक-01.01.2015 से अगले 5 वर्षों के लिए किये जाने का निर्णय लिया गया है।

- बालू घाटों की ईकाई:-
- (i) प्रत्येक जिला में अवस्थित सम्पूर्ण नदी विशेष को एक खंड (stretch) माना जायेगा।
 - (ii) इस प्रकार प्रत्येक जिला में अवस्थित सभी नदियों को अलग-अलग खंड (stretch) मानते हुये उन्हें एकीकृत रूप से एक ईकाई के रूप में बंदोबस्ती की कार्रवाई की जायेगी।
 - (iii) बालूघाटों की ईकाईयों का निर्माण भौगोलिक स्थिति, विधि व्यवस्था, राजस्वहित, अवैध उत्खनन, नीलामी की सुविधा आदि का ध्यान में रखते हुये (a) भोजपुर, पटना एवं सारण जिलों को एक ईकाई, (b) रोहतास एवं औरंगाबाद जिलों को एक ईकाई तथा (c) जमुई एवं लखीसराय जिलों को एक ईकाई के रूप में तथा अन्य जिलों को अलग-अलग एक ईकाई के रूप में बंदोबस्ती प्रस्तावित है।

Ann 2

0/11/14

बिहार सरकार
खान एवं भूतल विभाग

पत्रांक-2/एम.एम.(बा0)-06/14 - 3621 /एम0. पटना, दिनांक- 30/9/14

दिनांक
10/10/14

प्रेषक,

मो0 हसनैन खाँ,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/गया/मुंगेर।
सभी जिलाधिकारी।विषय:- पंचांग वर्ष 2015 अगले पाँच वर्षों (दिनांक-31.12.2019तक) के लिए बालूघाटों की बंदोबस्ती कराने के संबंध में।

महाराय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय अधिसूचना संख्या-2887/एम0. पटना, दिनांक-22.07.2014 के क्रम में अनुमोदित निविदा कागजातों की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यार्थ भेजी जा रही है।

अनुरोध है कि संलग्न निविदा प्रपत्र में अपने स्तर से आवश्यक प्रतिक्रिया कर नीलामी की कार्रवाई की जाय।

विश्वासमाजन

30/9/14
सरकार के संयुक्त सचिव।

Annexure - 03.



सत्यमेव जयते

**STATE LEVEL ENVIRONMENT IMPACT ASSESSMENT AUTHORITY,
BIHAR**

Ref No. 102-

Patna, dated:- 21/4/16

From,

Prof. R. C. Sinha
Chairman,
SEIAA, Bihar

To,

M/S Singh & Giri Infrastructure Pvt. Ltd.,
Harendra Singh,
(Director),
Bagha- 2, Thana- Bagha-2,
Post- Nariapur, Ward No- 05,
West Champaran, Bihar.
Pin - 845 101.

Sub: Environmental Clearance for the proponent "Sand Mining Project on Gandak River at Semralabdeha Ghat of District- West Champaran, State-Bihar, Total Area-3.59 Ha, Thana No- 52, Khata No.- 1049, Khesra No.- 9849, 9851/10362, 9851/10119, 9851/10116, Vill- Semralabdeha, Tehsil- Piprasi, District- West Champaran, State- Bihar"

Sir,

With the reference to your application dated 08-03-2016 for environmental clearance, your application was appraised by SEAC in its meeting held on 09th April, 2016 as per EIA Notification, 2006 and its amendment thereof. On the recommendation of SEAC, SEIAA in its meeting held on 18th April, 2016 accords Environmental Clearance with the following conditions. The salient features of the Project are as follows:-

1. Sand Mining Project on Gandak River at Semralabdeha Ghat of District- West Champaran, Area - 3.59 Ha.
2. Geographical location- Corner A- 27°09' 13.254"N 83°58' 54.308"E

Corner B- 27° 09' 5.59"N 83° 58' 58.393"E

Corner C- 27° 09' 3.293"N 83° 58' 53.872"E

Corner D- 27° 09' 11.368"N 83° 58' 50.053"E

3. Project Cost – ₹ 1,39,52,000.
4. Period of Lease - 5 years.
5. Proposed capacity of mine – 14,536.1 TPA
6. No. of working days - 280 days
7. Man Power requirement - 12
8. Water requirement – 2.5 KLD
9. Name of Sand Mining Ghat – Semralabdeha Ghat.

A. Specific Conditions

1. The Environmental clearance is subject to grant of Mining Lease and will be co-terminus with the mining lease period.
2. The Operation of Mining at time Schedule should be as per the amended Bihar Minor Minerals and Concession Rule (2014) and NGT order dated 11th May 2015 (Original application No.28/2014/EZ).
3. It shall be ensured that there shall be no mining beyond 03 m or upto water level whichever is less further meaning thereby that no mining activity in ruining/stagnant water in the River in the issue of Sand Mining. The Distance from the bank of the river shall be as per the Bihar Minor Mineral and concession Rule (2014) and amendment thereof.
4. The project proponent shall ensure that wherever deployment of labour attracts the Mines Act, the provision thereof shall be strictly followed.
5. The project proponent shall prepare the plan of mining in conformity with the mine lease conditions and the Rules prescribed in this regard clearly showing the no work zone in the mine lease i.e. the distance from the bank of river to be left un-worked (Non mining area).
6. The project proponent shall undertake adequate safeguard measures during extraction of river bed material and ensure that due to this activity the hydro-geological regime of the surrounding area shall not be affected.
7. The project proponent will provide protective respiratory devices to workers working in dusty areas and they shall also be provided with adequate training and information on safety and health aspects. Periodical medical examination of the workers engaged in the

- project shall be carried out and records maintained. For the purpose, schedule of health examination of the workers should be drawn and followed accordingly.
8. Solid waste material viz, plastic bags, glasses etc. to be generated during project activity will be separately stored in bins and managed as per Solid Waste Management rules.
 9. Natural /customary paths used by villagers should not be obstructed at any time by the activities proposed under the project.
 10. Concealing factual data or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
 11. PP shall maintain minimum distance from Reserved / Protected Forests as stipulated in applicable guidelines.
 12. The project proponent should implement suitable conservation measures to augment ground water resources in the area in consultation with the Ground Water Directorate, Government of Bihar / Central Ground Water Board.
 13. Effective safeguard measures should be taken to control fugitive emissions so as to ensure that RSPM (PM10 and PM 2.5) levels are within prescribed limits.
 14. Pre-placement medical examination and periodical medical examination of the workers engaged in the project shall be carried out and records maintained.
 15. The project proponent shall take all precautionary measures during mining operation for conservation and protection of endangered fauna as prescribed the Wildlife (protection) Act.1972
 16. Proper safety measures as per statutory requirement are to be implemented around the mined out Pit prior to closure of site.
 17. A final mine closure Plan along with corpus fund duly approved by Competent Authority shall be submitted to the SEIAA, Bihar & Bihar State Pollution Control Board, Patna and to concerned DMO in prior of final mine closure for approval.
 18. The project proponent shall obtain Consent to establish and Consent to Operate from the Bihar State Pollution Control Board, Patna and effectively implement all the conditions stipulated therein.
 19. The depth of mining in river-bed shall not exceed three meter or water level, whichever is less, provided that where the Joint Inspection Committee certifies about excessive deposit or over accumulation of mineral in certain reaches requiring channelization, it can be as specified by the Committee, on defined reaches of the river.
 20. No river sand mining be allowed in rainy season (July, August, and September).
 21. To submit annual replenishment report certified by an authorized agency. In case the replenishment is lower than the approved rate of production, then the mining activity / production levels shall be decreased / stopped accordingly till the replenishment is completed.

22. In river flood plain mining, a buffer of 3 meter be left from the river bank for mining.
23. In mining from agricultural field, a buffer of 3 meter be left from the adjacent field.
24. Mining shall be done in layers of 1 m depth to avoid ponding effect and after first layer is excavated, the process will be repeated for the next layers.
25. No stream should be diverted for the purpose of sand mining. No natural water course and/ or water resources are obstructed due to mining operations.
26. No labour camp be allowed in riverbed.
27. Mining should begin only after pucca pillar marking the boundary of lease area is erected at the cost of the lease holder after certification by the mining official and its geo coordinates are made available to the SEIAA, Bihar.
28. The top soil in case of surface mining shall be stored temporarily in an earmarked site and concurrently used for land reclamation.
29. Lease shall keep a correct account of quantity of mineral mined out, dispatched from the mine, mode of transport, registration number of vehicle, person in-charge of vehicle and mine plan. This should be produced before officers of Central Government and State for inspection.
30. Noise arising out of mining and processing shall be abated and controlled at source to keep within permissible limit.
31. The pollution due to transportation load on the environment will be effectively controlled & water sprinkling will also be done regularly.
32. Air Pollution due to dust, exhaust emission or fumes during mining and processing phase should be controlled and kept in permissible limits specified under environmental laws.
33. **The mineral transportation shall be carried out through covered trucks only and the vehicles carrying the mineral shall not be overloaded. Wheel washing facility should be installed and used.**
34. The aesthetics of the site shall be maintained.
35. Restoration of flora affected by mining should be done immediately. Twice the number of trees destroyed by mining be planted preferably of indigenous species.
36. No mining lease shall be granted in the forest area without forest clearance in accordance with the provisions of the Forest Conservation Act, 1980 and the rules made thereunder.
37. Protection of spring sources should be ensured.
38. Attempt should be there to restrict activities to cause minimum surface soil disturbance.
39. Adequate steps to check soil erosion and control debris flow etc. by constructing engineering structures should be ensured.
40. Site clearance and tidiness shall be maintained.

41. The proponent shall take all possible precautions for the protection of environment and control of pollution.
42. Junction at takeoff point of approach road with main road be properly developed with proper width and geometry required for safe movement of traffic by lease holder at his own cost.
43. Health and safety of workers should be taken care of.
44. Project Proponent shall appoint an Occupational Health Specialist for Regular and Periodical medical examination of the workers engaged in the Project and records maintained; also, Occupational health check-ups for workers having some ailments like BP, diabetes, habitual smokers, etc. shall be undertaken once in six months and necessary remedial/preventive measures taken accordingly. Recommendations of National Institute for Labour for ensuring good occupational environment for mine workers shall be adopted
45. The Distance from N.H, Railway line, Reservoir, Bridge shall be adopted as per Bihar Minor Mineral and concession Rule (2014) and amendment thereof.
46. The proponent shall not conduct sand mining where mining can cause danger to site of flood protection works, places of cultural, religious, historical, and archeological importance.
47. Vehicles only with fitness and PUC Certificates should be used.
48. Project Proponent shall ensure that the road may not be damaged due to transportation of the mineral; and transport of minerals will be as per IRC Guidelines with respect to complying with traffic congestion and density.
49. No stacking of sand is allowed on road side along national highways.
50. Restoration, reclamation and rehabilitation in cluster should be done systematically EC by the proponent.
51. Site specific plan with eco-restoration should be in place and implemented.
52. The PP shall make arrangement for drinking water, first aid facility.
53. Adequate steps should be taken to check soil erosion and control debris flow etc. by constructing engineering structures.
54. Proponent will provide adequate sanitary facility in the form of mobile toilets to the labours engaged for the project work.
55. Use of effective sprinkler system to suppress fugitive dust on haul roads and other transport roads shall be ensured; and washing of all transport vehicles should be done inside the mining lease.
56. The Proposed route for transportation should not pass through private land. But in case it passes permission from private land owner obtained.

AT BANGALORE
ASSISTANT GENERAL MANAGER
MINE SAFETY

B. General conditions

1. Any change in mining area Plot / Khata numbers, entailing capacity addition with change in process and or mining technology modernization and scope of working shall again require prior Environmental Clearance as per the provisions of EIA Notification, 2006 (as amended), MoEF&CC guidelines and Supreme Court judgement on the subject.
2. The Different Geo-Coordinate is given as per approved Mining Plan approved by Mining Deptt., Govt. of Bihar.
3. It shall be ensured that standards related to ambient air quality/effluent as prescribed by the Ministry of Environment & Forests are strictly complied with. Water sprinklers and other dust control majors should be applied to take-care of dust generated during mining operation, Sprinkling of water on haul roads to control dust will be ensured by the project proponent.
4. All necessary statutory clearances shall be obtained before start of mining operations. If this condition is violated, the 'clearance shall-be automatically deemed to have been cancelled.
5. Parking of vehicles should not be made on public places.
6. No tree-felling will be done in the leased area, except only with the permission of Forest Department.
7. No wildlife habitat will be infringed.
8. It shall be ensured that excavation of minor mineral does not disturb or change the underlying soil characteristics of the river bed / basin, where, mining is carried out.
9. It shall be ensured that mining operation will not in any way disturb the, velocity and flow pattern of the river water significantly.
10. Adequate protection against dust and other environmental pollution due to mining shall be made so that the habitations (if any) close by the lease area are not adversely affected. The status of implementation of measures taken shall be reported to the RO, BSPCB and SEIAA and this activity should be completed before the start of sand mining.
11. Need-based assessment for the nearby villages shall be conducted to study economic measures which can help in improving the quality of life of economically weaker section of society. Income generating projects / tools such as development of fodder farm, fruit bearing orchards, vocational training etc. can form a part of such program me. The project proponent shall provide separate budget for community development activities and income generating programmes.
12. Green cover development shall be carried out following CPCB guidelines including selection of plant species and in consultation with the local DFO / Horticulture Officer.

ASSESSMENT REPORT

13. Transportation of materials shall be done by covering the trucks / tractors with tarpaulin or other suitable mechanism to avoid fugitive emissions and spillage of mineral/dust.
14. Special Measures shall be adopted to protect the nearby settlements from the impacts of mining activities, Maintenance of Village roads through which transportation of minerals is to be undertaken, shall be carried out by the project proponent regularly at his own expenses.
15. Measures for prevention & control of soil erosion and management of silt shall be undertaken. Protection of dumps against erosion, if any, shall be carried out with geo textile matting or other suitable material.
16. The project proponent shall obtain necessary prior permission of the competent Authorities for withdrawal of requisite quantity of water (surface water and groundwater), required for the project.
17. Safety measures to be taken for the safety of the people working at the mine lease area should be given, which would also include measure for treatment of bite of poisonous reptile / insect like snake. Periodical and Annual medical check up of workers as per Mines Act and they should be covered under ESI as per rule.
18. No change in the calendar plan including excavation, quantum of mineral and waste should be made.
19. The Project proponent shall maintain register for production and dispatch and submit return to the SEIAA, Bihar & B.S.P.C.B, Patna.
20. Measures should be taken for control of noise levels below prescribed norms in the work environment.
21. Personnel working in dusty areas should wear protective respiratory devices and they should also be provided with adequate training and information on safety and health aspects. Occupational health surveillance program of the workers should be undertaken periodically to observe any contractions due to exposure to dust and take corrective measures, if needed.
22. Dispensary facilities for First Aid shall be provided at site.
23. Social Corporate Responsibility (SCR) plan along with budgetary provision amounting to 2.5 % of total project cost shall be submitted within three months on need base assessment study in the study area. Income generating measures which can help in upliftment of weaker section of society consistent with the traditional skills of the people identified. The programme can include activities such as drinking water arrangements in villages, arrangement for toilets, development of fodder farm, fruit bearing orchards, vocational training etc. In addition, vocational training for individuals shall be imparted so that poor section of society can take up self-employment and jobs. Separate budget for community development activities & income generating programmes shall be specified.
24. SEIAA, Bihar, The Bihar State Pollution Control Board, Patna directly or through its Regional Office, shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

25. The project proponent shall submit six monthly reports on the status of compliance of the stipulated environmental clearance conditions including results of monitored data (both in hard copies as well as by e-mail) to the SEIAA, Bihar & Bihar State Pollution Control Board, Patna and to its concerned Regional Office &
26. All statutory clearances shall be obtained before start of mining operations.
27. The Mines commissioner cum Principal Secretary, Government of Bihar through respective officers at the district level shall ensure the implementation of the stipulated environmental condition mention above.

C. Other points

1. The Authority reserves the right to add any new condition or modify the above conditions or to revoke the clearance if conditions stipulated above are not implemented to the satisfaction of Authority or for that matter for any other Administrative reason.
2. The Environmental Clearance accorded shall be valid for the period of grant of lease for the mine. The PP shall not increase production rate and alter lease area during the validity of Environmental Clearance.
3. In case of any deviation or alteration in the project proposed from those submitted to SEIAA, Bihar for clearance, a fresh reference should be made to SEIAA to assess the adequacy of the conditions imposed and to incorporate any new conditions if required.
4. The above stipulations would be enforced among others under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous Wastes (Management, Handling and Tran boundary Movement) Rules, 2008 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and rules made there under and also any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/ High Court of Bihar and any other Court of Law relating to the subject matter.
5. Any Appeal against this Environmental Clearance shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

R.C. Sinha

(Prof. R.C. SINHA)
Chairman,
SEIAA, BIHAR

विहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग।

राजस्व प्रशाखा

अधिसूचना

पटना, दिनांक.....

Email

02/एम0एम0-(बा0)-59/19-...../एम0 विहार खनिज
समानुदान, अर्द्ध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम 77
(2) के तहत दिनांक-31.12.2019 को समाप्त हो रही बालू बंदोबस्तधारियों की बंदोबस्ती
अवधि का दिनांक-31.10.2020 अथवा गये बालू बंदोबस्तधारियों को पर्यावरणीय स्वीकृति
उपरांत कार्यादेश निर्गत करने की तिथि जो पहले हो, तक अवधि-विस्तार पंचांग वर्ष
2019 की बंदोबस्ती राशि पर 50 प्रतिशत छूट के साथ स्वीकृति दी जाती है।
2 प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(अरुण प्रकाश)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-02/एम0एम0-(बा0)-59/19-...../एम0, पटना, दिनांक.....
प्रतिलिपि :-अवर सचिव, (ई-गजट कोषांग), गित्त विभाग, विहार, पटना को सी0डी0
सहित प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी 100 (एक सौ) प्रतियाँ मुद्रित
कर खान एवं भूतत्व विभाग, विहार, पटना को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-02/एम0एम0-(बा0)-59/19-4948/एम0, पटना, दिनांक 27/12/19
प्रतिलिपि:-सनी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/
प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

4 SEP 2020

पटना, बिहार

बिहार सरकार
आय एवं भूतल्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 14/9/2020

02/एम0एम0-(बा0)-35/20-2646/एम0 बिहार स्थिति
(समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं मंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम-77
(2) के तहत दिनांक 31.10.2020 को समाप्त हो रही बालू बंदोबस्ती अर्थात् विस्तार को
कोविड-19 के कारण बालूघाट संभालन बंद रहने तथा नव बंदोबस्त बालूघाटों के लिए
पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने में विलम्बता के कारण दिनांक 31.12.2020 अथवा नये
बालू बंदोबस्तधारियों को पर्यावरणीय स्वीकृति उपरांत कार्यादेश निर्गत करने की तिथि
जो पहले हो, तक अवधि विस्तार अग्रे वर्ष के बंदोबस्ती राशि पर 50 प्रतिशत वृद्धि के
साथ स्वीकृति दी जाती है।

2. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(सुशील कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

374
22/9/2020
जापांक-02/एम0एम0-(बा0)-35/20-2646/एम0, पटना, दिनांक 14/9/2020
प्रतिलिपि :-अवर सचिव, (ई-मजट कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0
सहित प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी 100 (एक सौ) प्रतियाँ मुद्रित
कर, खान एवं भूतल्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

जापांक-02/एम0एम0-(बा0)-35/20-2646/एम0, पटना, दिनांक 14/9/2020
प्रतिलिपि:-सभी विभागों के अवर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/
प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

कुल
14/9/2020

14/9/2020
सरकार के अवर सचिव।

प्रतिया

अधिसूचना -5-

पटना, दिनांक 30/12/2020

02/एम0एम0-(बा0)-53/20-3435/एम0 विहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम 77 (2) के तहत दिनांक-31.12.2020 को समाप्त हो रही बालू बंदोबस्तधारियों की बंदोबस्ती अवधि को दिनांक-31.03.2021 तक अवधि-विस्तार पंचांग वर्ष 2020 की बंदोबस्ती राशि पर 50 प्रतिशत वृद्धि के साथ स्वीकृति दी जाती है।

2. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(सुशील कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-02/एम0एम0-(बा0)-53/20-3435/एम0, पटना, दिनांक 30/12/2020
प्रतिलिपि :- अवर सचिव, (ई-यजट कोषांग), दित्त विभाग, बिहार, पटना को सीडी सहित प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी 100 (एक सौ) प्रतियाँ मुद्रित कर खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-02/एम0एम0-(बा0)-53/20-3435/एम0, पटना, दिनांक 30/12/2020
प्रतिलिपि:-सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/12/2020
सरकार के अवर सचिव।



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2649]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 13, 2017/भाद्र 22, 1939

No. 2649]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 13, 2017/BHADRA 22, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2017

का.आ. 3026(अ).—भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1824 (अ), तारीख 19 मई, 2016 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उमरे प्रभावित होने की संभावना थी, उन सारीय में, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां, जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने हुए एक प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी;

और, प्रारूप अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां 19 मई, 2016 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया;

और, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में अवस्थित है और 898.73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और अभयारण्य उत्तर और उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल पश्चिम में गंडक नदी के साथ बिहार सीमा से बाध्य है

और, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और विशेष और स्थानीय अद्वितीय भू-भागों और विविध भूमि निर्माण के विविधीकरण के साथ हिमालय गिरिपीठ के बाहरी शिवालिकों के भू-भाग क्षेत्रों के अंतर्गत वनस्पति और वन पहाड़ियों और घाटियों की पारिस्थितिकी प्रणाली, खुले नदी वनस्पती, पासभूमि और दलदली क्षेत्र जिसमें समृद्ध विविधता की वनस्पति और जीवजंतु का आश्रय शामिल है जैसे बाघ (पेंधेरा टाइगरिस), तेंदुआ (पेंधेरा पार्डस), भेड़िया (कैनिस ल्यूपस), जंगली कुत्ता (कुओन अल्पाइनस), लकड़बग्घा (हेयना एसपी.), जंगली बिल्ली (फेलिस चाउस), वनबिलाब (वीबरकुला एसपीपी.), ऊदबिलाब (सूटोमेल प्रेसिपिलाटा), गौर (बोस गौरस), सोनर (रगा इनीक्लोरो), चीतल (एक्सिस एसिसस), मुंजक (मुनटियाकस मुन्टजैक), हांग हिरण (हाइलफस पोर्सिनस), रीछ (मेलकस अरसिनस), पायथन (पायथनैडे एसपीपी), मुगर (क्रोकोडाइलस प्लतरीस), लंगूर (सेप्रोपेटेकस एसपीपी), आदि; पक्षी की प्रजातियां मोर (पावो क्रिस्टस), गिद्ध (गिप्स एसपीपी) और पक्षी की कई प्रजातियां अभयारण्य में निवास करती हैं, जिसमें भिन्न संकटापन्न और असुरक्षित हैं;

और, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का मार्ग क्षेत्र के दीर्घकालिक पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय महत्व से उत्पन्न उत्तरी बिहार मैदानों के दो प्रमुख नदियों गंडक और बुरी गंडक का स्रोत क्षेत्र है;

(1)

और, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के किनारे भी पारक जनजाति द्वारा परिवृष्य और अन्य जनजातियों के क्षेत्र में एक प्रमुख समुदाय के रूप में बसे हुए हैं जो क्षेत्र के जातीय, सांस्कृतिक और मानव विज्ञान के महत्व को समृद्ध करते हैं;

और, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है और उनके पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उनके कार्यों और प्रक्रियाओं को प्रतिबंधित करने के लिए, पूर्वोक्त संरक्षित क्षेत्र के आनुवंशिक संसाधनों के पुनरुद्धार और स्थानीय प्रजातियों के पुनर्वास के लिए लक्ष्यीकरण प्रबंधन किए जाएंगे;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्य में वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की सीमा 0 मीटर से 9 किलोमीटर तक के विस्तार तक के क्षेत्र को वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं—(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के क्षेत्र का विस्तार 0 मीटर से 9 किलोमीटर वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व तक है, शून्य सीमा पश्चिमी भाग के साथ उत्तर प्रदेश-सीमा के साथ नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करता है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 835.76 वर्ग किलोमीटर है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के अभयारण्य का मानचित्र और भू-निर्देशांक उपाबंध I और उपाबंध II के रूप में उपाबद्ध है।

(3) मुख्य बिंदुओं के साथ भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले 323 ग्रामों की सूची उपाबंध II के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना —(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) इस में तैयार किए गए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुबंध के साथ आनुपातिक होंगे और पर्यावरणीय विवक्षित सम्मिलित होगी।

(3) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(4) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(5) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन;
- (iii) शहरी विकास;
- (iv) पर्यटन;
- (v) नगरपालिक;
- (vi) राजस्व;
- (vii) कृषि;
- (viii) पशु और मत्स्य संसाधन;
- (ix) बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;
- (x) जल संसाधन (मिथाई);

- (xi) पुरातत्त्व; और
(xii) लोक निर्माण कार्य (सड़क संनिर्माण)।

(6) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूलता का संवर्धन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकासों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नदी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(8) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, पुरातात्विक स्मारक, विरामत संरचनाएं, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उमी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी और समर्थनकारी मानचित्र और विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं के ब्यारे देते हुए मानचित्रों द्वारा समर्थित होगी।

(9) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध, विनियमित तथा संवर्धित क्रियाकलापों का अनुमरण करेगी जिससे स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिक अनुकूल विकास सुनिश्चित किया जा सके।

(10) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के संबंध में निगरानी के अपने कार्यों को करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगा।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय— राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :—

(1) भू-उपयोग - पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रबोवनों के लिए अभिनिश्चित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग नहीं होगा या उनके लिए क्षेत्रों में संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

- पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि;
- विद्यमान सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का संनिर्माण;
- प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग;
- वर्षा जल संचयन; और
- कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुब-सुविधाएं हैं।

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों और तत्समव प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंज्ञात कोई त्रुटि निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में केवल एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केंद्रीय सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के निवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः बनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

4

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों** - आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन** - (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी।

(ख) बिहार राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन आंचलिक महायोजना तैयार किया जाएगा।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

- (i) वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया संश्रिमाण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। बशर्ते, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी;
- (ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याप्त संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;
- (iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाओं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें परिरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाई जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** - ध्वनि प्रदूषण - पारिस्थितिक संवेदी जोन में निवारण और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन ध्वनि (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के अनुसार संकलित किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, या बिहार राज्य पर्यावरण संरक्षण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(8) **बहिष्काव का निस्सारण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिष्काव का निस्सारण साधारण मानकों के लिए पर्यावरणीय प्रदूषित आच्छादित के निस्सारण के अंतर्गत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट** - ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

- (i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;
- (ii) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकार्य रीति में होगा;
- (iii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना जि.एस. आर 343 (अ)

तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा, और पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई साधारण उपचार सुविधा या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन:** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन:** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट:** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन:** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल रीति में विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और ऐसे समय तक जब तक आंचलिक महायोजना के तैयार होती है और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति गुसंगत अधिनियमों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

(15) **औद्योगिक इकाइयां:** - (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(16) **यानीय प्रदूषण:** - लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की निवारण और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण:** - पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:
(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों को उपदर्शित किया जाएगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।
(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(18) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, यदि यह आवश्यक समझती है, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेगी।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) और उसके किए गए संशोधनों सहित द्वारा शामिल होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और बृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध हैं, सिवाय निवासियों की बास्तबिक परेशू आवश्यकताओं के नहीं होंगी, जिसके अंतर्गत गृहों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई और व्यक्तिगत उपभोग के लिए गृहों के निर्माण के लिए देशी टाइलों या ईंटों का संनिर्माण भी है। (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडावर्गन विरुद्ध मूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल 2014 के आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।

2.	प्रदूषण (जल या वायु या मृदा या ध्वनि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	(क) कोई नया उद्योग या पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। (ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में केवल गैर-प्रदूषित उद्योगों को स्थापना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा, जब तक कि इस अधिमूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिपिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिपिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्वाह का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिपिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिपिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	ईट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिपिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
9.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों का स्थापना।	पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के लिए अस्थायी आवास के संरक्षित क्षेत्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना अनुज्ञात होगी; परंतु, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों के विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुरूप होंगे।
10.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप करना जैसे गर्म वायु गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना	लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	संरक्षित क्षेत्र की एक किलोमीटर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा; परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुज्ञा दी जाएगी। (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुख-सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधा भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन में जिस में गृह वास भी है सहायक हो; और (iv) इस अधिमूचना में सूचीबद्ध संबंधित क्रियाकलापों की सूची।
12.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किसी वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
13.	वन उत्पादों, छोटा चारा मशीन और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीपीएफ) का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

14.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों बिछाना तथा अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। (भूमिगत केबल विद्युत जाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
15.	प्राकृतिक जल निकासों भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्वाहों का निस्सारण।	उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्वाहों के निस्सारण को जल निकासों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा जल उपचारित अपशिष्ट जल के पुनचक्रण और पुनः उपयोग के लिए किए जाने वाले प्रयास लागू विधियों के अनुसार उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्वाह का निस्सारण विनियमित किया जाएगा।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण।	लागू विधियों के अनुसार समुचित पर्यावरण संचालन निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे।
17.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
18.	रात्रि में यानिक वातावात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
19.	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
20.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
21.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
22.	वाणिज्यिक सूचना-पट्ट और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
23.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
24.	नदी या प्राकृतिक जल निकासों में मछली पकड़ना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	सुरक्षा कैम्पों की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों नियमों और विनियमों मार्गी सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, और उपलब्ध किए जाएंगे।
28.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित और प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
29.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
30.	पारिस्थितिक पर्यटना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
ब. संबंधित क्रियाकलाप		
31.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय निवासियों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
33.	जैविक कृषि।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकट में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिक संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
37.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश आदि को बढ़ावा दिया जाता है।
38.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	पारिस्थितिक-अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

40.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	निम्नीकृत भूमि या वन या आवास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
42.	पर्यावरणीय जागरूकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. निगरानी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रभावी निगरानी के लिए एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- | | | |
|--------|---|----------------|
| (i) | आयुक्त, तिरहुट मुजफ्फरपुर प्रभाग | - अध्यक्ष ; |
| (ii) | क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, पश्चिम चंपारण | - सदस्य; |
| (iii) | जिला मजिस्ट्रेट, पश्चिमी चंपारण | - सदस्य; |
| (iv) | बिहार सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र एक विशेषज्ञ | - सदस्य ; |
| (v) | (प्राकृतिक विरासत संरक्षण सहित पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले) गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि जिसे बिहार सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा | - सदस्य ; |
| (vi) | सदस्य सचिव या सदस्य, बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड | - सदस्य ; |
| (vii) | क्षेत्रीय अधिकारी, बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड | - सदस्य; |
| (viii) | बिहार सरकार के राजस्व विभाग का प्रतिनिधि | - सदस्य; |
| (ix) | बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग का प्रतिनिधि | - सदस्य; |
| (x) | बिहार सरकार के खान और भू-विज्ञान का प्रतिनिधि | - सदस्य; |
| (xi) | बिहार सरकार के कृषि विभाग का प्रतिनिधि | - सदस्य; |
| (xii) | बिहार सरकार के पशु एवं मछली संसाधन विभाग का प्रतिनिधि | - सदस्य; |
| (xiii) | भागीय वन अधिकारी, वाल्मीकी टाइगर रिजर्व प्रभाग-I/II/III तीन साल की अवधि के लिए | - सदस्य सचिव । |

6. निर्देश निबंधन- (1) निगरानी कमेटी का कार्यकाल आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को निगरानी करेगी ।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 मितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिपिद्ध गतिविधियों के निवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिपिद्ध क्रियाकलापों के निवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 मितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) निगरानी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उपाबंध III पर उपाबंध रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।


8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/197/2015-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-1

वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व, बिहार के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध 1-क

बाल्मीकि टाइगर रिजर्व की सीमा के भू निर्देशांक (बाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान सहित)

क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर
1	27° 9' 26.366" उ	84° 2' 17.478" पू
2	27° 12' 10.620" उ	83° 59' 18.233" पू
3	27° 15' 6.225" उ	83° 54' 20.563" पू
4	27° 19' 6.074" उ	83° 50' 10.006" पू
5	27° 22' 27.377" उ	83° 53' 1.327" पू
6	27° 25' 33.688" उ	83° 49' 52.873" पू
7	27° 26' 55.066" उ	83° 56' 22.629" पू
8	27° 26' 46.500" उ	84° 2' 48.102" पू
9	27° 31' 1.340" उ	84° 6' 13.687" पू
10	27° 30' 44.208" उ	84° 9' 11.433" पू
11	27° 28' 44.283" उ	84° 9' 11.433" पू
12	27° 26' 48.641" उ	84° 15' 11.208" पू
13	27° 22' 8.103" उ	84° 25' 55.804" पू
14	27° 20' 18.886" उ	84° 37' 12.522" पू
15	27° 17' 25.423" उ	84° 39' 12.447" पू
16	27° 15' 55.479" उ	84° 37' 31.796" पू
17	27° 17' 12.574" उ	84° 34' 12.635" पू
18	27° 17' 53.263" उ	84° 27' 10.757" पू
19	27° 17' 31.848" उ	84° 24' 19.435" पू
20	27° 17' 23.282" उ	84° 22' 34.501" पू
21	27° 16' 53.300" उ	84° 19' 45.321" पू
22	27° 19' 38.197" उ	84° 18' 45.359" पू
23	27° 16' 44.734" उ	84° 18' 19.661" पू
24	27° 16' 4.045" उ	84° 10' 43.518" पू
25	27° 16' 31.885" उ	84° 7' 58.622" पू
26	27° 14' 42.668" उ	84° 7' 54.338" पू
27	27° 17' 29.706" उ	84° 5' 0.876" पू
28	27° 18' 33.952" उ	84° 3' 0.951" पू
29	27° 17' 46.838" उ	83° 58' 48.252" पू
30	27° 20' 36.018" उ	83° 59' 48.215" पू
31	27° 21' 23.131" उ	83° 56' 50.469" पू
32	27° 22' 35.943" उ	83° 54' 22.704" पू

33	27° 25' 10.132" उ	83° 54' 3.431" पू
34	27° 21' 29.556" उ	83° 55' 18.384" पू
35	27° 13' 25.573" उ	84° 0' 33.186" पू

बाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू निर्देशांक (बाल्मीकि बन्दजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान सहित)

आई डी	जकाश	देशांतर
1	27° 12' 5.773" उ	84° 40' 55.551" पू
2	27° 12' 51.851" उ	84° 41' 25.219" पू
3	27° 17' 4.785" उ	84° 39' 20.464" पू
4	27° 15' 44.679" उ	84° 37' 45.227" पू
5	27° 17' 57.457" उ	84° 37' 5.844" पू
6	27° 16' 46.292" उ	84° 35' 13.459" पू
7	27° 19' 15.318" उ	84° 34' 19.321" पू
8	27° 18' 14.447" उ	84° 30' 8.621" पू
9	27° 18' 27.344" उ	84° 23' 4.392" पू
10	27° 18' 33.990" उ	84° 20' 30.961" पू
11	27° 17' 18.249" उ	84° 20' 24.842" पू
12	27° 19' 29.500" उ	84° 18' 29.292" पू
13	27° 16' 9.877" उ	84° 18' 25.649" पू
14	27° 16' 39.393" उ	84° 15' 55.437" पू
15	27° 18' 50.238" उ	84° 13' 20.246" पू
16	27° 20' 41.656" उ	84° 12' 45.124" पू
17	27° 19' 36.535" उ	84° 11' 47.948" पू
18	27° 22' 39.295" उ	84° 11' 25.432" पू
19	27° 19' 55.185" उ	84° 10' 46.601" पू
20	27° 22' 14.572" उ	84° 8' 36.725" पू
21	27° 24' 28.758" उ	84° 10' 6.547" पू
22	27° 23' 24.870" उ	84° 8' 49.930" पू
23	27° 24' 56.308" उ	84° 5' 16.298" पू
24	27° 23' 26.740" उ	84° 7' 20.044" पू
25	27° 21' 4.173" उ	84° 7' 59.693" पू
26	27° 16' 54.164" उ	84° 14' 28.275" पू
27	27° 16' 39.658" उ	84° 12' 28.660" पू
28	27° 15' 56.878" उ	84° 7' 23.943" पू

29	27° 14' 44.735" उ	84° 8' 6.938" पू
30	27° 17' 28.542" उ	84° 6' 25.971" पू
31	27° 18' 22.154" उ	84° 4' 24.673" पू
32	27° 19' 33.968" उ	84° 1' 26.838" पू
33	27° 17' 15.738" उ	83° 58' 22.177" पू
34	27° 20' 40.526" उ	83° 59' 49.357" पू
35	27° 21' 29.327" उ	83° 56' 49.394" पू
36	27° 22' 58.638" उ	83° 56' 28.349" पू
37	27° 22' 51.589" उ	83° 55' 15.604" पू
38	27° 22' 30.668" उ	83° 54' 36.868" पू
39	27° 24' 23.536" उ	83° 55' 12.342" पू
40	27° 26' 33.029" उ	83° 55' 37.902" पू
41	27° 26' 4.096" उ	83° 54' 15.841" पू
42	27° 24' 36.498" उ	83° 52' 57.164" पू
43	27° 23' 10.224" उ	83° 53' 8.019" पू
44	27° 20' 47.223" उ	83° 53' 29.658" पू
45	27° 20' 45.170" उ	83° 55' 38.714" पू
46	27° 17' 16.382" उ	83° 56' 39.323" पू
47	27° 16' 8.220" उ	83° 57' 50.979" पू
48	27° 14' 18.698" उ	83° 59' 6.100" पू
49	27° 12' 24.492" उ	84° 1' 25.880" पू
50	27° 10' 32.878" उ	84° 2' 12.566" पू
51	27° 10' 27.347" उ	83° 59' 49.816" पू
52	27° 8' 25.973" उ	83° 57' 47.993" पू
53	27° 7' 16.514" उ	84° 2' 22.227" पू
54	27° 8' 56.865" उ	84° 3' 32.695" पू
55	27° 8' 20.234" उ	84° 5' 1.133" पू
56	27° 12' 51.887" उ	84° 5' 4.849" पू
57	27° 11' 38.547" उ	84° 9' 35.276" पू
58	27° 13' 55.119" उ	84° 12' 57.305" पू
59	27° 12' 39.678" उ	84° 14' 2.801" पू
60	27° 13' 45.089" उ	84° 16' 55.020" पू
61	27° 13' 4.504" उ	84° 19' 16.517" पू
62	27° 15' 31.535" उ	84° 23' 0.120" पू
63	27° 14' 18.833" उ	84° 25' 30.118" पू

64	27° 15' 51.499" उ	84° 27' 57.564" पू
65	27° 14' 35.962" उ	84° 30' 57.877" पू
66	27° 14' 7.768" उ	84° 33' 48.043" पू
67	27° 15' 3.240" उ	84° 35' 30.451" पू
68	27° 13' 5.323" उ	84° 36' 56.632" पू
69	27° 14' 12.883" उ	84° 39' 47.730" पू
70	27° 12' 5.773" उ	84° 40' 55.551" पू

उपाबंध-II

वाल्मीकि बाघ आरक्षिती (वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान शामिल) के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची सहित भू निर्देशांकों

क्र.सं.	ग्राम	अक्षांश	देशांतर
1	गुडगुडी	27° 13' 31.581" उ	84° 14' 24.102" पू
2	चमरदीह बरगोन	27° 14' 54.204" उ	84° 14' 12.857" पू
3	कहुनिया (गैर-आबाद)	27° 14' 44.496" उ	84° 15' 26.303" पू
4	संतपुर	27° 15' 28.222" उ	84° 13' 14.684" पू
5	गोवर धाना	27° 19' 18.232" उ	84° 18' 45.830" पू
6	मेघवन	27° 14' 54.254" उ	84° 20' 45.237" पू
7	झारातवा	27° 15' 16.313" उ	84° 20' 36.026" पू
8	चुरीहरवा	27° 14' 7.646" उ	84° 17' 37.277" पू
9	पाथरी	27° 14' 23.966" उ	84° 16' 31.744" पू
10	सीवरही	27° 15' 57.172" उ	84° 14' 52.280" पू
11	परसौनी	27° 16' 6.524" उ	84° 20' 6.795" पू
12	पोखरिया	27° 16' 20.184" उ	84° 20' 59.836" पू
13	बैकतवा	27° 17' 28.968" उ	84° 20' 47.052" पू
14	घोराघाट खैरा	27° 17' 59.877" उ	84° 19' 13.365" पू
15	कुमहीया कलान	27° 13' 52.302" उ	84° 15' 33.549" पू
16	चुरीहरवा	27° 13' 49.841" उ	84° 13' 34.691" पू
17	बैकतवा	27° 22' 38.885" उ	84° 11' 5.601" पू
18	हरपुर	27° 14' 57.192" उ	84° 21' 35.413" पू
19	बखराहा	27° 15' 15.431" उ	84° 17' 29.509" पू
20	बैरिया	27° 16' 55.758" उ	84° 19' 43.554" पू
21	बगही	27° 16' 22.199" उ	84° 17' 38.672" पू
22	हुमरी	27° 16' 43.580" उ	84° 15' 47.272" पू
23	बकवा	27° 15' 1.822" उ	84° 19' 19.118" पू

24	मलकौनी	27° 19' 57.420" उ	83° 58' 50.286" पू
25	गोनीली	27° 20' 35.905" उ	83° 58' 35.992" पू
26	पीपरी	27° 8' 39.736" उ	84° 5' 35.245" पू
27	गोइटी	27° 8' 58.322" उ	84° 4' 30.466" पू
28	सुखवन	27° 8' 56.881" उ	84° 3' 48.586" पू
29	औसनी	27° 9' 49.536" उ	84° 3' 0.794" पू
30	बरवल	27° 9' 32.233" उ	84° 5' 16.883" पू
31	वनसगनव	27° 10' 6.821" उ	84° 4' 13.210" पू
32	सवेया मुसाई	27° 10' 44.788" उ	84° 4' 33.933" पू
33	बोरीदीरी	27° 10' 33.521" उ	84° 3' 34.310" पू
34	फर्लहनी	27° 11' 31.924" उ	84° 4' 18.666" पू
35	नाकर रामपुर	27° 11' 47.946" उ	84° 2' 17.099" पू
36	जामुनापुर	27° 11' 40.598" उ	84° 3' 47.057" पू
37	पथेरवा	27° 12' 23.448" उ	84° 4' 26.344" पू
38	पीपरा धारीली	27° 12' 31.383" उ	84° 3' 20.512" पू
39	पाईकौलिया	27° 12' 23.915" उ	84° 9' 5.925" पू
40	रामीलिया	27° 12' 55.387" उ	84° 9' 47.796" पू
41	मेदरौल	27° 13' 4.273" उ	84° 8' 24.781" पू
42	पीरहा	27° 13' 30.349" उ	84° 5' 45.437" पू
43	लेवाफस फसो	27° 13' 32.397" उ	84° 4' 31.398" पू
44	बुधसर	27° 13' 54.172" उ	84° 1' 57.475" पू
45	केराई बेराई	27° 13' 45.535" उ	84° 8' 50.311" पू
46	मरजादपुर	27° 13' 40.968" उ	84° 9' 45.580" पू
47	नवनतवन	27° 14' 12.847" उ	84° 6' 17.274" पू
48	टीकुलिया	27° 14' 15.797" उ	84° 5' 40.992" पू
49	वतसारा	27° 14' 10.070" उ	84° 0' 25.384" पू
50	बाईरती	27° 14' 26.531" उ	84° 11' 53.221" पू
51	गंगीलिया	27° 14' 39.006" उ	84° 7' 48.033" पू
52	धाराहिया	27° 14' 22.574" उ	84° 7' 5.390" पू
53	मिधावा	27° 14' 32.964" उ	84° 1' 27.949" पू
54	बामीरा	27° 15' 15.767" उ	84° 5' 0.593" पू
55	बाईरागी सोनबरसा	27° 15' 3.492" उ	84° 10' 54.153" पू
56	बेलाहवा	27° 15' 28.635" उ	83° 59' 25.991" पू
57	अमहत	27° 16' 11.146" उ	83° 59' 29.691" पू
58	जरर	27° 15' 40.067" उ	84° 2' 34.395" पू

59	पोखरभीता	27° 8' 11.825" उ	84° 3' 57.124" पू
60	मीपनिया	27° 8' 50.842" उ	84° 5' 19.002" पू
61	अमदीह	27° 9' 33.963" उ	84° 4' 40.036" पू
62	मंगलपुर	27° 9' 27.284" उ	84° 2' 57.232" पू
63	पोखरभीता	27° 9' 58.653" उ	84° 5' 30.814" पू
64	सखोई	27° 10' 2.353" उ	84° 5' 4.807" पू
65	नयागनवा	27° 10' 14.511" उ	84° 2' 45.934" पू
66	घारमौली	27° 11' 4.391" उ	84° 4' 58.645" पू
67	रामपुर	27° 11' 4.231" उ	84° 2' 26.827" पू
68	ज्ञानकौल	27° 12' 20.636" उ	84° 6' 57.091" पू
69	दुधीरा	27° 13' 2.543" उ	84° 2' 14.876" पू
70	रामपुरवा	27° 11' 38.487" उ	84° 1' 40.469" पू
71	खुरहरिया	27° 13' 12.112" उ	84° 6' 44.651" पू
72	पीपरा	27° 13' 30.702" उ	84° 11' 34.739" पू
73	बीबनिया	27° 13' 28.097" उ	84° 2' 57.682" पू
74	वाईराईदीह	27° 14' 1.895" उ	84° 3' 20.192" पू
75	बलकाहवा	27° 13' 51.769" उ	84° 11' 44.778" पू
76	मेराहवा	27° 13' 51.334" उ	84° 10' 51.138" पू
77	मेमरा	27° 13' 19.949" उ	84° 7' 36.761" पू
78	वरवनव	27° 14' 9.491" उ	84° 12' 39.168" पू
79	रतनपुरवा	27° 14' 38.347" उ	84° 9' 53.159" पू
80	लज्जगीपुर	27° 14' 59.044" उ	84° 9' 21.239" पू
81	वरवा खुर्द	27° 15' 22.907" उ	84° 4' 22.275" पू
82	सीनागही	27° 15' 34.921" उ	84° 1' 51.062" पू
83	पुचरूखा	27° 14' 43.605" उ	83° 58' 42.101" पू
84	बजी	27° 15' 25.598" उ	84° 0' 59.008" पू
85	बिहार	27° 15' 37.706" उ	84° 0' 19.712" पू
86	मीसरीनिया	27° 15' 39.230" उ	84° 3' 30.641" पू
87	चीउताता	27° 15' 18.429" उ	84° 12' 19.929" पू
88	डोलबजवा	27° 15' 41.111" उ	84° 8' 38.409" पू
89	भेलाही	27° 16' 14.428" उ	84° 5' 16.640" पू
90	हथीवनवन	27° 16' 9.282" उ	84° 7' 31.411" पू
91	गरकट्टी	27° 16' 37.405" उ	84° 2' 11.735" पू
92	कदमहा	27° 16' 26.177" उ	84° 12' 42.291" पू
93	केराई	27° 16' 51.419" उ	83° 57' 41.849" पू

94	घुरीली	27° 16' 45.120" उ	83° 58' 28.247" पू
95	मोहना	27° 16' 41.485" उ	84° 0' 32.482" पू
96	भरञ्जी	27° 16' 47.815" उ	84° 3' 20.182" पू
97	नीरंगिया	27° 17' 8.994" उ	83° 56' 59.962" पू
98	कुनाई लक्ष्मीपुर	27° 17' 12.098" उ	84° 5' 30.383" पू
99	मैनाहामोघिया	27° 16' 56.446" उ	84° 6' 20.230" पू
100	बेराई	27° 17' 40.416" उ	83° 57' 54.484" पू
101	अमोलबा	27° 17' 35.170" उ	84° 3' 3.624" पू
102	अमवा	27° 17' 41.792" उ	83° 59' 9.730" पू
103	तरीवनवा	27° 17' 17.814" उ	84° 4' 29.315" पू
104	कथरवा	27° 18' 11.060" उ	83° 59' 18.625" पू
105	हरनातनर	27° 18' 7.428" उ	84° 1' 2.389" पू
106	देवताहा	27° 18' 19.214" उ	83° 58' 17.099" पू
107	पंदरखाप	27° 18' 20.665" उ	84° 3' 4.264" पू
108	दरदरी	27° 18' 19.592" उ	83° 57' 17.258" पू
109	महदेवा	27° 19' 5.337" उ	84° 1' 28.441" पू
110	नारायणणापुर	27° 20' 8.509" उ	83° 57' 52.310" पू
111	शीउनाहा	27° 20' 37.462" उ	83° 57' 8.152" पू
112	बलगनगवा	27° 20' 10.606" उ	83° 52' 16.482" पू
113	सोहरिया	27° 21' 38.242" उ	83° 56' 29.248" पू
114	दरीआबरी	27° 22' 56.532" उ	83° 55' 48.081" पू
115	थारही	27° 24' 58.987" उ	83° 52' 13.759" पू
116	नवातनवा	27° 15' 12.045" उ	84° 6' 9.701" पू
117	देवरिया	27° 16' 12.972" उ	84° 4' 8.251" पू
118	काताहा	27° 16' 5.744" उ	84° 10' 8.709" पू
119	कोतराहा	27° 15' 31.149" उ	83° 56' 40.925" पू
120	भीताहा	27° 16' 15.083" उ	84° 11' 34.009" पू
121	मतियारिया	27° 16' 56.662" उ	83° 59' 22.438" पू
122	मीसरीलिया	27° 16' 6.250" उ	83° 55' 24.172" पू
123	बाजोरिया	27° 17' 29.643" उ	84° 2' 26.318" पू
124	सेमरा	27° 18' 18.512" उ	84° 0' 26.122" पू
125	बरबा कलान	27° 18' 6.324" उ	84° 3' 57.229" पू
126	महौअवा	27° 18' 49.953" उ	83° 59' 16.865" पू
127	पीधरत	27° 19' 14.538" उ	83° 58' 17.217" पू
128	बाईरिया कलान	27° 19' 5.044" उ	84° 2' 24.649" पू

129	बैकतव	27° 19' 19.457" उ	84° 0' 39.161" पू
130	चमपापुर	27° 19' 31.580" उ	83° 56' 44.874" पू
131	झरहरवा	27° 19' 42.631" उ	83° 54' 23.630" पू
132	गोरर	27° 20' 34.421" उ	83° 59' 29.608" पू
133	परसौनी	27° 21' 41.685" उ	83° 54' 33.327" पू
134	संतपुर	27° 22' 35.169" उ	83° 56' 36.178" पू
135	रामपुरवा	27° 22' 47.434" उ	83° 53' 46.258" पू
136	लज्जमीपुर	27° 23' 2.729" उ	83° 54' 55.027" पू
137	कोताराहा	27° 23' 48.675" उ	83° 54' 25.848" पू
138	पीपरा	27° 24' 25.550" उ	83° 54' 15.115" पू
139	कालपनी	27° 26' 1.688" उ	83° 56' 56.895" पू
140	भाईसलोतन	27° 25' 26.084" उ	83° 55' 25.514" पू
141	छातरौल	27° 17' 13.167" उ	84° 1' 6.405" पू
142	करमाहा	27° 13' 32.225" उ	84° 1' 42.592" पू
143	शिवराहा	27° 14' 22.128" उ	84° 8' 39.134" पू
144	शेरपुर	27° 17' 23.420" उ	84° 24' 54.505" पू
145	परसा	27° 15' 57.863" उ	84° 23' 9.632" पू
146	परसा	27° 16' 37.454" उ	84° 30' 51.815" पू
147	सीनबरसा	27° 17' 25.828" उ	84° 22' 7.735" पू
148	सीरमिया	27° 17' 17.897" उ	84° 24' 10.657" पू
149	मतियारिया	27° 17' 51.586" उ	84° 23' 19.044" पू
150	महीवा	27° 18' 22.987" उ	84° 21' 9.174" पू
151	लुआघाहा	27° 18' 18.105" उ	84° 25' 11.370" पू
152	परसा	27° 18' 49.494" उ	84° 20' 33.235" पू
153	मनदीह	27° 15' 10.665" उ	84° 31' 28.847" पू
154	कातहा	27° 19' 22.712" उ	84° 33' 33.904" पू
155	हरदी	27° 14' 46.192" उ	84° 24' 46.811" पू
156	बेलसनदी	27° 15' 5.786" उ	84° 25' 40.403" पू
157	गमहरिया	27° 14' 29.226" उ	84° 33' 44.799" पू
158	सेरहवा	27° 15' 6.319" उ	84° 30' 40.373" पू
159	पकरी कलान	27° 15' 43.418" उ	84° 25' 58.068" पू
160	पकरी बुर्द	27° 15' 42.282" उ	84° 25' 15.179" पू
161	गुजरा मोतीहरी	27° 16' 10.537" उ	84° 21' 39.783" पू
162	तहकौल	27° 16' 23.455" उ	84° 25' 43.281" पू
163	तारा	27° 16' 15.472" उ	84° 28' 51.466" पू

164	रतनी	27° 16' 41.091" उ	84° 31' 45.240" पू
165	मन्जिदवा	27° 16' 49.825" उ	84° 23' 36.388" पू
166	कचकहर	27° 16' 59.884" उ	84° 25' 56.185" पू
167	सुपील	27° 16' 56.320" उ	84° 35' 36.085" पू
168	सीधी	27° 16' 46.352" उ	84° 27' 43.173" पू
169	भतनी	27° 17' 1.245" उ	84° 35' 0.656" पू
170	विजयपुर	27° 17' 15.534" उ	84° 26' 32.275" पू
171	घेघोनिया	27° 17' 11.607" उ	84° 33' 26.444" पू
172	देवरहा	27° 17' 4.199" उ	84° 34' 18.569" पू
173	दोमत	27° 17' 41.491" उ	84° 32' 17.683" पू
174	राजपुर	27° 17' 45.519" उ	84° 33' 40.837" पू
175	हरकतवा	27° 18' 9.650" उ	84° 30' 1.344" पू
176	बजनी	27° 18' 13.039" उ	84° 28' 0.549" पू
177	जमहौली महाजोगीन	27° 18' 19.061" उ	84° 28' 35.330" पू
178	महाजोगीन	27° 18' 35.976" उ	84° 33' 13.688" पू
179	वलवल	27° 18' 47.570" उ	84° 34' 7.654" पू
180	काईरी	27° 18' 59.083" उ	84° 32' 37.709" पू
181	काईरी	27° 15' 22.152" उ	84° 22' 17.354" पू
182	बरहरवा	27° 15' 32.791" उ	84° 24' 31.088" पू
183	पीपरिया	27° 15' 42.225" उ	84° 29' 52.463" पू
184	बाईरिया	27° 15' 28.734" उ	84° 29' 1.360" पू
185	लञ्जमीपुर	27° 15' 23.285" उ	84° 34' 46.010" पू
186	बाईरिया	27° 16' 14.219" उ	84° 22' 24.677" पू
187	सीसाई	27° 15' 58.934" उ	84° 31' 5.245" पू
188	गेतहारिया	27° 15' 48.983" उ	84° 33' 54.902" पू
189	गमहरिया	27° 16' 4.695" उ	84° 26' 49.843" पू
190	पहाकौल	27° 15' 55.096" उ	84° 32' 4.260" पू
191	पहकौल	27° 16' 24.943" उ	84° 25' 3.419" पू
192	बेलवा	27° 16' 25.612" उ	84° 22' 3.942" पू
193	रामपुरवा	27° 16' 18.124" उ	84° 30' 6.826" पू
194	विशुनपुरवा	27° 16' 39.216" उ	84° 26' 53.496" पू
195	गवनाहा	27° 16' 36.224" उ	84° 34' 16.191" पू
196	धामौरा	27° 16' 29.320" उ	84° 35' 7.829" पू
197	बसवरिया	27° 16' 21.701" उ	84° 28' 16.962" पू
198	जामुनिया	27° 16' 22.126" उ	84° 33' 33.573" पू

199	महोई	27° 16' 52.553" उ	84° 22' 30.101" पू
200	रतनपुरवा	27° 16' 44.028" उ	84° 32' 26.497" पू
201	गवानाहा	27° 17' 1.721" उ	84° 34' 41.300" पू
202	हरपूर	27° 16' 50.188" उ	84° 29' 38.658" पू
203	सेमरी	27° 17' 3.188" उ	84° 28' 44.958" पू
204	परसौनी	27° 16' 45.727" उ	84° 36' 37.114" पू
205	दीहजगरनाथपुर	27° 17' 16.879" उ	84° 27' 12.821" पू
206	गवानाहा	27° 17' 12.096" उ	84° 31' 6.936" पू
207	दुरिया	27° 17' 14.136" उ	84° 32' 10.856" पू
208	वाईरिया	27° 17' 21.963" उ	84° 35' 2.017" पू
209	रूपीनिया	27° 17' 30.827" उ	84° 30' 19.019" पू
210	बेलाहनिया	27° 17' 41.498" उ	84° 34' 20.931" पू
211	बिंशुनपुरवा	27° 18' 8.064" उ	84° 32' 19.260" पू
212	धरमपुर	27° 18' 10.231" उ	84° 33' 10.802" पू
213	भावनीपुर	27° 17' 48.664" उ	84° 35' 29.047" पू
214	दुमरो	27° 17' 48.197" उ	84° 29' 11.793" पू
215	सोनखर	27° 18' 15.046" उ	84° 33' 51.792" पू
216	पीरारी	27° 18' 4.091" उ	84° 27' 32.750" पू
217	मगुराहा	27° 18' 6.349" उ	84° 31' 17.676" पू
218	इकवा	27° 17' 53.054" उ	84° 36' 40.156" पू
219	सरफरवा	27° 17' 37.417" उ	84° 28' 21.789" पू
220	बोतगोनत	27° 17' 44.932" उ	84° 33' 6.931" पू
221	पचरोता	27° 13' 58.603" उ	84° 39' 13.576" पू
222	चौहात्ता	27° 13' 43.060" उ	84° 37' 12.457" पू
223	जीगना	27° 14' 24.176" उ	84° 38' 55.944" पू
224	धोकराहा	27° 13' 48.626" उ	84° 36' 33.844" पू
225	हरदिया	27° 14' 9.451" उ	84° 38' 0.361" पू
226	गमहरिया	27° 14' 46.076" उ	84° 37' 58.181" पू
227	पन्नगञ्जिया	27° 14' 59.143" उ	84° 38' 45.870" पू
228	पारारिया	27° 15' 16.024" उ	84° 38' 17.520" पू
229	चकरसेन	27° 15' 4.777" उ	84° 37' 32.609" पू
230	मनपुर	27° 16' 10.882" उ	84° 37' 40.326" पू
231	सोनहा	27° 15' 0.093" उ	84° 19' 55.860" पू
232	नरकतिया	27° 20' 10.461" उ	84° 10' 7.491" पू
233	मतीअरिया कुलान	27° 14' 21.095" उ	84° 19' 48.454" पू

234	मतीअरिया खुर्द	27° 13' 43.518" उ	84° 19' 53.107" पू
235	मधुवनी	27° 13' 57.438" उ	84° 18' 42.330" पू
236	मथिया	27° 14' 10.568" उ	84° 20' 44.498" पू
237	वरग	27° 15' 32.325" उ	84° 20' 8.932" पू
238	सीनगही	27° 15' 41.800" उ	84° 16' 25.251" पू
239	मनोहागवन	27° 17' 8.492" उ	84° 18' 23.002" पू
240	वनवरी	27° 18' 36.252" उ	84° 13' 44.088" पू
241	रूपवालिया	27° 22' 26.687" उ	84° 10' 14.544" पू
242	वरवा दीह	27° 22' 55.383" उ	84° 7' 9.347" पू
243	गोबराहिया	27° 22' 42.107" उ	84° 8' 17.816" पू
244	झाझरी	27° 23' 51.022" उ	84° 8' 54.503" पू
245	वेनाहनी	27° 24' 23.360" उ	84° 9' 41.194" पू
246	वेनाहनी	27° 24' 23.360" उ	84° 9' 41.194" पू
247	मजुरहा	27° 24' 34.839" उ	84° 7' 43.174" पू
248	धायर	27° 24' 29.230" उ	84° 9' 5.677" पू
249	गरदी	27° 24' 50.816" उ	84° 5' 20.592" पू
250	नीरंगिया	27° 24' 24.726" उ	84° 6' 27.375" पू
251	नोतनवा	27° 16' 57.604" उ	84° 16' 59.662" पू
252	हरीहृशपुर	27° 17' 17.088" उ	84° 14' 14.796" पू
253	दमरापुर	27° 17' 48.426" उ	84° 15' 17.366" पू
254	रगिया	27° 20' 58.956" उ	84° 13' 53.258" पू
255	दोखनी	27° 20' 52.808" उ	84° 8' 52.766" पू
256	सेराहवा	27° 21' 39.330" उ	84° 10' 50.302" पू
257	घोबाहा	27° 22' 11.710" उ	84° 11' 49.799" पू
258	पीपरा	27° 23' 8.895" उ	84° 9' 4.150" पू
259	करमाहा	27° 23' 26.378" उ	84° 11' 7.111" पू
260	बेलातनदी	27° 23' 49.824" उ	84° 9' 35.030" पू
261	सीसवा	27° 16' 25.222" उ	84° 13' 36.496" पू
262	सीतलवरी	27° 20' 6.687" उ	84° 12' 41.445" पू
263	काताहा	27° 20' 3.835" उ	84° 10' 58.424" पू
264	बीरकेहनी	27° 13' 52.348" उ	84° 19' 17.827" पू
265	बकरी पचरुधिया	27° 15' 32.606" उ	84° 18' 48.338" पू
266	सखौनी	27° 17' 50.872" उ	84° 17' 57.712" पू
267	बनारहा	27° 20' 43.113" उ	84° 10' 58.688" पू
268	बाईरिया कलान	27° 23' 16.101" उ	84° 7' 41.753" पू

[भाग II-खण्ड 3(ii)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

269	हस्ती बाईरिया	27° 18' 8.876" उ	84° 21' 44.691" पू
270	बखरी	27° 18' 0.642" उ	84° 26' 34.477" पू
271	मनदीह	27° 18' 0.311" उ	84° 25' 41.362" पू
272	कथराव	27° 15' 5.937" उ	84° 32' 55.687" पू
273	बेनदौली	27° 15' 59.003" उ	84° 32' 48.696" पू
274	परसानदा	27° 16' 47.162" उ	84° 33' 3.881" पू
275	सेराहवा	27° 16' 6.534" उ	84° 23' 56.857" पू
276	खुरहरिया	27° 16' 28.230" उ	84° 24' 34.410" पू
277	सेमभुपुर	27° 17' 41.387" उ	84° 34' 57.058" पू
278	खैरातिया	27° 17' 34.951" उ	84° 35' 44.963" पू
279	भतुझीला	27° 17' 48.134" उ	84° 38' 14.019" पू
280	बनबाईरिया	27° 15' 46.245" उ	84° 35' 42.242" पू
281	पुरैना	27° 15' 42.302" उ	84° 36' 39.802" पू
282	दरहिया	27° 14' 7.255" उ	84° 8' 11.392" पू
283	नरैनगढ	27° 14' 38.528" उ	84° 2' 15.432" पू
284	चेगौना	27° 13' 23.494" उ	84° 3' 36.449" पू
285	वरबा	27° 13' 40.253" उ	84° 6' 28.736" पू
286	बकुनिया	27° 14' 32.074" उ	84° 4' 44.097" पू
287	मझीवा	27° 14' 38.160" उ	84° 3' 54.686" पू
288	बेहुअरवा	27° 14' 36.684" उ	84° 3' 3.787" पू
289	जमीरा	27° 16' 1.674" उ	84° 6' 19.860" पू
290	सोनगहरवा	27° 19' 15.327" उ	83° 57' 24.090" पू
291	बाईरिया खुर्द	27° 18' 2.482" उ	84° 1' 49.359" पू
292	सतचुवनवा	27° 19' 31.316" उ	83° 59' 24.250" पू
293	कतफोरवा	27° 11' 11.318" उ	84° 3' 13.643" पू
294	गनधारिया	27° 14' 12.385" उ	84° 3' 29.949" पू
295	सेमरालाबेदाहा	27° 8' 46.645" उ	84° 0' 8.654" पू
296	केहुनिया दीह	27° 15' 45.604" उ	84° 31' 27.937" पू
297	पंचगरवा	27° 12' 45.365" उ	84° 6' 7.012" पू
298	गोरकती	27° 11' 40.625" उ	84° 4' 51.301" पू
299	लौकर	27° 14' 38.776" उ	84° 36' 28.747" पू
300	मलकुली-पटबुली	27° 8' 30.00" उ	84° 3' 0.00" पू
301	नारायणपुर	27° 7' 48.00" उ	84° 3' 15.0" पू
302	परसा	27° 18' 30.25" उ	84° 20' 25.33" पू
303	कनधुमारी	27° 17' 20.30" उ	84° 18' 30.50" पू

304	मदनपुर	27° 14' 30.40" उ	84° 0' 30.5" पू
305	मीतलपुर	27° 13' 57.34" उ	84° 35' 41.674" पू
306	बिराची	27° 14' 35.324" उ	84° 35' 32.080" पू
307	भावनीपुर	27° 14' 12.710" उ	84° 34' 24.922" पू
308	वेनगरा	27° 15' 23.431" उ	84° 23' 4.571" पू
309	लक्ष्मीता(भाग)	27° 14' 48.687" उ	84° 23' 23.691" पू
310	तुरकौली	27° 14' 50.949" उ	84° 22' 49.358" पू
311	शाहजहांपुर	27° 15' 2.050" उ	84° 23' 53.090" पू
312	मीतनी	27° 15' 0.183" उ	84° 27' 8.670" पू
313	बलोओ	27° 15' 12.175" उ	84° 26' 36.975" पू
314	सलेमपुर	27° 14' 47.334" उ	84° 26' 21.985" पू
315	मनीहनी	27° 15' 24.168" उ	84° 27' 36.938" पू
316	कोहरगरी	27° 15' 30.164" उ	84° 28' 19.340" पू
317	रामपुर(भाग)	27° 13' 37.520" उ	84° 38' 13.824" पू
318	जसीली(भाग)	27° 13' 49.941" उ	84° 40' 0.472" पू
319	बकुलाहर(भाग)	27° 13' 15.677" उ	84° 36' 29.747" पू
320	कनकुइया(भाग)	27° 12' 22.996" उ	84° 7' 41.673" पू
321	नरवल(भाग)	27° 10' 24.045" उ	84° 5' 28.449" पू
322	दुमरी	27° 11' 17.155" उ	84° 5' 12.483" पू
323	दुनदीलिया	27° 10' 47.276" उ	84° 5' 26.188" पू

उपाबंध III

पारिस्थितिकी संवेदी जोन निगरानी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप बिधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबंध करें।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्राम्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविधा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबंध किए जा सकते हैं।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविधा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबंध किए जा सकते हैं।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09072021-228199
CG-DL-E-09072021-228199

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2560]
No. 2560]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 9, 2021/आषाढ़ 18, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 9, 2021/ASHADHA 18, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2021

का.आ. 2765(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित का.आ.सं. 3026 (अ), तारीख 13 सितंबर, 2017 द्वारा बिहार राज्य में वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि बाघ रिज़र्व के आसपास पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचित किया;

और, बिहार सरकार ने अपने पत्र सं. वन्यजीव-235, तारीख 27.04.2021 द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संशोधन के लिए अनुरोध किया;

और, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बिहार सरकार के अनुरोध की जांच की है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) पैरा 4 में, शीर्षक "क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप" के अधीन, सारणी में क्रमांक संख्या 1, और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

क्र. सं.	क्रियाकलाप	विवरण
(1)	(2)	(3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
" 1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं, जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी। (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडावर्मन चिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा।"

(ii) पैरा 6 के, उप-पैरा (1) में, "राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए", शब्दों के स्थान पर "अगले आदेश होने तक, परंतु समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 25/197/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक "जी"

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3026 (अ), तारीख 13 सितंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी;

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 2021

S.O. 2765(E).—WHEREAS, by the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change published in the Gazette of India vide number S.O. 3026(E), dated the 13th September 2017, the Central Government notified an Eco-sensitive Zone (ESZ) surrounding the Valmiki Wildlife Sanctuary, Valmiki National Park and Valmiki Tiger Reserve in the State of Bihar;

AND WHEREAS, the Government of Bihar vide its letter no. Wildlife-235, dated 27.04.2021 requested the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for an amendment;

AND WHEREAS, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change have examined the request of the Government of Bihar;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification, namely: -

In the said notification,-

- (i) in paragraph 4, in the TABLE, under the heading "A. Prohibited Activities", for serial number 1, and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

Sl. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
A. Prohibited Activities		
" 1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bonafide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco-sensitive Zone. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012."

- (ii) in paragraph 6, in sub-paragraph (1), for the words "for a period of three years from the date of publication of this notification in Official Gazette", the words "till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time" shall be substituted.

[F. No. 25/197/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist "G"

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 3026 (E), dated the 13th, September 2017.

MAR 2021

व्यारण, धेलिगा

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग।

अधिसूचना

पटना, दिनांक 31/03/2021

02/एम0एम0-(बा0)-53/20-286...../एम0 दिनांक 31.03.2021

को समाप्त हो रही बालू बंदोबस्तधारियों की बंदोबस्ती अवधि को बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम-77 (2) के तहत दिनांक 01.04.2021 से 30.09.2021 अथवा नये बालू बंदोबस्तधारियों को पर्यावरणीय स्वीकृति उपरांत कार्यदिश निर्गते करने की तिथि जो पहले हो, तक पंचांग वर्ष 2020 की बंदोबस्ती राशि पर 50 प्रतिशत वृद्धि के साथ अवधि विस्तार करने की स्वीकृति दी जाती है।

2. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(सुरील कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापक-02/एम0एम0-(बा0)-53/20-286...../एम0, पटना, दिनांक 31/03/2021
प्रतिलिपि :-अवर सचिव, (ई-गजट कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना को
सी0डी0 सहित प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसको 100 (एक
सौ) प्रतियाँ मुद्रित कर खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को
उपलब्ध करायी जाय।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापक-02/एम0एम0-(बा0)-53/20-286...../एम0, पटना, दिनांक 31/03/2021
प्रतिलिपि:-सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/
प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषिता।

सरकार के अवर सचिव।

जिला खनन कार्यालय, प० चम्पारण

या 919

पत्रांक / खनन, बेतिया दिनांक / /

प्रेषक,

खनिज विकास पदाधिकारी,
प० चम्पारण, बेतिया

सेवा में,

मेसर्स सिंह एण्ड गिरि इन्फ्रा० प्रा० लि०
प्रो० श्री हरेन्द्र सिंह, नरैनापुर बगहा-02, पश्चिम चम्पारण।

विषय :- दिनांक 01.04.2021 से 30.09.2021 तक पश्चिम चम्पारण, बेतिया अन्तर्गत बन्दोबरता बालूघाटों से उत्खनन एवं प्रेषण की अनुमति के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय अधिसूचना संख्या 986/एम० पटना, दिनांक 31.03.2021 एवं ज्ञापांक 987/एम० पटना, दिनांक 31.03.2021

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि विभागीय निर्देश एवं संग्रहकर्ता महोदय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के टिप्पणी पृष्ठ 27 के कंडिका 2(ख) के आदेशानुसार वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अधीन पडने वाले बालूघाटों को छोड़कर निम्न बालूघाट :- Khaira, Binaki khaira, Sauraha, Machhaha chilwaniya, Dhanaha, Parasauni, Kunariya, Baijua Alpaha, Inarwa Bhangaha, Belwa, Bairiya, Bhairoganj, Dumaulia Narayanpur, Bulahi khaira, Bhairoganj Bholapur, Dhanarpa, Kunriya, Madhubani (pit-1,2), Shamsarwan को निविदा एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों एवं बंधों के नियमानुसार उत्खनन एवं प्रेषण की अनुमति दी जाती है।

विश्वासभाजन

६०

खनिज विकास पदाधिकारी
प० चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 169/खनन, बेतिया, दिनांक 16/04/2021

- प्रतिलिपि: 1. निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, बेतिया/बगहा, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-उप-निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य प्रमंडल-2 एवं 1 बेतिया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बेतिया/बगहा/नरकटियागंज को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. सभी अंचलाधिकारी/धानाध्यक्ष को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

खनिज विकास पदाधिकारी
प० चम्पारण, बेतिया।

समाहर्ता

14 JUN 2021

चम्पारण, बेतिया

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

सं.सं-2-एम0एम0(बा0)-10/15-.../380.../एम0, पटना, दिनांक-14/6/2021.

प्रेषक,

दीवान जाफर हुसैन खाँ,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

समाहर्ता,
बेतिया।विषय:- वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन से खनन कार्यों के
संचालन के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-158, दिनांक-13.04.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में निदेशानुसार कहना है कि बिहार राज्य पर्यावरण
समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा माह अप्रैल-मई 2016 में पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत
बंदोबस्त 38 बालूघाटों के प्रयोजनार्थ राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण
(SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति (Environment Clearance) निर्गत की गई है।

ज्ञातव्य है कि पर्यावरणीय स्वीकृति (Environment Clearance) राज्य
पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
(SEAC) की अनुशंसा पर दी जाती है, जिसमें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
विभाग के भी प्रतिनिधि होते हैं। अतः राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा
निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति को वन विभाग के अधिकारी या जिला पदाधिकारी द्वारा अपने
स्तर से रद्द/स्थगित/संशोधित नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि एतद् संबंधी मामले में
नियमानुसार कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

कुबु
14/6/2021N-20
सचिव-म. अ. वि. वि. वि.

विश्वासभाजन

14.06.2021

सरकार के संयुक्त सचिव

जिला खनन कार्यालय, प० चम्पारण बेतिया

432

पत्रांक / खनन, बेतिया दिनांक

पत्र
स्वनिज विकास पदाधिकारी,
प० चम्पारण, बेतिया

10 मं
मेसर्स सिंह एण्ड गिरि इन्फ्रां प्रा० लि०
प० श्री हरेन्द सिंह, नरेनापुर बगहा-02, परिवम चम्पारण।

3 मं
परिवम चम्पारण, बेतिया अन्तर्गत वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के पारिस्थितिकी संवेदी
जोन के अधीन पडने वाले EC प्राप्त 16 बालूघाटों से खनन एवं प्रेषण की
अनुमति के संबंध में।

प्रसंग
विभागीय अधिसूचना संख्या 986/एम० पटना, दिनांक 31.03.2021 अपांक
987/एम० पटना, दिनांक 31.03.2021 एवं अपांक 1380/एम० पटना, दिनांक
14.06.2021

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि समाह्वती महोदय परिवम
चम्पारण बेतिया के दिवानी पृष्ठ सं० 27 के आदेशानुसार प० चम्पारण बेतिया, जिला-अंतर्गत EC
प्राप्त 16 बालूघाटों में से 20 बालूघाटों को संचालन की अनुमति प्रदान की गई एवं वाल्मीकि
व्याघ्र आरक्ष्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन से खनन कार्यों के संचालन के संबंध में समाह्वती
महोदय परिवम चम्पारण, बेतिया द्वारा कार्यालय पत्रांक 158/खनन, बेतिया दिनांक 13.04.2021 से
संचालन के अंतर सचिव खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार पटना से मार्गदर्शन की मांग की गई थी।
विशेष जालीक में समूचा सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1380/एम०
पटना, दिनांक 14.06.2021 के द्वारा मार्गदर्शन दिया गया, जिसकी प्रति कार्यालय को दिनांक
18.06.2021 को प्राप्त हुआ, के अनुपालन में समाह्वती महोदय, प० चम्पारण, बेतिया के अनुमोदन
दिवानी पृष्ठ संख्या 29 के आदेशानुसार वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के
अधीन पडने वाले 16 बालूघाटों क्रमात् Sithi, Parsa Mauhi, Semara Lebdaha, Parsauni
Paotaniya Banbairiya, Branchhi, Manguraha, Vishunpurwa Gauraha Harhi
Barwa Singaha, Barba Kalan, Mainahamothiya, Bhelaha, Songadhwa (Pipra)
Pindari, Harhi Shahjahanpur, Nautanwa, को दिनांक 18.06.2021 से 30.09.2021 तक
निहित एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत एवं राज्यों के नियमानुसार खनन एवं प्रेषण की
अनुमति दी जा रही है।

विश्वासपावन
ह०/

स्वनिज विकास पदाधिकारी
प० चम्पारण, बेतिया।

आपांक 221/खनन, बेतिया, दिनांक 18/06/2021
प्रतिलिपि

1. निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनाार्थ प्रेषित।
2. जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, बेतिया/बगहा, परिवम चम्पारण, बेतिया को सादर सूचनाार्थ प्रेषित।
3. वन प्रमंडल पदाधिकारी सा० उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य प्रमंडल 2 प० 1 बेतिया को सादर सूचनाार्थ प्रेषित।
4. कार्यवाहक ऊर्गडेंट 44 महिला सशस्त्र सीमा बल नरकटियामज।
5. अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बेतिया/बगहा/नरकटियामज को सादर सूचनाार्थ प्रेषित।
6. सभी अवलाधिकारी/अनाप्यस को सादर सूचनाार्थ प्रेषित।

18.06.21
स्वनिज विकास पदाधिकारी
प० चम्पारण, बेतिया।



SINGH AND GIRI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED

Narayanpur, Patna-2, West Champaran, Bihar-845105
Contact No. 9886240745, Email : singhandgiri@gmail.com

Date... 30-06-2021

Ref. लेखा में,

विषय - आपात स्थिति विकास परामर्शकारी महोदय,
खनन कार्यालय बेलिया
पर्यावरणीय शर्तों के अनुसार 01-जुलाई-2021
से 30-दिसम्बर-2021 तक शर्तों से खनन
कार्य बंद करने के संबंध में।

महोदय,

निवेदन पूर्वक कर्ना है कि मैं हरेन्द्र सिंह निशाम
खिंडे रोड गिरी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड नरनापुर
वार्ड नं-5, ब्लाक-2, पंचायत विभाग,
समूचा बेलिया जिला के कार्यकारी अधिकारी
के अनुसार अपने सभी पर्यावरणीय शर्तों
01-जुलाई-2021 से 30-दिसम्बर-2021
तक के लिए कार्य कर लेने का
पूर्वनिर्दिष्ट बंद कर दिया है। बंद की
स्थिति में अवैध खनन पर पर्यावरण
पर विनाश की जिम्मेदारी होगी।
भवदीय एवं प्रयोग प्रेषित।



Recd
30/06/21

विशाल कुमार

Singh And Giri Infrastructure Pvt. Ltd.
Harvato Singh
Director

जिला खनन कार्यालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

क्र० सं०	थाना का नाम	वाहन संख्या	वाहन स्वामियों से शमन शुल्क एवं खनिज मूल्य में वसूली (रु०)	GRAN No./Dated
1	सेमरा	Tractor Swaraz eng no- N475001/SUM14736 Chechis no- WUCN51618115937	30350.00	BHR202203938828M 31.03.2022
2	सेमरा	Tractor Mahindra Eng no-TUA1738 Chechis no- C05555716PI751046R5	30350.00	BHR202203927640M 31.03.2022
3	सेमरा	Tractor Sonalika Eng no-3105NH04H946918F Chechis no- JZGDH95142053	30350.00	BHR202203897151M 30.03.2022
4	बगहा	Tractor Sonalika Eng no-3102FLU041929885F19	27700.00	BHR202203772653E 26.03.2022
5	बगहा	Tractor Mahindra BR22E1040	27700.00	BHR202203751521E 26.03.2022
6	बगहा	Tractor Mahindra Eng no-NMC2MRJ0483 Chechis no- MBNGAANUUMJD03349	27700.00	BHR202203757475E 26.03.2022
7	गोवर्धना	Tractor Massi farsugion Eng no-S337B03913 Chechis no- MEA62D61DJ2184894	30350.00	BHR202203393552E 12.03.2022
8	बगहा	Tractor Eng no-NKMWB01082 Chechis no- NKMWB01082	30350.00	BHR202203393552E 12.03.2022
9	बगहा	Tractor Eng no- 391331/H0204554 Chechis no- QATH3065009968	30350.00	BHR202203259055M 08.03.2022
10	गीनाहा	Tractor BR22G5677	30350.00	BHR202202849908E 27.02.2022
11	गीनाहा	Tractor BR22GB6379 BR22GB6378	60700.00	BHR20202774374M 25.02.2022
12	बगहा	Tractor BR22GB6379	30350.00	BHR202112485475M 20.12.2021
13	सेमरा	Truck UP53FT0477 UP53ET2102 UP53DT5286	45000.00 45000.00 28142.00	Poss Machine 27.06.2021 27.06.2021 28.06.2021
14	मानपुर	Tractor Eng no NKD6CEJ0010	15642.00	Poss Machine 09.06.2021
15	मानपुर	Tractor Mahindra q Yuvo BR22GA4195	13621.00	Poss Machine 24.05.2021
16	बगहा-1	Tractor BR22GA5303	13500.00	Poss Machine 17.04.2021

Gly

17	गोवर्धना	Tractor Mahindra Yuvo Eng no- NJC5FCE0350 Chechis No MBNSFAJYNG02237	30375.00	BHR20221000098189EM 07.10.2022
		Tractor Swaraj Eng no 431025SUN19203 Chechis no WYCA45621132098	30375.00	BHR20221000099237E 07.10.2022
18	बगहा	Tractor Powertack Eng no E3435852 Chechis no TO53387895BG	30375.00	BHR20220900756105E 26.09.2022
19	वाल्मीकिनगर	Tractor Mahindra Eng no RLE2GDA1090 Chechis no MBNGAALUPLRE01368	30375.00	BHR20220900695364M 23.09.2022
20	गोवर्धना	Tractor Mahindra Eng no RMM6CBA1276 Chechis no MBNGAANEEMRMQ3320	30375.00	BHR2022090098226E 20.09.2022
		Tractor Eicher Eng no E26886 Chechis no 920113189874	30375.00	BHR20220900598981E 20.09.2022
21	बगहा	Tractor Sonalika Eng no 3102FLU93H861822F19 Chechis no JZYSS865439S3	30375.00	BHR20220900604455E 20.09.2022
		Tractor Mahindra Chechis no RFNH03004	30375.00	BHR20220900603553E 20.09.2022

Car
07.11.22
(स्वान निरीक्षक)

CG
07.11.22
(स्वान निरीक्षक)

07.11.22
अनिज विकास पदाधिकारी
बेतिया (पंचभारण)

अनु०-11 खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 1380/एम०, पटना, दिनांक 14.06.2021 अवलोकनार्थ संलग्न।

7. उक्त पत्र के आलोक में कार्यालयीय पत्रांक 221/खनन, बेतिया, दिनांक 18.06.2021 द्वारा VTR के ESZ के अधीन पड़ने वाले EC प्राप्त 16 बालूघाटों से दिनांक 18.06.2021 से 30.09.2021 तक उत्खनन एवं प्रेषण की अनुमति दी गयी थी।

अनु०- 12 जिला खनन कार्यालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया का पत्रांक 221/खनन, बेतिया, दिनांक 18.06.2021

8. तत्पश्चात् खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3424/एम०, पटना, दिनांक 19.11.2021 द्वारा पश्चिम चम्पारण, बेतिया जिलान्तर्गत 36 बालूघाटों में से 16 बालूघाटों को छोड़कर मात्र 20 बालूघाटों की बन्दोबस्ती अवधि का विस्तार दिनांक 01.10.2021 से 31.03.2022 तक के लिए की गयी थी।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि VTR के ESZ के अधीन पड़ने वाले EC प्राप्त 16 बालूघाटों से बालू का उत्तोलन दिनांक 31.03.2021 तक की गयी। तत्पश्चात् माह अप्रैल, 2021 एवं मई, 2021 में उक्त बालूघाटों से बालू का उत्तोलन नहीं किया गया। पुनः दिनांक 18.06.2021 से 30.09.2021 तक उत्खनन एवं प्रेषण की अनुमति दी गयी। यहाँ उल्लेखनीय है कि प्रत्येक पंचांग वर्ष में माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर में नदी तल (River bed) से बालू का उत्खनन नहीं किया जाता है। केवल Secondary Loading Point एवं अनुज्ञप्ति प्राप्त भंडारण स्थल से बालू का उत्तोलन किया जाता है।

9. बालू बन्दोबस्तधारी, मे० सिंह एण्ड गिरी इन्फ्रा० प्रा० लि० के निदेशक, श्री हरेन्द्र सिंह के द्वारा दिनांक 30.06.2021 को एक आवेदन समर्पित किया गया कि दिनांक 01.07.2021 से 30.09.2021 तक बालू खनन का कार्य पूर्णतः बन्द रहेगा।

अनु०- 13 बन्दोबस्तधारी का आवेदन अवलोकनार्थ संलग्न।

10. पारिस्थितिकी संवेदी जोन (ESZ) में अवैध खनन के विरुद्ध कृत कार्रवाई की सूची अनुलग्नक-14 के रूप में इस प्रतिवेदन के साथ अवलोकनार्थ संलग्न है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

खनिज विकास पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक-839/खनन, बेतिया, दिनांक-07-11-2022

प्रतिलिपि: समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: श्री सैन कुमार, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परषद-सह- नोडल पदाधिकारी को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



खनिज विकास पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।